वार्षिक रिपोर्ट
1988-89

भारत सरकार
योजना आयोग

मुद्रक
आकाशदीप प्रिन्टर्स 20 अंसारी रोड, दरियागंज-110002

विषय सूची

		पृष्ठ
अध्याय 1	वर्ष 1988-89 एक सिंहावलोकन	1
अध्याय 2	भूमिका तथा संगठन	4
अध्याय 3	योजना की प्रगति	10
अध्याय 4	मुख्य कार्यकलाप एक परिप्रेक्ष्य	31
अध्याय 5	कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन	90
अध्याय 6	अनुदान सहायता	92
अनुबन्ध I.	संक्षिप्त विवरण—आठवीं योजना के लिए गठित संचालन दल और कार्य दल	96
अनुबन्ध II.	अनुसंधान सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित अनुसंधान अध्ययनों/सम्मेलनों की सूची	98
अनुबन्ध III.	वर्ष 1988-89 के दौरान पूरे किए गए अध्ययनों तथा प्राप्त हुए रिपोर्टों की सूची	100
अनुबन्ध IV.	1988-89 के दौरान विदेश भेजे गए प्रतिनिधि मण्डलों/शिष्ट मण्डलों की संख्या	101
अनुबन्ध V.	योजना आयोग का संगठन चार्ट	109

अध्याय – 1

वर्ष 1988-89 एक सिंहावलोकन

वर्ष 1988-89 बहुत अच्छा वर्ष रहा। अर्थव्यवस्था में कृषीय उत्पादन में अतिउत्तम क्षतिपूर्ति हुई और औद्योगिक संवृद्धि की गति स्पष्ट दिखाई देती है। यह परिकल्पना की गई है कि इस वर्ष सकल घरेलू उत्पादन में 9 प्रतिशत से अधिक की संवृद्धि दर रहेगी।

1.2 इस कार्य निष्पादन को गत वर्ष भयंकर सूखे के संदर्भ में भी देखा जाना है। इन दो वर्षों में अर्थव्यवस्था की कुछ स्वाभाविक सुदृढ़ताएं प्रकट हुई। पहली बात तो यह है कि जलवायु में भीषण अनियमितताओं के बावजूद प्रणाली में सुनम्यता और दूसरी है उद्योग और अवसंरचना के क्षेत्र में स्थिर संवृद्धि कार्य निष्पादन। यह सुदृढ़ता इस तथ्य में भी निहित है कि इन दोनों ही वर्षों में, पहले पड़े सूखे और सूखे से पहले के वर्षों में संवृद्धि कार्य-निष्पादन महत्वपूर्ण रूप से उच्चतर रहा। इस सुदृढ़ता का स्रोत पिछले चार दशकों में तैयार की गई क्षमता में निहित है जिसमें क्षमता प्रयोग और दक्षता में सुधार के लिए निदेशित विभिन्न नीति-परिवर्तन, खाद्य अर्थव्यवस्था में आपदाओं और विवेकी प्रबंधन की व्यवस्था करने के लिए विकास प्रशासन की योग्यता भी शामिल है।

1.3 इस वर्ष के अच्छे मानसून से कृषि में काफी अच्छी प्रगति हुई। वर्ष 1987-88 में खराब मानसून के कारण वर्ष का भयंकर सूखा पड़ा जिससे सातवीं योजना के पहले तीन वर्षों में कृषीय संवृद्धि में बाधा पड़ी और उत्पादन अपने निर्धारित लक्ष्य से कम रहा। पहले हुई हानि को पूरा करने और सातवीं योजना के अंतिम वर्ष तक खाद्य के निर्धारित स्तर को प्राप्त करने के लिए चुनींदा क्षेत्रों (14 राज्यों में फैले हुए 169 जिलों को शमिल करते हुए) में विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम चलाया गया. जिससे क्षमताओं का तेजी से उपभोग किया जा सकेगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चावल, गेहूं, मक्का, अरहर इत्यादि के उत्पादन बढ़ाने पर जो दिया गया। ऐसी आशा की गई थी कि उत्पादन में बढ़ोतरी उत्पादकता को बढ़ाकर की जाएगी न कि क्षेत्रफल को बढ़ाकर। मौद्रिक और आर्थिक सहायता देकर और सिंचाई सुविधाओं के विवेक सम्मत प्रयोग में वृद्धि द्वारा संगत दरों पर विभिन्न आदानों की पूर्ति के लिए पर्याप्त उपाय सुनिश्चित किए गए।

1.4 इस विशेष विकास प्रयास और अच्छी जलवायु की स्थितियों को देखते हुए कि समग्र रूप से कृषि क्षेत्र में 17 से 20 प्रतिशत के बीच रिकार्ड संवृद्धि संभावित है और वर्ष 1988-89 के लिए निर्धारित खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य ही प्राप्त नही कर लिया जाएगा बल्कि इससे अधिक उत्पादन होगा। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि से घटे हुए स्टाक को पूरा करने में मदद मिलेगी और बफर स्टाक बढ़ेगा जिससे देश को सूखे की स्थिति से उबरने में सहायता प्राप्त होगी।

1.5 वर्तमान वर्ष के दौरान औद्योगिक संवृद्धि की गति को बनाए रखा गया। चालू वर्ष के प्रथम सात महीनों के निष्पादन से ज्ञात होता है कि औद्योगिक उत्पादन ने गत वर्ष के इसी अवधि के दौरान हुए उत्पादन से 9.3 प्रतिशत की संवृद्धि दर प्राप्त कर ली है। विनिर्माण क्षेत्रक, जो कि औद्योगिक उत्पादन का लगभग 80 प्रतिशत है, लगभग 10 प्रतिशत की उच्चतर दर तक पहुंच गया है। क्षेत्रक में 10 प्रतिशत से अधिक संवृद्धि पर आधे से अधिक उद्योगों सहित उच्च संवृद्धि अच्छी तरह से बांटी गई है।

1.6 1988-89 के दौरान आर्थिक संवृद्धि के पुनरुत्थान में कुंजी आधार-संरचना क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन ने सहयोग दिया है। चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल-दिसम्बर) के प्रथम नौ महीनों के दौरान बड़े पत्तनों में निपटाया गया कार्गो यातायात, टेलिफोन उपस्करों, उर्वरकों सीमेंट तथा कच्चे तेल के उत्पादन ने या तो लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं या लक्ष्य से अधिक उत्पादन किया है विद्युत उत्पादन, कोयला, गर्म धातु, इस्पात सिल्ली तथा बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन, रेलवे राजस्व भाड़ा यातायात तथा परिशोधक ने निर्धारित लक्ष्यों का 95.1 से 98.5 प्रतिशत तक प्राप्त किया है। चालू वर्ष के दौरान इन सभी क्षेत्रकों की अब तक कार्य-निष्पादन गत वर्ष इसी अवधि के कार्य निष्पादन से अधिक उच्च रहा है।

1.7 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एक बड़ी ओयोजन शुरूआत का प्रभावी ढंग से प्रत्येक जोन में मृदा किस्म, जलवायु और जल संसाधनों को ध्यान में रखते हुए कृषि-जलवायु जोनों पर आधारित कृषि आयोजन संगठित करने के लिए शुरू किया जाने वाला अभ्यास था। इस उद्देश्य के लिए 15 प्रमुख कृषि-जलवायु जोनों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। प्रत्येक जोन और उप क्षेत्र के लिए उपयुक्त भूमि प्रयोग तथा फसल योजना और उनके द्वारा अपेक्षित आवश्यक प्रोद्योगिकी, आधार संरचना और अनुसंधान सहयोग देने पर जोर दिया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए योजना आयोग में गठित सम्पर्क दल के मार्गदर्शन में 15 जोनल आयोजन दलों ने काम शुरू कर दिया है। इनकी सिफारिशें आठवीं योजना की तैयारी में एक महत्वपूर्ण निवेश बनाएंगी।

1.8 योजना आयोग के ऊर्जा तथा परिवहन क्षेत्रकों के लिए एकीकृत आधार पर दीर्घावधिक आयोजन संबंधी कार्य को पद्धतिबद्ध करने के उद्देश्य से संस्थानिक व्यवस्थाओं के हिस्से के रूप में अक्टूबर, 1985 में परिवहन आयोजन से संबंधित अध्ययनों के लिए एक संचालन समिति गठित की गई है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1988 में प्रस्तुत कर दी थी। उस पर अनुवर्ती कार्य शुरू हो चुका है। ऊर्जा माडलिंग संबंधी संचालन दल जो कि 1986-87 में शुरू किया गया था, के मार्गदर्शन में ऊर्जा माडलिंग संबंधी कार्य चालू वर्ष के दौरान काफी प्रगति पर है तथा रिपोर्ट लगभग पूरी है। ऊर्जा माडलिंग ढांचे का इस तरह डिजाइन किया गया है कि विभिन्न ऊर्जा नीति मुद्दों का एकीकृत आधार पर गहन विश्लेषण किया जा सके। सम्पूर्ण प्रणाली कम्प्यूटरीकृत है ताकि माडलों के लिए आंकड़ा निवेश अद्यतन किया जा सके तथा नीति तैयार करने में प्रयोग के लिए परिणाम किसी भी समय प्राप्त किए जा सके।

1.9 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अन्य महत्वपूर्ण परिवृद्धि यह है कि विकेन्द्रीकृत आयोजन पर जोर बढ़ा दिया गया है। जिला स्तरीय आयोजन की संकल्पना को मूर्त रूप देने तथा पंचायती राज संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

1.10 वर्ष के दौरान चालू योजना की प्रगति की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई। सातवीं योजना के अंतिम वर्ष 1989-90 के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों के परामर्श से वार्षिक योजना भी तैयार की गई।

1.11 आठवीं योजना तैयार करने से संबंधित कार्य समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सही समय में शुरू हो गया था। वैकल्पिक संवृद्धि दरों के मुद्दों तथा परिप्रेक्ष्यों और बचत तथा नीति विवक्षाओं को दर्शाने वाले विभिन्न लेख तैयार किए गए। योजना आयोग के पूर्ण स्तर पर विचार-विमर्शों की श्रृंखला का अनुसरण करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि आठवीं योजना के लिए बनाई जाने वाली नीति का आधार 6 प्रतिशत की औसत संवृद्धि दर होनी चाहिए जो कि सातवीं योजना में परिकल्पित पांच प्रतिशत की संवृद्धि दर से महत्वपूर्ण रूप से उच्चतर है।

1.12 प्रारूप नीति पत्र तैयारी के अन्तिम चरण पर है तथा विचारार्थ शीघ्र ही सम्पूर्ण योजना

आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की आशा है। उसी समय आठवीं योजना तैयार करने के लिए अपेक्षित को एकत्रित करने तथा विश्लेषण करने में सहायता के लिए देश के सामाजिक आर्थिक दृश्य के लगभग प्रत्येक महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल करते हुए सरकारी और गैर-सरकारी विशेषज्ञों की संचालन समितियों और कार्य दलों का गठन किया गया है।

1.13 स्वतंत्रता की 42वीं वर्षगांठ तथा जवाहर लाल नेहरू शताब्दी मनाने से संबंधित आयोजनों के एक हिस्से के रूप में योजना आयोग ने 11 तथा 12 फरवरी, 1989 को भारतीय आयोजन अनुभव संबंधी एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इस सेमिनार में, जिसका उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति ने किया तथा एक विशेष सत्र को प्रधान मंत्री द्वारा संबोधित किया गया, योजना मंत्री, योजना राज्य मंत्री, योजना आयोग के भूतपूर्व तथा वर्तमान सदस्यों तथा अपने-अपने क्षेत्रों में विशिष्टता प्राप्त प्रसिद्ध व्यक्तियों, योजनाकर्ताओं अर्थ-शास्त्रियों, वैज्ञानिकों तथा प्रशासकों के एक दल ने भाग लिया।

1.14 इस प्रकार योजना आयोग ने देश की विकास नीतियों की तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा.

अध्याय–2

भूमिका तथा संगठन

योजना आयोग का गठन भारत सरकार के संकल्प के अनुसार मार्च, 1950 में किया गया था।

2.2 भारत में आयोजना-प्रक्रिया राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा संचालित की जाती है, जिसके अध्यक्ष प्रधान मंत्री हैं और इसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री और राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री योजना आयोग के सदस्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक शामिल हैं। दिल्ली प्रशासन का काउंसिल में प्रतिनिधित्व उप राज्यपाल तथा मुख्य कार्यकारी पार्षद द्वारा किया जाता है। योजना आयोग केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों से परामर्श करके पंचवर्षीय योजनाएं बनाता है और इसके क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करता है। भारतीय योजना के बुनियादी उद्देश्य हैं–विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय।

2.3 योजना आयोग संगठन शीर्ष स्तर पर कार्य करने वाले एक सलाहकारी निकाय के रूप में अपनी भूमिका निभाता है।

कार्य

2.4 योजना आयोग को भारत सरकार के उपरोक्त संकल्प द्वारा यथापरिभाषित सौंपे गए कार्य ये हैं:–

(1) तकनीकी कार्मिक सहित देश की समाग्री, पूंजी तथा मानव संसाधनों का मूल्यांकन करना और इस प्रकार के संसाधनों को प्राप्त करने की संभावनाओं का अन्वेषण करना जो राष्ट्र की आवश्यकताओं के संबंध में त्रुटिपूर्ण रूप में पाए जाते हैं;

(2) देश के संसाधनों के अधिक प्रभावी तथा संतुलित उपयोग के लिए योजना बनाना।

(3) प्राथमिकताओं के निर्धारण के संबंध में चरणों का वर्णन करना जिसमें योजना को शुरू किया जाना चाहिए और प्रत्येक चरण को सम्यक् रूप से पूरा करने के लिए संसाधनों के आवंटन का प्रस्ताव करना;

(4) उन पहलुओं को निर्दिष्ट करना जो आर्थिक विकास में बाधा डालते हैं और उन परिस्थितियों का निर्धारण करना जिन्हें चालू सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, योजना की सफलता के लिए स्थापित किया जाना आवश्यक है;

(5) तंत्र के स्वरूप का निर्धारण करना जो अपने सभी पहलुओं में योजना के प्रत्येक चरण के कार्यान्वयन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक होंगे;

(6) योजना के प्रत्येक चरण के निष्पादन में प्रगति का समय-समय पर मूल्यांकन करना तथा नीति और उपायों के समायोजन की सिफारिश करना जिससे इस प्रकार का मूल्यांकन करना आवश्यक प्रतीत हो;

(7) इस प्रकार से आन्तरिक अथवा आनुषांगिक सिफारिशें करना जो या तो इसको सौंपे गए कार्य के निपटान को सरल बनाने या व्याप्त आर्थिक स्थितियों के संबंध में विचार करने, चालू नीतियों, उपायों तथा विकास कार्यक्रम इस प्रकार की विशेष समस्याओं की जांच करना जिसे केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों द्वारा सलाह के लिए भेजा जा सकता है, के विषय में अनुकूल प्रतीत होती है।

2.5 उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त, भारत सरकार के व्यावसायिक आवंटन नियमावली के तहत योजना आयोग को इनके संबंध में जिम्मेदारी सौंपी है (क) राष्ट्रीय विकास में सार्वजनिक सहयोग; (ख) पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम; (ग) भावी योजना; (घ) जनशक्ति निदेशालय; और (ङ) राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र।

संगठन

2.6 योजना आयोग मुख्यतः एक सलाहकारी निकाय है जो केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों को योजना संबंधी मामलों में तकनीकी सहायता प्रदान करने तथा नीति और कार्यक्रम ढांचा देने के लिए जिम्मेदार है।

2.7 प्रधान मंत्री ने योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में, इसके कार्य को देखा है और उन्होंने नीति के सभी मुख्य मुद्दों पर विचार करने के लिए निर्देश दिए हैं। आयोग में एक उपाध्यक्ष तथा छः पूर्णकालिक सदस्य हैं। उपाध्यक्ष, जो योजना मंत्री भी हैं, जिसकी सहायता योजना राज्य मंत्री करता है। पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त केन्द्रीय मंत्रिमंडल के कुछ मंत्रियों को भी योजना आयोग के मंत्री सदस्यों के रूप में नामित किया गया है।

2.8 15.3. 1989 की स्थिति के अनुसार योजना आयोग का गठन निम्न प्रकार है:—

1. श्री राजीव गांधी, प्रधान मंत्री — अध्यक्ष
2. श्री माधवसिंह सोलंकी — उपाध्यक्ष
   योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री

सदस्य

1. श्री एस.बी. चव्हाण, वित्त मंत्री
2. श्री भजन लाल, कृषि मंत्री
3. श्री जे. वेंगलराव, उद्योग मंत्री
4. श्री वसन्त साठे, ऊर्जा मंत्री
5. श्री पी. शिव शंकर, मानव संसाधन विकास मंत्री
6. श्री बी. शंकरानन्द, विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री
7. श्री जैड.आर. अंसारी, पर्यावरण एवं वन मंत्री

8. श्री बीरेन सिंह ऐंगती, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री

9. प्रो. एम.जी.के. मेनन

10. डा. राजा जे. चेल्लया

11. श्री हितेन भाया

12. श्री आबिद हुसैन

13. डा. वाई.के. अलग

14. प्रो. पी.एन. श्रीवास्तव

2.9 श्री माधव सिंह सोलंकी की 25.6.1988 से योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री और योजना आयोग उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई।

2.10 श्री पी. शिव शंकर ने 25.6.1988 तक आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया उसके उपरान्त उनकी मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में नियुक्ति की गई। श्री शिव शंकर 1.8.1988 से योजना आयोग के मंत्री सदस्य के रूप में कार्यरत हैं।

2.11 श्री पी.वी. नरसिन्हा राव, श्री एन.डी. तिवारी तथा श्री बूटा सिंह 31.7.1988 तक योजना आयोग के मंत्री सदस्य के रूप में कार्य करते रहे। मंत्री-परिषद् में परिवर्तन होने पर, 1.8.1988 से ही निम्नलिखित योजना आयोग के मंत्री सदस्य बने:–

1. श्री एस.बी. चव्हाण, वित्त मंत्री

2. श्री भजन लाल, कृषि मंत्री

3. श्री वेंगलराव, उद्योग मंत्री

4. श्री बसंत साठे, ऊर्जा मंत्री

5. श्री पी. शिव शंकर, मानव संसाधन विकास मंत्री

6. श्री बी. शंकरानंद, विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री

7. श्री जैड.आर. अंसारी, पर्यावरण एवं वन मंत्री

8. श्री बीरेन सिंह ऐंगती, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री

2.12 श्री जे.एस. बैजल 22.6.1986 से योजना आयोग में सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं।

2.13 1.1.1989 की स्थिति के अनुसार योजना आयोग का संगठन चार्ट अनुबंध-5 में दिया गया है।

अन्य संगठनात्मक पक्ष

2.14 योजना आयोग प्रभागों और कुछ अनुभागों के जरिए कार्य करता है और उनका अध्यक्ष कोई वरिष्ठ अधिकारी होता है जो सामान्यतः सलाहकार अथवा प्रमुख अथवा परामर्शदाता अथवा संयुक्त सचिव अथवा संयुक्त सलाहकार के पद के रूप में पद-नामित है।

2.15 योजना आयोग के पूर्णकालिक सदस्य विशेष प्रभागों के दिन-प्रतिदिन के कार्य संबंधी जिम्मेवारियों को संभालते हैं, यद्यपि आयोग सम्मिलित निकाय के रूप में कार्य करता है और सभी महत्त्वपूर्ण मामलों पर संयुक्त रूप से सलाह देता है। विभिन्न प्रभागों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है।

(क) सामान्य प्रभाग जिनका समग्र अर्थव्यवस्था के कुछ विशेष पहलुओं से संबंध होता है; और

(ख) विषय संबंधित प्रभाग जिनका विकास के विशेष क्षेत्रों से संबंध होता है।

2.16 योजना आयोग में भावी योजना के लिए एक प्रभाग है जो दीर्घावधि विकास से संबंधित कार्य के लिए सामान्य मार्गदर्शन प्रदान करता है जिसका विभिन्न प्रभागों में विस्तृत रूप से पालन किया जाता है। योजना आयोग में कार्य का समन्वय योजना समन्वय प्रभाग द्वारा किया जाता है।

2.17 योजना आयोग में कार्य कर रहे सामान्य प्रभाग ये हैं:–

1. आर्थिक प्रभाग, वित्तीय संसाधन प्रभाग, विकास नीति प्रभाग, अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक आर्थिक अनुसंधान एकक
2. भावी योजना प्रभाग
3. श्रम, रोजगार तथा जनशक्ति प्रभाग
4. सांख्यिकी तथा सर्वेक्षण प्रभाग
5. बहुद्देशीय स्तर योजना, पर्वतीय क्षेत्र विकास तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित राज्य योजना प्रभाग
6. परियोजना मूल्यांकन प्रभाग
7. प्रबोधन तथा सूचना प्रभाग
8. योजना समन्वय प्रभाग

2.18 विषय से संबंधित प्रभाग ये हैं:–

1. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रभाग
2. कृषि विभाग
3. ग्रामीण विकास प्रभाग

4. सिंचाई तथा नियंत्रण क्षेत्र विकास प्रभाग

5. विद्युत ऊर्जा प्रभाग

6. उद्योग तथा खनिज प्रभाग

7. ग्राम तथा लघु उद्योग प्रभाग

8. परिवहन प्रभाग

9. शिक्षा प्रभाग

10. ग्रामीण ऊर्जा प्रभाग

11. आवास, शहरी विकास तथा जल आपूर्ति प्रभाग

12. स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण प्रभाग

13. समाज कल्याण तथा पोषाहार प्रभाग

14. पिछड़ा क्षेत्र प्रभाग

15. संचार तथा सूचना प्रभाग

16. भारत-जापान समिति

17. पश्चिमी घाट सचिवालय.

18. ऊर्जा नीति प्रभाग

2.19 योजना आयोग के प्रछत्र के अंतर्गत कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है। यह योजनाकारों तथा कार्यान्वयन करने वाले अभिकरणों को पुनर्निवेशन (फीडबैक) सूचना प्रदान करने के संदर्भ में चुने हुए योजना कार्यक्रमों के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन अध्ययन कार्य करता है।

2.20 ऊर्जा सलाहकार बोर्ड जो पहले मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन एक इकाई के रूप में कार्य कर रहा था, को सौंपा गया कार्य 1.9.1988 से योजना आयोग को हस्तांतरित कर दिया। परिणामस्वरूप योजना आयोग में एक नया तकनीकी प्रभाग अर्थात् ऊर्जा नीति प्रभाग स्थापित किया गया है।

2.21 राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र जो पहले इलेक्ट्रानिकी विभाग के अधीन था, का 14.3.1988 से योजना आयोग में अंतरण किया गया। तभी से यह योजना आयोग का एक अंग बन गया है। कम्प्यूटर सेवा प्रभाग जो पहले सलाहकार (मानिटरिंग एवं सूचना) के अधीन कार्य कर रहा था, अब इसका विलय राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र में कर दिया गया है।

प्रशासन

2.22 अनुसंधान तथा योजना निर्माण करने वाले आधार-संरचना एककों, जिनका कि ऊपर वर्णन

किया गया, के अलावा योजना आयोग में संगठन के लिए अपेक्षित सेवा शाखाएं हैं, जिनका प्रशासन लेखा तथा सामान्य सेवाओं से संबंध है।

2.23 लेखा सहित सामान्य प्रशासन का पूर्ण प्रभार योजना आयोग के सचिव के अधीन है। सलाहकार (प्रशासन) सामान्य प्रशासन के कार्य को देखता है जिनको निदेशक (प्रशासन) द्वारा सहयोग दिया जाता है। लेखा शाखाएं एक आंतरिक वित्त सलाहकार तथा लेखा नियंत्रक, जो सामान्य प्रशासन की सीमा के अधीन कार्य करता है, के साथ कार्य करती है।

2.24 आयोग में कार्यरत अधिकारियों तथा स्टाफ की कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखने के लिए पूर्णकालिक आधार पर एक कल्याण अधिकारी कार्य कर रहा है। एक विभागीय कैंटीन तथा काफी बोर्ड और टी-बोर्ड द्वारा चालित दो अन्य कैंटीनें भी योजना भवन में कार्य कर रही हैं।

2.25 आयोग का एक अधिकारी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/भूतपूर्व सैनिकों आदि के लिए सेवाओं में पदों के आरक्षण के संबंध में सरकार के आदेशों के कार्यान्वयन की देख-रेख के लिए, सम्पर्क अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि उनका विधिवत रूप से अनुपालन हो रहा है।

2.26 सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रयोग संबंधी कार्य को भी राजभाषा एकक द्वारा निदेशक (प्रशासन) की देखरेख में मानिटर किया जाता है।

2.27 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अनुदेशानुसार निदेशक (प्रशासन) की योजना आयोग के विभागीय शिकायत अधिकारी के रूप में पेंशनरों की शिकायतें, यदि कोई हों, को दूर करने के लिए नियुक्ति की गई।

2.28 योजना आयोग में एक सुसज्जित पुस्तकालय है, जिसमें व्यापक विषय स्पेक्ट्रम और विशेषकर विकासात्मक आयोजन विषय संबंधी पुस्तकों, आवधिक पत्रिकाओं का वृहद् संकलन है। पुस्तकालय एक सलाहकार परिषद् द्वारा शासित है। जिसमें आयोग के वरिष्ठ अधिकारी हैं।

अध्याय-3
योजना की प्रगति

यद्यपि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना सावधानीपूर्वक तैयार की जाती है तो भी इसे समय-समय पर सामने आने वाली परिवर्तनशील स्थितियों और प्राथमिकताओं के आधार पर अपनाने की आवश्यकता है क्योंकि इन स्थितियों और प्राथमिकताओं का पूर्वाभास हमेशा नहीं देखा जा सकता है। योजना प्राथमिकताओं और संसाधनों की पुन: व्यवस्था के लिए अवसर उत्पन्न होने हैं ताकि सामने आ रही आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अत: पंचवर्षीय योजना को वार्षिक योजनाओं की क्रियाविधि के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है, जो कि पंचवर्षीय योजनाओं में पहले ही से प्रदत्त विस्तृत रूपरेखा के भीतर प्रत्येक वर्ष के लिए तैयार किया जाता है। वार्षिक योजना में एक ओर तो पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वयन में लोचशीलता की आवश्यकता को बताया जाता है तो दूसरी ओर प्रत्येक वर्ष कार्यान्वित किए जाने वाले विकास कार्यक्रमों को विस्तारपूर्वक निर्दिष्ट किया जाता है।

वार्षिक योजनाएं

3.2 प्रतिवर्ष सितम्बर के आसपास, योजना आयोग सभी राज्य सरकारों को वे सभी उद्देश्य सूचित कर देता है, जिनकी ओर आगामी वर्ष में वार्षिक योजना अभिकेन्द्रित रखनी होती है। इसमें केन्द्रीय सहायता की राशि भी बताई जाती है जो वे आगामी वर्ष में अपनी योजनाओं के लिए पा सकते हैं। राज्यों से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे वास्तविक लक्ष्यों और उनके लिए अपेक्षित अनुरूपी वित्तीय परिव्ययों, जो कि उनकी पंचवर्षीय योजनाओं के मूल ढांचे के अनुसार हों, सहित अपने योजना प्रस्तावों को भेजें। पंचवर्षीय योजनाओं के लिए संसाधनों और परिव्यय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उनकी वार्षिक योजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधनों को एकत्रित करने के प्रस्तावों सहित वित्तीय संसाधनों की प्रत्याशाएं भेजने के लिए भी सलाह दी जाती है।

3.3 इन प्रस्तावों और आकलनों पर योजना आयोग में अक्तूबर-दिसम्बर के दौरान विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया जाता है जिनमें केन्द्रीय मंत्रालय भी संविमर्शों में भाग लेते हैं। केन्द्रीय मंत्रालयों की वार्षिक योजनाओं के संबंध में भी इसी प्रकार कर्रवाई की जाती है। योजना आयोग के साथ राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों के विचार-विमर्शों में स्वीकार किया गया योजना परिव्यय आगामी वर्ष के लिए बजट संबंधी प्रावधान का आधार बनते हैं।

3.4 केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों से आगामी वर्ष के लिए वार्षिक योजना की तैयारी के संदर्भ में प्राप्त विस्तृत सूचना के आधार पर प्रत्येक वर्ष की योजना में वित्तीय और वास्तविक दोनों ही दृष्टियों से हुई प्रगति की समीक्षा भी योजना द्वारा की जाती है।

वार्षिक योजना 1987-88 की समीक्षा

3.5 वर्ष 1987-88 के लिए मूल रूप से अनुमोदित 44,698 करोड़ रुपए के परिव्यय की तुलना में योजना परिव्यय के परिशोधित आकलन 43,678 करोड़ रुपए हैं। परिशोधित आकलन में केन्द्र के संदर्भ में 25,701 करोड़ रुपए और राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों के संदर्भ में 17,977 करोड़ रुपए शामिल हैं

यदि इसकी तुलना मूल परिव्ययों से की जाए तो केन्द्र के संबंध में 659 करोड़ रुपए बढ़े और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में 1679 करोड़ रुपए कम हो गए।

3.6 वर्ष 1987-88 के दौरान अर्थव्यवस्था के कार्य निष्पादन पर देश व्यापी सूखे का प्रभाव पड़ा जिससे संवृद्धि की गति में अस्थायी कमी आई। सूखे का प्रभाव कृषि पर तत्काल ही पड़ा। जिसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन में तीव्र कमी हुई, इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रकों पर भी पड़ा, लेकिन अर्थव्यवस्था के अन्तर्निर्मित लचीलेपन और सरकार द्वारा समय पर किए गए उपायों के कारण सूखे के प्रभाव को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सका और वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में संवृद्धि की दर धनात्मक रही।

3.7 भीषण सूखे के बावजूद वर्ष 1987-88 के दौरान औद्योगिक उत्पादन की संवृद्धि दर 7.7 प्रतिशत रही। सरकार द्वारा समय पर सहायता प्रारभ किए जाने के कारण मानसून की विफलता से औद्योगिक संवृद्धि में आने वाले व्यवधानों को दूर किया जा सके। वर्ष के दौरान कई कार्य प्रारंभ किए गए ताकि औद्योगिक उत्पादन के लिए अधिक मुक्त और अनुकूल वातावरण प्रदान किया जा सके। विद्यमान मापदण्डों में संशोधन किया गया और अनुमोदन प्रक्रियाओं को अधिक सरल बनाया गया। वर्ष 1985-86 के दौरान दल की विस्तृत स्कीमों को वर्ष 1986-87 के दौरान कई अन्य उद्योगों पर भी लागू किया गया और इसमें 35 उद्योग समूहों तक को शामिल किया गया। अक्तूबर, 1987, में अनुसूची-1 में शामिल 27 उद्योगों और अनुसूची-1 से अलग के 24 उद्योगों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता समाप्त कर दी गई। इन उदारीकृत उपायों से यह अपेक्षा की गई थी कि ये न केवल उत्पादन, उत्पादकता, लाभ देयता और धारित क्षमता के अधिक प्रयोग में सुधार करेंगे बल्कि उद्योगों के आधुनिकीकरण को आवश्यक प्रेरणा भी प्रदान करेंगे।

3.8 विद्यमान विद्युत-शक्ति संयंत्रों के संचालन में स्थाई सुधार हुआ, विशेषकर ताप-विद्युत संयंत्रों में, जहां वर्ष 1987-88 में पी.एल.एफ. 56.5 प्रतिशत के स्तर तक जा पहुंचा। वर्ष 1987-88 के अन्त तक विद्युत शक्ति उत्पादन में सातवीं योजना के लक्ष्य 73.4 प्रतिशत को प्राप्त किया गया। वर्ष के दौरान पैट्रोलियम क्षेत्र के कार्य निष्पादन का उच्च स्तर बना रहा। वर्ष 1987-88 में कोयले का उत्पादन बढ़कर लगभग 180 मिलियन टन हो गया।

3.9 सामान्यतः आधार संरचना के अच्छे कार्य निष्पादन को देखा जाए तो परिवहन क्षेत्रक ने भी समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अच्छा कार्य किया।

वार्षिक योजना 1988-89

3.10 वर्ष 1988-89 के लिए वार्षिक योजना में केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक साथ 49,818 करोड़ रुपए के सार्वजनिक क्षेत्रक परिव्यय की परिकल्पना की गई। परिव्यय की यह राशि वर्ष 1987-88 के अनुमोदित परिव्यय 44,698 करोड़ रुपए से 11.5 प्रतिशत अधिक है। केन्द्रीय क्षेत्रक के लिए परिव्यय 1988-89 में 28,715 करोड़ रुपए रहा, जबकि वर्ष 1987-88 में यह परिव्यय 25,042 करोड़ रुपए था। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए यह परिव्यय 21,103 करोड़ रुपए का रहा जो कि पिछले वर्ष 19,656 करोड़ रुपए था। वर्ष 1988-89 में केंद्रीय योजना के लिए 14.7 प्रतिशत और राज्यों तथा संघ राज्य योजनाओं के लिए 10.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

3.11 ऊर्जा (विद्युत शक्ति, कोयला, पेट्रोलियम और ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों सहित) परिवहन, उद्योग और खनिज, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण नामक क्षेत्रकों के लिए वर्ष 1988-89 की

योजना के एक साथ सार्वजनिक क्षेत्र के कुल परिव्यय का 63.42 प्रतिशत आवंटित किया गया, इनका अलग-अलग अंश क्रमशः 29.8 प्रतिशत; 14.25 प्रतिशत; 11.62 प्रतिशत और 7.75 प्रतिशत रहा। सामाजिक सेवाओं, ग्रामीण विकास और कृषि नामक अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रकों के लिए योजना परिव्यय का अंश क्रमशः 16.66 प्रतिशत, 5.72 प्रतिशत और 5.44 प्रतिशत था।

3.12 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की योजनाओं में विकास के जिन क्षेत्रकों के लिए 1987-88 की तुलना में अधिक परिव्यय दिया गया वे हैं—विज्ञान और प्रौद्योगिकी (13.3 प्रतिशत की वृद्धि), कृषि और सहायक सेवाएं (11.4 प्रतिशत), विशेष क्षेत्र कार्यक्रम (10.8 प्रतिशत), सामाजिक सेवा (9.9 प्रतिशत), उद्योग और खनिज (8.9 प्रतिशत), ऊर्जा (6.5 प्रतिशत) और परिवहन (5.6 प्रतिशत)। कुल राज्य योजना परिव्यय का लगभग 48.7 प्रतिशत भाग प्राथमिकता क्षेत्रकों को आवंटित किया गया जिनके नाम हैं—विद्युत शक्ति (29.8 प्रतिशत), सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण (7.8 प्रतिशत), ग्रामीण विकास (5.7 प्रतिशत) और कृषि तथा सम्बद्ध सेवाएं (5.4 प्रतिशत)।

3.13 प्राथमिकता कार्यक्रमों के अन्तर्गत परिव्ययों के निर्धारण की प्रक्रिया और इन क्षेत्रांक में पर्याप्त निवेश सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को आवंटित केन्द्रीय सहायता के साथ इसे जोड़ने का कार्य पिछले वर्ष की भांति चलता रहा।

3.14 विकास की महत्त्वपूर्ण स्कीमों/परियोजनाओं/उप क्षेत्रकों, जिनके लिए परिव्यय निर्धारित किए गए, की प्रगति की निगरानी सतत आधार पर की गई। वर्ष 1989-90 की वार्षिक योजना की तैयारी के संबंध में, वार्षिक योजना 1988-89 के कार्यान्वयन की प्रगति की पूर्ण समीक्षा को इसी के एक भाग के रूप में लिया गया और जहां भी आवश्यक था मध्य वार्षिक निवारक उपाय सुझाए गए।

3.15 योजना परिव्ययों और व्ययों के विवरण अनुबन्ध 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4 (क) और 3.5 में दिए गए हैं।

वार्षिक योजना 1989-90 को तैयार करना

3.16 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को योजना प्रस्तावों की तैयारी के समय ध्यान में रखी जाने वाली प्राथमिकताओं और कार्यक्रम-बलों को भी सूचित करते हुए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करने के साथ वार्षिक योजना 1989-90 की तैयारी की प्रक्रिया शुरू हुई।

3.17 सातवीं पंचवर्षीय योजना—1985-90 में परिकल्पित उद्देश्यों, प्राथमिकताओं और कार्यक्रमों की रूपरेखा के भीतर ही और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श करने के पश्चात् वर्ष 1989-90 की वार्षिक योजना तैयार की गई। वार्षिक योजना, परियोजनाओं/कार्यक्रमों/स्कीमों के लिए निर्धारित वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों के संदर्भ में वर्ष 1989-90 के दौरान वास्तविक परिलब्धियों के वास्तविक आकलन पर आधारित है।

3.18 गत वर्ष की ही भांति इस वर्ष भी योजना आयोग द्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के योजना प्रस्तावों का निरीक्षण करने के लिए विभिन्न कार्यदलों की स्थापना की गई। प्रत्येक कार्यदल का अध्यक्ष, आयोग में संबंधित विषय के प्रभाग के सलाहकार हैं। जिनकी सहायता संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/एजेंसियों और राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा की जाती है।

3.19 योजना आयोग का राज्य योजना प्रभाग इस संबंध में प्रक्रियाओं और कार्यों का समन्वय करता है, जिसमें विषय से संबंधित प्रभाग, केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग/एजेंसी और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पूरी तरह से शामिल किया जाता है। विषय से संबंधित प्रभाग राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रस्तावों पर अपनी टिप्पणियों सुझावों सहित पृष्ठ भूमि संबंधी टिप्पणियां तैयार करता है। कार्यदल की गई प्रगति/समस्याओं और भविष्य की आवश्यकताओं का आकलन करके अपनी सिफारिशें सलाहकार (राज्य योजना) के पास भेज देते हैं। सलाहकार (राज्य योजना) ने प्रत्येक राज्य के लिए अंतिम बैठक आयोजित की और वर्ष 1989-90 के लिए वार्षिक योजना परिव्ययों की सिफारिश दी। राज्य योजना परिव्ययों की सिफारिश करते समय वे विभिन्न कार्यदलों द्वारा की गई सिफारिशों और राज्यों के संसाधनों के आकलन के आधार पर योजना आयोग के वित्तीय संसाधन प्रभाग द्वारा यथा आकलित समस्त वित्तीय संसाधनों को भी ध्यान में रखते हैं।

3.20 इसके पश्चात् योजना आयोग के उपाध्यक्ष और प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्रियों के बीच अलग-अलग हुई उच्चतम स्तर की बैठकों में राज्यों के वार्षिक योजना परिव्ययों को अन्तिम रूप दिया गया।

3.21 नवम्बर, 1988 से जनवरी, 1989 के बीच योजना आयोग के सचिव द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ हुई बैठकों में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के वार्षिक योजना 1989-90 प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया। इन बैठकों का कार्यक्रम और आयोजन, योजना आयोग के सचिव के परामर्श से योजना समन्वय प्रभाग द्वारा किया गया।

3.22 मंत्रालयों के प्रस्तावों पर मंत्रालय/विभाग के अधिकारियों के परामर्श से संबंधित विषय के प्रभाग द्वारा तैयार की गई पृष्ठभूमि, टिप्पणियां इन बैठकों के विचार-विमर्श का आधार बनीं। योजना आयोग के संबंधित क्षेत्रकीय प्रभाग ने वास्तविक और वित्तीय कार्य निष्पादनों, विशेषतया औद्योगिक और आधार संरचनात्मक क्षेत्रकों से संबंधित प्रस्तावों के संदर्भ में, पर विशद विचार-विमर्श किया।

3.23 वित्त मंत्रालय के योजना वित्त प्रभाग सहित योजना आयोग के योजना समन्वय प्रभाग और वित्तीय संसाधन प्रभाग, वार्षिक योजना परिव्ययों को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से लगे रहे। योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के बीच घनिष्ठ समन्वय के माध्यम से वर्ष 1989-90 के लिए सकल बजटीय सहायता का आकलन और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के उपलब्ध रहने की सम्भावना है। योजना आयोग के सचिव और ऊपर बताए गए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के सचिवों के बीच हुई बैठकों में पृष्ठभूमि टिप्पणियों में दिए गए सुझावों और वर्ष के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आकलन को ध्यान में रखते हुए विभाग/मंत्रालयवार परिव्यय तैयार किए गए। इन परिव्ययों को बाद में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को सूचित करते हुए वित्त मंत्रालय को भी सूचित किया गया ताकि इन परिव्ययों को वर्ष 1989-90 के योजना बजट में समाविष्ट किया जा सके।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

3.24 ग्रामीण क्षेत्रों और समाज के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने हेतु महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को जारी रखा गया। राज्य योजना के अधीन इस कार्यक्रम के 12 अवयव हैं जिनके नाम हैं—बुनियादी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सफाई, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ईंधन लकड़ी के लिए वृक्षारोपण, ग्रामीण आवास, गन्दी बस्तियों का पर्यावरणी सुधार, तथा पोषाहार और लोक वितरण प्रणाली।

3.25 वर्ष 1988-89 की योजना में इस कार्यक्रम के लिए कुल 2261.94 करोड़ रुपए आवंटित किए गए जो कि राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के कुल परिव्यय का लगभग 11 प्रतिशत है। ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के लिए सर्वाधिक परिव्यय का आवंटन हुआ जो कि 563.81 करोड़ रुपए रहा, इसके पश्चात् बुनियादी शिक्षा के लिए 498.96 करोड़ रुपए, ग्रामीण सड़कों के लिए 317.66 करोड़ रुपए, ग्रामीण स्वास्थ्य के लिए 228.69 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। जलापूर्ति के कार्यक्रम को केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम द्वारा महत्त्वपूर्ण गति दी जा रही है।

आठवीं योजना तैयार करना

3.26 वर्ष 1988-89 को सातवीं योजना का अंतिम वर्ष निर्धारित किया गया। इस वर्ष के दौरान आठवीं पंचवर्षीय योजना की तैयारी से संबंधित प्रारंभिक कार्यों में महत्त्वपूर्ण गति आई।

3.27 आठवीं योजना के लिए संभावनाओं और विषयों से संबंधित लेख पर, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पूर्ण योजना आयोग की मई, 1988 में हुई बैठक में विचार-विमर्श किया गया। संविमर्शों के अनुपालन में निदेश प्राप्त कर लिए गए ताकि आठवीं योजना के लिए वैकल्पिक संवृद्धि दरों से संबंधित लेख तैयार किया जा सके।

3.28 आठवीं योजना के लिए वैकल्पिक संवृद्धि दर से संबंधित लेख योजना आयोग में कई विचार-विमर्शों के बाद आंतरिक रूप से तैयार किया गया और अगस्त, 1988 में पूर्ण योजना आयोग की बैठक में इस पर विचार किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि वैकल्पिक संवृद्धि दरों की बचतों और नीति के निहितार्थों को स्पष्ट करने के लिए विस्तृत क्रियाओं की आवश्यकता है। इसके अनुसरण में योजना आयोग में विचार-विमर्श हुए और 17.10.88 को पूर्ण योजना आयोग के समक्ष आठवीं योजना के लिए वैकल्पिक संवृद्धि दरों की बचतों और नीति के निहितार्थों को स्पष्ट करने वाला लेख प्रस्तुत किया गया। पूर्ण योजना आयोग ने मामले पर गहराई से विचार किया और यह निदेश दिया कि आठवीं योजना के लिए 6 प्रतिशत की औसत संवृद्धि दर पर आधारित नीति संबंधी प्रारूप प्रलेख तैयार करके आयोग को प्रस्तुत किया जाए।

3.29 प्रारूपी नीति लेख इस समय तैयारी की अन्तिम अवस्था में है, इस पर योजना आयोग में ही विभिन्न स्तरों पर दर्जनों बैठकों में विचार विमर्श किया गया है और शीघ्र ही पूर्ण योजना आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

3.30 योजना आयोग के विभिन्न प्रभाग न केवल वैकल्पिक संवृद्धि दर की नीति के निहितार्थों और प्रारूपी नीति लेख से संबंधित विभिन्न लेखों अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए प्रारूप खण्डों को तैयार करना, निदेशों के लिए विषयों को सामने लाना, इत्यादि की तैयारी में लगे रहे बल्कि आठवीं योजना की तैयारी में मदद के लिए गठित विभिन्न संचालन समितियों और कार्यदलों के कार्यों की तैयारी में भी गंभीरता पूर्वक लगे रहे।

3.31 अभी तक 22 संचालन समितियां/दल गठित किए जा चुके हैं जिनमें अपने-अपने क्षेत्रों में उच्च क्षमता वाले सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं ताकि–

(क) विभिन्न क्षेत्रकों के समग्र प्रकार्यों का आकलन किया जा सके
(ख) उनके द्वारा की गई वास्तविक और वित्तीय प्रगति की परिलब्धियों की समीक्षा, और

(ग) उल्लिखित समीक्षाओं के परिप्रेक्ष्य में, प्राथमिकताओं, नीतियों और वित्तीय लागतों को सूचित करते हुए आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) के लिए प्रारूपी प्रस्तावों और विकास की संभावनाओं को तैयार करना।

3.32 संचालन समितियों/दलों के अनुरोध पर या अन्य बातों के कारण कार्यदलों को भी गठित किया गया ताकि आठवीं पंचवर्षीय योजना की तैयारी के लिए विशिष्ट क्षेत्रों/पहलुओं का अध्ययन किया जा सके और अपेक्षित निविष्टियां प्रदान की जा सकें।

3.33 आठवीं योजना की तैयारी के संदर्भ में गठित विभिन्न संचालन समितियों और कार्यदलों का सारांश अनुबन्ध I में दिया गया है।

अनुबंध 3.1

संक्षिप्त विवरण

सातवीं योजना परिव्यय तथा व्यय में वृद्धि
केन्द्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	विवरण के शीर्ष	सातवीं योजना परिव्यय 1985-90	वार्षिक योजना 1985-86 (वास्तविक)	वार्षिक योजना 1986-87 (वास्तविक)	वार्षिक योजना 1987-88 (संशोधित अनुमान)	वार्षिक योजना 1988-89 (योजना परिव्यय)	जोड़ 1985-88 (कालम 3+4+5+6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	केन्द्र	95534.00	19115.47	22401.76	25700.69	28714.65	95932.57
2.	राज्य	80698.00	13249.52	16042.98	17260.75	20333.19	66886.44
3.	संघ राज्य क्षेत्र	3768.00	694.91	704.37	716.49	770.00	2885.77
	जोड़	180000.00	33059.90	39149.11	43677.93	49817.84	165704.78
प्राकृतिक विपदाओं से राहत के लिए केन्द्रीय सहायता		—	361.19	556.05	1113.55		

अनुबन्ध 3.2

सातवीं योजना परिव्यय तथा व्यय में वृद्धि

केन्द्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	विकास के शीर्ष	सातवीं योजना परिव्यय 1985-90	वार्षिक योजना 1985-86 (वास्तविक)	वार्षिक योजना 1986-87 (वास्तविक)	वार्षिक योजना 1987-88 (संशोधित अनुमान)	वार्षिक योजना 1988-89 (योजना परिव्यय)	जोड़ 1985-89 (कालम 4+5+6+7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	10523.62	1825.92	2215.79	2632.31	2712.12	9386.14
2.	ग्रामीण विकास	8906.08	2226.14	2667.65	2886.75	2848.81	10629.35
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	2803.59	447.33	627.60	661.55	771.80	2508.28
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	16978.65	2792.24	3221.63	3345.88	3858.66	13218.41
5.	ऊर्जा	55128.96	9678.97	11458.40	12252.53	14847.32	48237.22
	1. विद्युत	34273.46	5615.53	6701.45	7437.70	9584.08	29338.76
	2. पैट्रोलियम	12935.37	2935.64	3382.03	3414.99	3394.56	13127.22
	3. अन्य	7920.13	1127.80	1374.92	1399.84	1868.68	5771.24
6.	उद्योग एवं खनिज	22107.85	5437.12	5564.05	5794.06	5789.36	22584.59
	1. ग्राम एवं लघु उद्योग	2752.74	524.35	615.74	619.71	684.73	2444.53
	2. लोहा तथा इस्पात उद्योग	6420.13	1495.51	1357.54	1519.97	1575.00	5948.02
	3. उर्वरक उद्योग	2660.75	648.68	845.97	995.47	671.00	3161.12
	4. पैट्रोरसायन उद्योग	592.30	122.58	245.81	332.99	406.56	1107.94
	5. परमाणु उर्जा उद्योग	1010.00	291.88	305.35	260.72	283.57	1141.52
	6. अन्य	8671.93	2354.12	2193.64	2065.20	2168.50	8781.46

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7.	परिवहन	22644.86	4072.19	5201.43	6011.57	7101.15	22386.34
	1. रेलवे	12334.55	1941.68	2697.06	3300.00	3850.00	11788.74
	2. अन्य	10310.31	2130.51	2504.37	2711.57	3251.15	10597.60
8.	संचार	4474.52	942.12	1085.61	1503.92	1821.82	5353.47
9.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	2463.06	404.78	512.38	616.25	795.60	2329.01
10.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	1395.60	179.05	423.12	370.22	558.79	1531.18
11.	सामाजिक सेवाएं	31545.24	4858.45	5901.99	7256.87	8297.61	26314.92
	1. शिक्षा	6382.65	876.79	1014.38	1628.37	1923.50	5443.04
	2. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	3392.89	579.89	641.77	773.03	868.11	2862.80
	3. परिवार कल्याण	3256.26	479.81	561.11	572.89	600.00	2213.81
	4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	6522.47	1181.08	1292.54	1553.66	1700.32	5727.60
	5. आवास और शहरी विकास	4229.50	761.11	920.05	953.48	1068.91	3703.55
	6. अन्य	7761.47	979.77	1472.14	1775.44	2136.77	6364.12
12.	सामाजिक सेवाएं	1027.97	195.59	269.46	346.02	414.80	1225.87
	जोड़ (1+2)	180000.00	33059.90	39149.11	43677.93	49817.84	165704.78
प्राकृतिक विपदाओं से राहत के लिए केन्द्रीय सहायता		—	361.19	556.19	1113.55	—	

अनुबंध 3.3

सातवीं योजना परिव्यय तथा व्यय में वृद्धि – केन्द्र

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	विकास के शीर्ष	सातवीं योजना परिव्यय 1985-90	वार्षिक योजना 1985-86 (वास्तविक)	वार्षिक योजना 1986-87 (वास्तविक)	वार्षिक योजना 1987-88 (संशोधित अनुमान)	वार्षिक योजना 1988-89 (योजना परिव्यय)	जोड़ 1985-89 (कालम 4+5+6+7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	4006.71	745.52	864.74	1157.23	1078.30	3845.79
2.	ग्रामीण विकास	4901.59	1235.14	1617.75	1744.14	1761.70	6358.73
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	—	—	—	—	—
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	834.93	122.72	171.09	173.80	217.70	685.31
5.	ऊर्जा	31799.84	6209.85	7367.38	7936.63	9195.96	30709.82
	1. विद्युत	11051.54	2160.09	2628.43	3140.48	3962.70	11891.70
	2. पैट्रोलियम	12935.37	2935.64	3382.03	1381.16	1838.70	5690.90
	3. अन्य	7812.93	1114.12	1356.92	1381.92	1838.70	5690.90
6.	उद्योग एवं खनिज	18199.99	4665.59	4637.44	4911.77	4789.06	19003.86
	1. ग्राम एवं लघु उद्योग	1284.84	255.03	311.44	302.22	336.59	1205.28
	2. लोहा तथा इस्पात उद्योग	6420.13	1495.51	1357.54	1519.97	1575.00	5948.02
	3. उर्वरक उद्योग	2660.75	648.68	845.97	995.47	671.00	3161.12
	4. पैट्रोरसायन उद्योग	592.30	122.58	245.81	332.99	406.56	1107.94
	5. परमाणु उर्जा उद्योग	1010.00	291.88	305.35	260.72	283.57	1141.52
	6. अन्य	6231.97	1851.91	1571.33	1500.40	1516.34	6439.98
7.	परिवहन	16320.69	2963.86	3847.52	4639.38	5572.00	17022.76
	1. रेलवे	12334.30	1941.58	2697.06	3300.00	3850.00	11788.64
	2. अन्य	3986.39	1022.28	1150.48	1339.38	1722.00	5234.14
8.	संचार	4465.78	942.11	1084.81	1502.92	1820.30	5350.14
9.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	2300.49	380.67	480.92	579.46	750.43	2191.48

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	416.62	69.85	122.01	140.21	157.58	489.65
11.	सामाजिक सेवाएं	11938.44	1731.03	2158.30	2841.63	3268.43	9999.39
	1. शिक्षा	2388.64	283.45	288.22	711.75	797.66	2081.08
	2. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	897.34	181.58	172.82	191.14	228.00	773.54
	3. परिवार कल्याण	3256.26	479.81	561.11	572.89	600.00	2213.81
	4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	1236.83	298.44	330.23	390.43	432.00	1451.10
	5. आवास और शहरी विकास	427.88	51.93	52.22	55.42	74.65	234.22
	6. अन्य	3731.49	435.82	753.70	920.00	1136.12	3245.64
12.	सामाजिक सेवाएं	348.92	49.13	49.80	73.52	103.59	276.04
	जोड़ (1+12)	95534.00	19115.47	22401.76	25700.69	28714.65	95932.57

अनुबंध 3.4

सातवीं योजना परिव्यय तथा व्यय में वृद्धि–राज्य

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	विकास के शीर्ष	सातवीं योजना परिव्यय 1985-90	वार्षिक योजना 1985-86 (वास्तविक)	वार्षिक योजना 1986-87 (वास्तविक)	वार्षिक योजना 1987-88 (संशोधित अनुमान)	वार्षिक योजना 1988-89 (योजना परिव्यय)	जोड़ 1985-89 (कालम 4+5+6+7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	6248.40	1040.93	1329.88	1455.49	1610.87	5437.17
2.	ग्रामीण विकास	3974.70	986.32	1046.99	1139.47	1083.77	4256.55
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	2803.59	446.29	627.60	661.55	771.80	2507.24
4.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	15949.77	2636.53	3023.23	3157.35	3626.90	12444.01
5.	ऊर्जा	22786.15	3294.18	3888.62	4119.51	5434.49	16736.80
	1. विद्युत	22686.76	3282.98	3872.91	4102.01	5405.57	16663.47
	2. पैट्रोलियम	—	—	—	—	—	—
	3. अन्य	99.39	11.20	15.71	17.50	28.92	73.33
6.	उद्योग एवं खनिज	3785.88	750.05	907.65	865.03	981.96	3504.69
	1. ग्राम एवं लघु उद्योग	1378.52	253.63	290.20	303.12	334.96	1181.91
	2. लोहा तथा इस्पात उद्योग	—	—	—	—	—	—
	3. उर्वरक उद्योग	—	—	—	—	—	—
	4. पैट्रोरसायन उद्योग	—	—	—	—	—	—
	5. परमाणु उर्जा उद्योग	—	—	—	—	—	—
	6. अन्य	2407.36	496.42	617.45	561.91	647.00	2322.78
7.	परिवहन	5608.19	994.70	1243.55	1247.79	1395.83	4881.87
	1. रेलवे	0.25	0.10	—	—	—	—
	2. अन्य	5607.94	994.60	1243.55	1247.79	1395.83	4881.77
8.	संचार	8.49	0.01	0.80	1.00	1.51	3.32
9.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	157.28	23.49	30.62	35.80	44.14	134.05
10.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	941.41	102.86	296.28	224.08	395.91	1019.13

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11.	सामाजिक सेवाएं	17782.96	2834.93	3437.76	4091.50	4685.47	15049.66
	1. शिक्षा	3488.71	528.80	727.04	925.30	1143.95	3327.09
	2. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2240.33	362.82	419.31	537.27	589.99	1909.39
	3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—
	4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	4848.06	805.67	890.48	1090.98	1187.55	3974.68
	5. आवास और शहरी विकास	3281.09	608.88	765.30	786.95	882.91	3044.04
	6. अन्य	3924.77	528.76	635.63	751.00	879.07	2794.46
	सामान्य सेवाएं	651.18	139.23	210.00	262.18	300.54	911.95
	जोड़ (1+12)	80698.00	13249.52	16042.98	17260.75	20333.19	66886.44
	प्राकृतिक विपदाओं से राहत के लिए केन्द्रीय सहायता	—	361.19	556.05	1113.55	—	—

अनुबंध 3.4 (क)

सातवीं योजना परिव्यय तथा व्यय में वृद्धि—संघ राज्य क्षेत्र

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	विकास के शीर्ष	सातवीं योजना परिव्यय 1985-90	वार्षिक योजना 1985-86 (वास्तविक)	वार्षिक योजना 1986-87 (वास्तविक)	वार्षिक योजना 1987-88 (संशोधित अनुमान)	वार्षिक योजना 1988-89 (योजना परिव्यय)	जोड़ 1985-88 (कालम 3+4+5+6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	268.51	39.47[1]	21.17	19.59	22.93	103.18
2.	ग्रामीण विकास	29.79	4.68	2.91	3.14	3.34	14.07
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	1.04	—	—	—	1.04
4.	सिंचाई एवं बाढ़ कार्यक्रम	193.95	32.99	27.31	14.73	14.46	89.49
5.	ऊर्जा	542.97	174.94	202.40	196.39	216.87	790.60
	1. विद्युत	535.16	172.46	200.11	195.21	215.81	783.59
	2. पैट्रोलियम	—	—	—	—	—	—
	3. अन्य	7.81	2.48	2.29	1.18	1.06	7.01
6.	उद्योग एवं खनिज	121.98	21.48	18.96	17.26	18.34	76.04
	1. ग्राम एवं लघु उद्योग	89.38	15.69	14.10	14.37	13.18	57.34
	2. लोहा तथा इस्पात उद्योग	—	—	—	—	—	—
	3. उर्वरक उद्योग	—	—	—	—	—	—
	4. पैट्रोरसायन उद्योग	—	—	—	—	—	—
	5. परमाणु उर्जा उद्योग	—	—	—	—	—	—
	6. अन्य	32.60	5.79	4.86	2.89	5.16	18.70
7.	परिवहन	715.98	113.63	110.36	124.40	133.32	481.71
	1. रेलवे	—	—	—	—	—	—
	2. अन्य	715.98	113.63	110.36	124.40	133.32	481.71
8.	संचार	0.25	—	—	—	0.01	0.01
9.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	5.29	0.62	0.84	0.99	1.03	3.48
10.	सामान्य आर्थिक सेवाएं	37.57	6.34	4.83	5.93	5.30	22.40
11.	सामाजिक सेवाएं	1823.84	292.49	305.93	323.74	343.71	1265.87
	1. शिक्षा	505.30	64.54	67.24	77.25	81.48	290.51

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	255.22	35.49	49.64	44.62	50.12	179.87
	3. परिवार कल्याण	—	—	—	—	—	—
	4. जल आपूर्ति और स्वच्छता	437.56	76.97	71.83	72.65	80.77	302.22
	5. आवास और शहरी विकास	520.53	100.30	102.53	111.11	111.35	425.29
	6. अन्य	105.21	15.19	23.51	18.11	19.99	76.80
12.	सामाजिक सेवाएं	27.87	7.23	9.66	10.32	10.67	37.88
	जोड़ (1+12)	3768.00	694.91	704.37	716.49	770.00	2885.77

1. इसमें अरुणाचल प्रदेश मिजोरम और गोवा दमन और दीव शामिल हैं।

अनुबंध 3.5

सातवीं योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की वित्तीय प्रगति

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम संघटक का नाम	7वीं योजना 1985-90 परिव्यय	1985-86			1986-87		
			परिव्यय	वास्तविक व्यय	कालम 5/4 की प्रतिशतता	परिव्यय	वास्तविक व्यय	कालम 8/7 की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	प्रारंभिक शिक्षा	1830.45	280.19	268.57	95.85	379.08	377.66	99.63
2.	प्रौढ़ शिक्षा	360.00	65.54	62.15	94.82	96.86	70.94	73.24
3.	ग्रामीण स्वास्थ्य	1093.35	181.59	129.06	72.63	182.10	147.16	80.81
4.	ग्रामीण जल पूर्ति	3454.47	655.59	700.93	106.91	734.13	801.81	109.22
5.	ग्रामीण सड़कें	1729.40	293.27	252.79	86.19	241.89	310.58	128.40
6.	ग्रामीण विद्युतीकरण	497.08	77.24	58.92	75.63	95.92	131.27	136.85
7.	ग्रामीण आवास	576.90	99.95	102.85	102.90	105.18	140.62	133.49
8.	शहरी गन्दी बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार	269.55	37.85	44.87	118.60	47.27	45.02	95.24
9.	पोषाहार	1732.86	312.59	175.28	56.07	310.78	220.41	70.92
10.	ग्रामीण ऊर्जा							
	1. उन्नत चूल्हें	40.00	10.00	9.85	98.50	6.00	4.68	78.00
	2. ग्रामीण ईंधन लकड़ी वृक्षारोपण स्कीम	215.00	50.43	36.65	72.67	42.12	35.68	84.71
11.	ग्रामीण स्वच्छता	—	—	—	—	—	—	—
12.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	—	—	—	—	—	—	—
	जोड़:	11799.06	2064.22	1841.42	89.20	2241.33	2285.83	101.98

अनुबंध 3.5

सातवीं योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की वित्तीय प्रगति

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम संघटक का नाम	1987-88 परिव्यय	कालम 11/10 की की प्रतिशतता	वार्षिक योजना 1988-89 परिव्यय	जोड़ 1985-89 (कालम 5+8+11+13)	7वीं योजना परिव्यय के संदर्भ में व्यय/ परिव्यय की प्रतिशतता
1	2.	10	11	12	13	14	15
1.	प्रारंभिक शिक्षा	626.33	685.33	109.42	753.36	2084.92	113.90
2.	प्रौढ़ शिक्षा	113.66	127.10	111.82	117.13	377.32	104.81
3.	ग्रामीण स्वास्थ्य	208.84	225.06	107.77	231.47	732.75	67.02
4.	ग्रामीण जल पूर्ति	863.35	916.20	106.12	973.56	3392.50	98.21
5.	ग्रामीण सड़कें	299.92	341.16	113.75	317.66	1222.19	70.67
6.	ग्रामीण विद्युतीकरण	107.81	107.81	100.00	124.27	421.77	84.85
7.	ग्रामीण आवास	113.24	108.80	96.08	131.20	483.47	83.80
8.	शहरी गन्दी बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार	46.35	46.61	100.56	51.08	187.58	69.59
9.	पोषाहार	322.02	288.29	89.53	296.57	980.55	56.59
10.	ग्रामीण ऊर्जा						
	1. उन्नत चूल्हें	9.02	8.86	98.23	10.00	33.39	83.48
	2. ग्रामीण ईंधन लकड़ी वृक्षारोपण स्कीम	46.07	13.30	28.87	33.90	119.53	55.60
11.	ग्रामीण स्वच्छता	30.16	29.25	96.98	29.70	58.95	
12.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	55.79	60.69	108.78	50.62	111.31	
	जोड़:	2842.56	2959.09	104.10	3120.52	10206.85	86.51

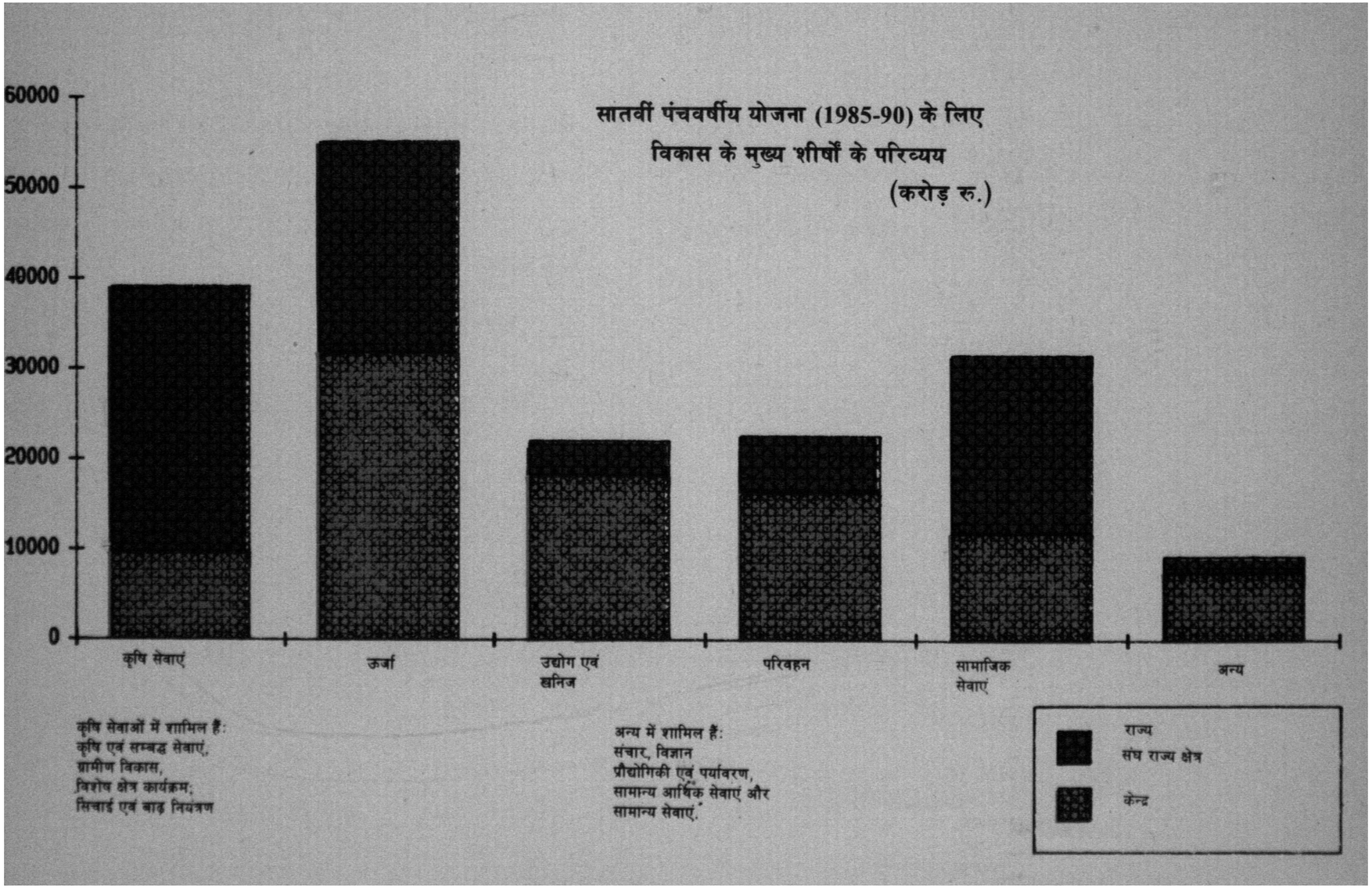
सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के लिए
विकास के मुख्य शीर्षों के परिव्यय
(करोड़ रु.)
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
कृषि सेवाएं
ऊर्जा
उद्योग एवं खनिज
परिवहन
सामाजिक सेवाएं
अन्य
कृषि सेवाओं में शामिल हैं:
कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं,
ग्रामीण विकास,
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम;
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण
अन्य में शामिल हैं:
संचार, विज्ञान
प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण,
सामान्य आर्थिक सेवाएं और
सामान्य सेवाएं.
राज्य
संघ राज्य क्षेत्र
केन्द्र

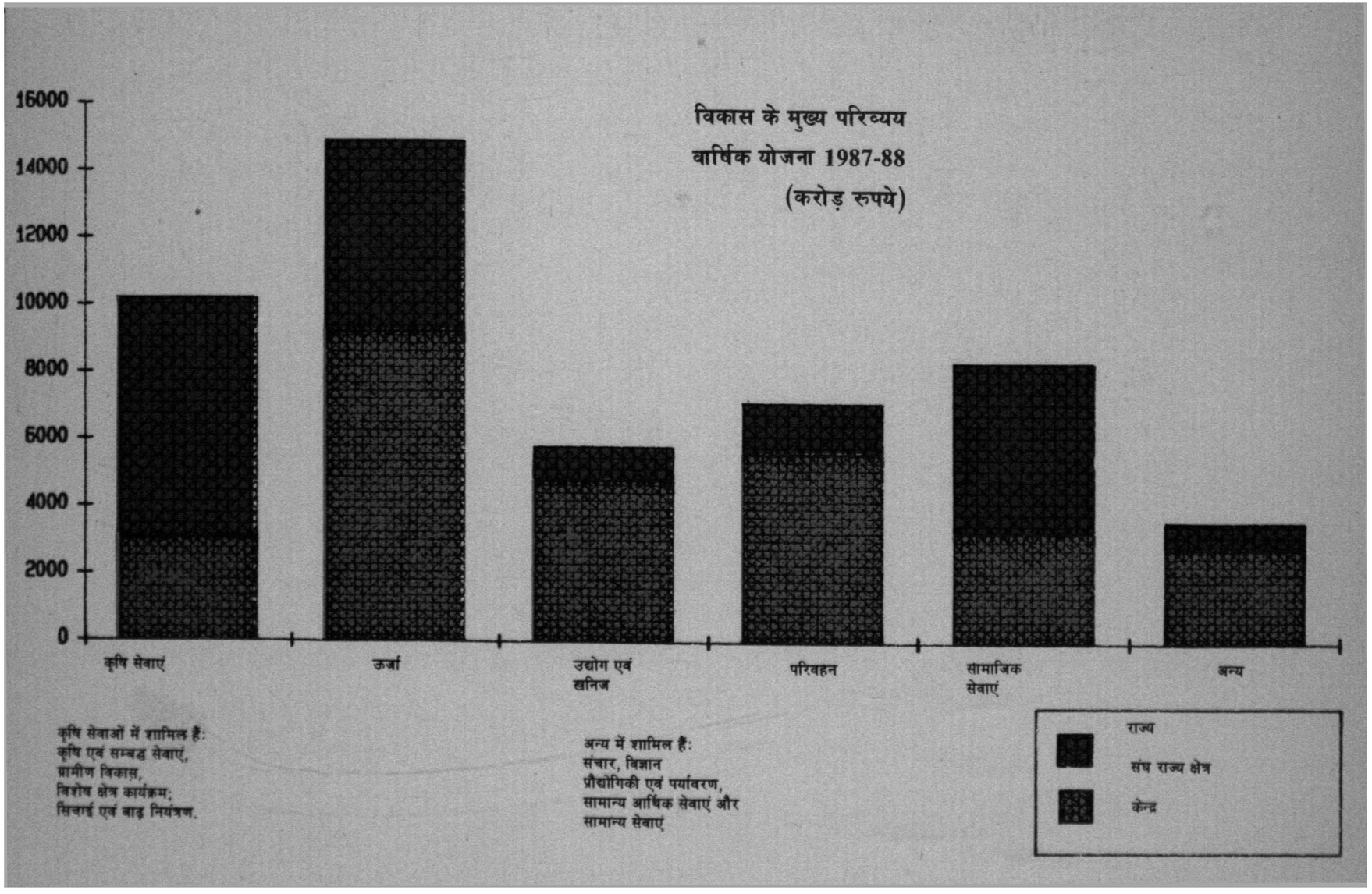
विकास के मुख्य परिव्यय
वार्षिक योजना 1987-88
(करोड़ रुपये)
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
कृषि सेवाएं
ऊर्जा
उद्योग एवं खनिज
परिवहन
सामाजिक सेवाएं
अन्य
कृषि सेवाओं में शामिल हैं:
कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएं,
ग्रामीण विकास,
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम;
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण.
अन्य में शामिल हैं:
संचार, विज्ञान
प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण,
सामान्य आर्थिक सेवाएं और
सामान्य सेवाएं
राज्य
संघ राज्य क्षेत्र
केन्द्र

अध्याय—4

मुख्य कार्यकलाप—एक परिप्रेक्ष्य

योजना आयोग द्वारा किए गए मुख्य कार्यकलापों का एक परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित पैरा में दिया गया है।

राष्ट्रीय विकास परिषद्

4.2 राष्ट्रीय विकास परिषद् एक केन्द्रक (नाडल) निकाय है, जिसके अध्यक्ष प्रधान मंत्री हैं और केन्द्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्य मंत्री तथा संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल तथा प्रशासक भी इसके सदस्य हैं और जो विकासात्मक योजना की नीतियों और कार्यनीतियों पर विचार करके इन्हें अनुमोदित करती है। योजना आयोग परिषद् की व्यवस्था करता है।

4.3 दिनांक 19.3.1988 को राष्ट्रीय विकास परिषद् की 40वीं बैठक हुई। इस बैठक में, परिषद् ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन को पृष्ठांकित करके बैठक के सम्मुख विचार-विमर्श हेतु प्रस्तुत किया।

4.4 बैठक के विचार-विमर्शों को समाविष्ट करते हुए संक्षिप्त विवरण जारी कर दिया गया। बैठक में दी गई अनेक महत्त्वपूर्ण टिप्पणियों तथा सुझावों पर अनुवर्ती कार्रवाई भी कर ली गई है।

पूर्ण योजना आयोग की बैठकें

4.5 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान पूर्ण योजना आयोग की चार बार बैठकें हुईं।

4.6 पूर्ण योजना आयोग की पहली बैठक डा. जी.बी.के. राव की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक प्रबंधों से सम्बद्ध समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 27.4.1988 को हुई जिसमें व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात्, यह निर्णय लिया गया कि चूंकि इसमें अपेक्षित विस्तृत विचारार्थ अनेक मुद्दे हैं, अतः पहले मंत्रियों के एक दल को जिल कलक्टरों की विभिन्न कार्यशालाओं से सामने आए दृष्टिकोण जो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से उपलब्ध होंगे को भी ध्यान में रखकर मामले की छानबीन करनी चाहिए।

4.7 पर्ण योजना आयोग की दूसरी बैठक दिनांक 23.5.1988 को हुई जिसमें आठवीं योजना तैयार करने के संबंध में परिप्रेक्ष्यों और मुद्दों पर विचार किया गया। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, आयोग को आठवीं योजना के लिए वैकल्पिक संवृद्धि दरों की विवक्षाओं को निर्दिष्ट करते हुए एक नोट तैयार करने के लिए कहा गया।

प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में पूर्ण योजना आयोग की बैठक

4.8 दिनांक 11.8.1988 को हुई पूर्ण योजना आयोग की तीसरी बैठक में वैकल्पिक संवृद्धि दरों की विवक्षाओं को प्रतिपादित करने वाले इस दस्तावेज पर फिर विचार-विमर्श किया गया, फिर विस्तृत विचार-विमर्शों के बाद आठवीं योजना के लिए परिकल्पिक वैकल्पिक संवृद्धि दरों को प्रतिपादित करते हुए दस्तावेज संशोधित करने तथा बचत व नीति विवक्षाओं को स्पष्ट करने के विषय में सुझाव दिए गए।

4.9 पूर्ण योजना आयोग की चौथी बैठक 17.10.1988 को हुई जिसमें योजना आयोग दस्तावेज "आठवीं योजना–वैकल्पिक संवृद्धि दरों से बचत तथा नीति विवक्षा" पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया। विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात्, आयोग को आठवीं योजना के लिए छः प्रतिशत की संवृद्धि दर के आधार पर एक नीति पत्र तैयार करने का निदेश किया गया।

मंत्रियों के दल की बैठकें

4.10 ग्रामीण विकास तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित प्रशासनिक प्रबंधों से सम्बद्ध जी.बी.के. राव समिति रिपोर्ट की विस्तारपूर्वक जांच करने की दृष्टि से गठित मंत्रियों के दल की दो बैठकें हुईं। पहली बैठक 29.9.1988 को तथा दूसरी बैठक 22.11.1988 को हुई।

4.11 इन दो बैठकों में, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा प्रशासन के फील्ड स्तरों पर अपेक्षित प्रशासनिक प्रबंधों के स्वरूप पर आयोजित जिला कलक्टरों की विभिन्न कार्यशालाओं से उद्धृत दृष्टिकोणों के सहयोजन से जी.वी.के. राव समिति रिपोर्ट में की गई विभिन्न सिफारिशों पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया। जबकि अंतिम विचार अभी निश्चित करने हैं फिर भी अस्थायी तौर पर यह सहमति थी कि प्रारंभिक स्तर पर समन्वित आयोजना तथा क्रियान्वयन को युक्तिसंगत बनाने की दृष्टि से जिला स्तर तथा इससे नीचे के स्तर पर सु-परिभाषित कार्य एवं बृहत शक्तियों से युक्त सम्यक तथा नियमित

रूप से चुने हुए निकायों की नितांत आवश्यकता है। इस दिशा में ठोस विचार पर पहुंचने के लिए आगे कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

संसदीय समिति की बैठकें

4.12 योजना मंत्रालय से सम्बद्ध संसदीय परामर्शदात्री समिति के फोरम के जरिए योजना आयोग संसद से सक्रिय रूप से सम्पर्क रखता है। योजना आयोग पंचवर्षीय/वार्षिक योजनाएं तैयार करते समय तथा आर्थिक विकास से संबंधित महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेते समय समिति के सदस्यों द्वारा बैठकों में दिए गए महत्त्वपूर्ण सुझावों को भली-भांति ध्यान में रखता है।

4.13 योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के रूप में योजना मंत्रालय से सम्बद्ध संसदीय परामर्शदात्री समिति का गठन 20.5.1987 को हुआ। समिति के निम्नलिखित सदस्य हैं:–

श्री माधव सिंह सोलंकी — अध्यक्ष
योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री

श्री बीरेन सिंह ऐंगती
योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री

लोक सभा सदस्य

1. श्री डी. नारायण स्वामी
2. श्री मुहीराम सेकिया
3. श्री डी.पी. यादव
4. श्री राम स्वरूप राम
5. श्री के. नारायण स्वामी
6. श्री शरद शंकर दीघे
7. श्री बाला साहेब विखे पाटिल
8. श्रीमती उषा पी. चौधरी
9. श्री वृद्धि चन्द्र जैन
10. श्री गिरधारी लाल व्यास
11. श्री हन्नान मोल्लाह
12. श्री एम.वाई. घोरपडे
13. कैप्टन विलियमसन ए. संगम्मा

राज्य सभा सदस्य

1. श्री अश्विनी कुमार
2. श्री गुलाम रसूल मट्टू
3. श्री धर्मपाल
4. श्री अजीत सिंह
5. श्री पी.के. कुंजाचेन

श्रीमती शीला दीक्षित — पदेन सदस्य
संसदीय कार्य राज्य मंत्री

श्री एम.एम. जैकब — पदेन सदस्य
संसदीय कार्य राज्य मंत्री

श्री पी. नामग्याल — पदेन सदस्य
जल भूतल परिवहन एवं संसदीय कार्य उप मंत्री

श्री राधा कृष्ण मालवीय — पदेन सदस्य
श्रम एवं संसदीय कार्य उप मंत्री

4.14 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति की अब तक छः बार बैठकें हुई हैं और जिसके दौरान निम्नलिखित विषयों पर विचार किया गया:

क्रम सं०	बैठक की तारीख	विषय जिस पर विचार-विमर्श किया गया
1.	19.4.1988	परिवहन योजना, ढांचा, नीति
2.	15.7.1988	मुद्दे तथा परिप्रेक्ष्य
3.	5.9.1988	ग्राम तथा लघु उद्योग क्षेत्रक: ढांचा, नीति मुद्दे तथा परिप्रेक्ष्य
4.	28.10.1988	20 सूत्री कार्यक्रम में ग्रामीण रोजगार अभियान:
5.	17.11.1988	उपलब्धियां और समस्या क्षेत्र
6.	15.2.1989	खादी और ग्रामोद्योग: नीति मुद्दे तथा परिप्रेक्ष्य

हिन्दी सलाहकार समिति

4.15 योजना मंत्री की अध्यक्षता में हिन्दी सलाहकार समिति का पुर्नगठन 25.2.1988 को हुआ। संसद सदस्य, हिन्दी के प्रचार-प्रसार से संबंधित विभिन्न संगठनों से लिए गए गैर-सरकारी सदस्य तथा विषय से सम्बद्ध अन्य गैर-सरकारी व्यक्ति इसके सदस्य हैं। योजना आयोग और राजभाषा विभाग के कुछ अधिकारियों को भी समिति के लिए नामित किया जाता है।

4.16 वर्ष के दौरान अब तक हिन्दी सलाहकार समिति की तीन बार बैठकें हुईं।

4.17 इन बैठकों में, योजना मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों में हिन्दी के प्रयोग में प्राप्त प्रगति की समीक्षा की गई। इन बैठकों में मंत्रालय में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने से संबंधित सहसंबद्ध मुद्दों तथा किए जाने योग्य अपेक्षित विभिन्न उपायों पर भी विचार-विमर्श किया गया तथा जहां कहीं आवश्यक हुआ अनुवर्ती कार्रवाई की गई।

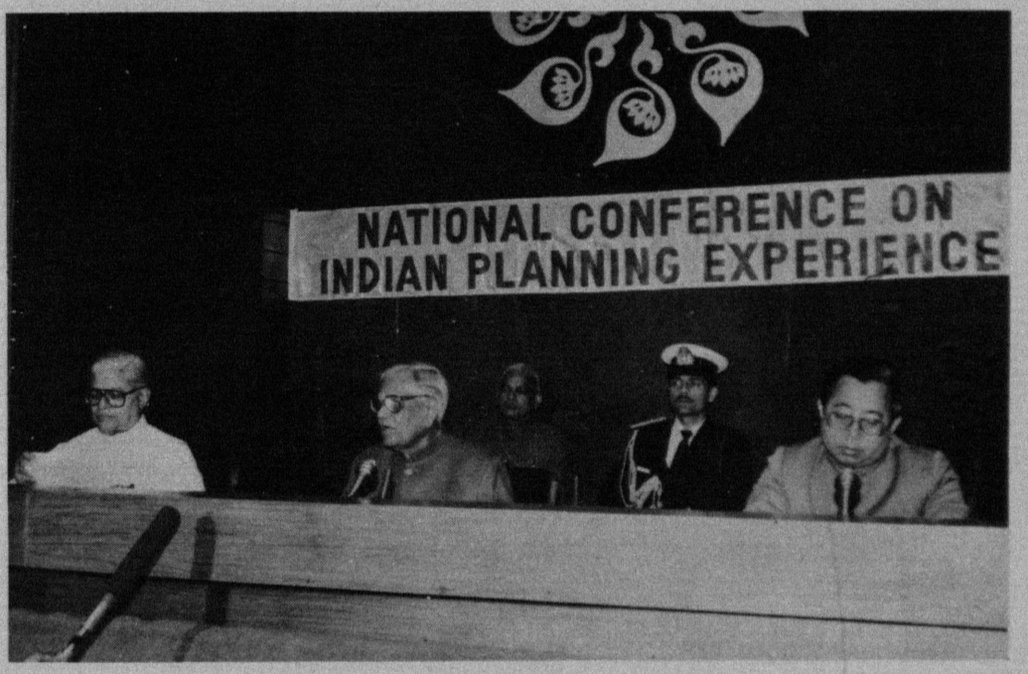

भारत के राष्ट्रपति, श्री आर. वैंकटरामन 11 तथा 12 फरवरी 89 को नई दिल्ली में आयोजित भारतीय आयोजना अनुभव संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए।

भारतीय योजना अनुभव पर राष्ट्रीय सम्मेलन

4.18 स्वतंत्रता के चालीस वर्ष तथा जवाहर लाल नेहरू जन्म शताब्दी के स्मरणोत्सव के संबंध मे समारोहों के भाग के रूप में, योजना आयोग ने 11 तथा 12 फरवरी, 1989 को संसदीय सौध, नई दिल्ली में भारतीय योजना अनुभव पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

4.19 सम्मेलन का समग्र उद्देश्य संवृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक न्याय था।

4.20 सम्मेलन विभिन्न क्षेत्रों के कुछ अति ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का संगम प्रतीत होता था जिसमें योजना आयोग के पूर्व तथा वर्तमान सदस्य, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, परिषद् सदस्य, वैज्ञानिक तथा प्रशासक शामिल थे।

4.21 दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति, श्री आर. वेंकटरामन ने प्रातःकाल 11 फरवरी, 1989 को किया। प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने सम्मेलन के एक विशेष सत्र को संशोधित किया। योजना आयोग के उपाध्यक्ष एवं योजना मंत्री, श्री माधव सिंह सोलंकी ने उद्घाटन सत्र तथा विशेष सत्र की अध्यक्षता की जिनको प्रधान मंत्री ने संबोधित किया।

4.22 भाग लेने वाले विख्यात व्यक्तियों ने आगामी कार्रवाई के अनुक्रम में दिशा निर्देशनों के निर्धारण और वैकल्पिक योजना प्रतिरूपों के संबंध में सुझाव देने के दृष्टिगत विगत चालीस वर्षों के दौरान देश द्वारा अपनाई गई योजना कार्यनीति, विकास प्रक्रिया तथा योजना की क्रियाविधि पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया।

4.23 तकनीकी सत्रों की अध्यक्षता श्री सी. सुब्रहमण्यम, प्रो. वी.के.आर.वी. राव, डा. वी. वेंकटप्पा तथा प्रो. वी.एम. दांडेकर जैसे प्रकाण्ड विद्वानों ने की। श्री तरलोक सिंह, प्रो. एस. चक्रवर्ती, प्रो. एस. धवन, प्रो. आई.जी. पटेल, डा. एम.एस. स्वामीनाथन, डा. सी. गोपालन, प्रो. ए.एम. खुसरो तथा डा. सी.एच. हनुमंत राव ने जो प्रस्तुति की उससे विकासात्मक योजना के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श आगे-आगे चलते गए। उद्यम के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कार्य निष्पादन के चुनींदे संकेतकों के अनुसार पचास के दशक से अस्सी के दशक तक जो परिवर्तन हुए हैं उनका सारांश प्रस्तुत करने के प्रयास के तहत "भारतीय योजना अनुभव-एक सांख्यिकीय रूपरेखा" नामक एक पुस्तिका तैयार करके तथा उसे प्रस्तुत करके भी इस अवसर का लाभ उठाया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें

4.24 विगत प्रक्रिया को दृष्टिगत रखते हुए, सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में हर सोमवार को प्रातः काल योजना आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकें समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भी जारी रहीं।

4.25 आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों को मध्य विचार विनिमय हेतु यह एक महत्त्वपूर्ण फोरम है जो या तो सामान्य रूप से योजना आयोग के संबंध में या फिर किसी विशेष प्रभाग के काम के संबंध में विभिन्न चालू मुद्दों पर विचार करने के लिए आवश्यक मंच की व्यवस्था करता है। इन बैठकों में मुद्दों पर विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया जाता है और उपयुक्त समाधान प्रस्तुत किए जाते हैं।

योजना आयोग के अन्य कार्यक्रम

4.26 योजना आयोग द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रमों के बारे में प्रत्यक्ष रूप से कार्रवाई की जाती है। वर्ष 1988-89 के दौरान इन कार्यक्रमों के भाग के रूप में किए गए महत्त्वपूर्ण कार्यकलाप विस्तार में नीचे दिए गए हैं:—

(i) पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम

4.27 ऐसे क्षेत्रों के विकास को तीव्र गति देने के लिए विशिष्ट स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम की परिकल्पना की गई थी।

4.28 इन पहाड़ी क्षेत्रों की नाजुक और अद्वितीय परिस्थितिकी और सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को जीवित और सुरक्षित रखते हुए इस कार्यक्रम के अंतर्गत देखभाल की जाती है। इसके साथ-साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए एकीकृत कार्यनीति पर विचार करने की अत्यधिक आवश्यकता है।

पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत नीलगिरी में शुरू किए गए परिरेखा पत्थर दीवारों, टैरेस सपोर्ट दीवारें, पलस्तर लगाना, वनरोपण, प्रवाह प्रशिक्षण कार्यों इत्यादि जैसे मृदा संरक्षण उपाय

4.29 यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के 8 पहाड़ी जिलों, असम के 2 जिलों, दार्जीलिंग जिले के तीन उप-प्रभागों और तमिलनाडु के नीलगिरी जिले तथा कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु के 163 खण्डों और पश्चिमी घाट क्षेत्र के गोवा में प्रगति पर है।

4.30 योजना आयोग में कार्यरत पश्चिमी घाट सचिवालय पश्चिमी घाट विकास संबंधी कार्य को देख रहा है।

4.31 इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन क्षेत्रों का त्वरित विकास करने के लिए राज्यों को अपने प्रयत्नों की पूर्ति करने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता दी जाती है। राज्यों को उनकी वार्षिक और पंचवर्षीय योजनाओं के लिए दी जाने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता दी गई सामान्य केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त होती है।

4.32 इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य पर्यावरण के अनुरूप पहाड़ी लोगों का सामाजिक-आर्थिक

विकास करना तथा साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्रों में परिस्थितिकी प्रणाली को पुनर्जीवित, अनुरक्षण और विकास करना है।

4.33 अनुवर्ती योजना अवधियों के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए आवंटित की गई विशेष केन्द्रीय सहायता की जानकारी नीचे सारणी में दी गई है:—

(करोड़ रुपयों में)

योजना अवधि		आवंटन		
		पहाड़ी क्षेत्र	पश्चिमी घाट	जोड़
पांचवीं योजना	(1974-79)	150.00	20.00	170.00
छठी योजना	(1980-85)	485.00	75.00	560.00
सातवीं योजना	(1985-90)	753.50	116.50	870.00
1985-86	(वास्तविक)	146.02	20.95	166.97
1986-87	(वास्तविक)	162.89	24.42	187.31
1987-88	(वास्तविक)	175.68	25.03	200.71
1988-89	(अनुमोदित)	190.54	30.00	220.54

(ii) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम योजना

4.34 आवश्यकताएं, प्राथमिकताएं और सामाजिक-आर्थिक तथा सांस्कृतिक बाध्यकारिताएं जो देश में विभिन्न लघु क्षेत्रों में विद्यमान हैं, को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ऊर्जा पूर्ति की व्यवस्था और योजना के लिए किए जाने वाले व्यवस्थित प्रयत्न ही एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम है।

4.35 सातवीं योजना में इस कार्यक्रम के निम्नलिखित संघटक शामिल हैं:—

(1) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में संस्थागत तंत्र का विकास करना

(2) प्रशिक्षण

(3) परियोजना निर्माण

(4) परियोजना कार्यान्वयन

(5) वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान

(6) प्रबोधन

4.36 वर्ष 1987-88 के दौरान एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के लिए आवंटित की गई 1.15 करोड़ रुपये के मुकाबले वर्ष 1988-89 के दौरान 1.70 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई।

4.37 एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम जिसका छठी योजना अवधि के दौरान कुछ चुने हुए राज्यों में बड़े पैमाने पर परीक्षण किया गया था, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक पूर्ण विकसित कार्यक्रम बन गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र-आधारित एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजनाओं को तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में क्षमताएं विकसित करना है जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उत्पादन और जीवन निर्वाह की विविध आवश्यकताएं पूरी करने के लिए सभी प्रकार के ऊर्जा स्रोतों, परम्परागत और गैर-परम्परागत, की अधिकतर व्यवस्था की जाएगी। इस कार्यक्रम की रूपरेखा और परीक्षण राज्यों के समन्वय से योजना आयोग के ग्रामीण ऊर्जा प्रभाग द्वारा किया गया।

प्रभागों के कार्यकलाप

4.38 योजना आयोग के विभिन्न प्रभाग वार्षिक योजना 1988-89 को तैयार करने और उसे अंतिम रूप देने में व्यस्त रहे जो कि संसद सदस्यों में वितरित करने के लिए प्रकाशित करके संसद सचिवालय को दी गई थी।

4.39 प्रभाग नियमित कार्यकलाप के रूप में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष वार्षिक योजना 1989-90 को अंतिम रूप देने में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ विचार-विमर्श करने में भी व्यस्त रहे। आठवीं योजना के निर्माण की तैयारी भी बहुत ही तत्परता से आरंभ की गयी।

4.40 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान योजना आयोग के प्रभागों के कार्यकलाप निम्नलिखित उप-खंडों में संक्षिप्त रूप से दिए गए हैं:—

कृषि प्रभाग

4.41 प्रभाग द्वारा किए गए कार्यों में से दो मुख्य कार्य वार्षिक योजना दस्तावेज, 1988-89 के लिए कृषि और समबद्ध क्षेत्रक से संबंधित सुसंगत सामग्री को तैयार करना और आठवीं पंचवर्षीय योजना के निर्माण से संबंधित कार्य करना।

4.42 वार्षिक योजना के लिए विस्तृत नोट तैयार किए गए जिसमें फसल उत्पादन, महत्त्वपूर्ण वास्तविक कार्यक्रमों और विभिन्न अन्य कार्यक्रमों तथा वर्ष 1988-89 के लिए कार्यनीतियों और लक्ष्यों की समीक्षा की गई। प्रभाग कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रकों तथा नए 20 सूत्रीय कार्यक्रम आदि के अधीन विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों का प्रबोधन करने में व्यस्त रहा। अगले वर्ष अर्थात् 1989-90 के लिए कार्यनीतियां तैयार करने हेतु उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित की गई। केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के साथ गहन विचार-विमर्श किए गए तथा वार्षिक योजना 1989-90 के लिए उनके योजना प्रस्तावों की जांच की गई।

4.43 वार्षिक योजना 1988-89 के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रक में फसल उत्पादन, पशुपालन और डेयरी विकास मत्स्य पालन तथा चुनिंदा विकास कार्यक्रमों के लक्ष्यों को अंतिम रूप देने के लिए सदस्य

(कृषि) की अध्यक्षता में अंतर मंत्रालयों की बैठकें की गईं। वर्ष 1988-89 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य को बढ़ाने की संभाव्यता पर विचार करने के लिए सदस्य (कृषि) की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालय की बैठक भी की गई।

4.44 आठवीं पंचवर्षीय योजना के निर्माण के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रक से संबंधित संचालन दल का गठन किया गया। इस दल की प्रथम बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए 20 कार्यकारी दलों का गठन किया गया। आठवीं योजना के संदर्भ में कृषि विकास में नीतिगत मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए सदस्य (कृषि) की अध्यक्षता में सरकारी तथा गैर-सरकारी विशेषज्ञों की बैठक हुई।

4.45 इसके अलावा आठवीं योजना नीतिपत्र के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्रक से संबंधित प्रारूप अध्याय तैयार किया गया था।

4.46 कृषि जलवायु क्षेत्रों के आधार पर कृषि योजना के आयोजन के लिए जांच किए गए कृषि-जलवायु के 15 जोन में प्रत्येक के लिए जोनल आयोजना दल गठित किए गए हैं और दिनांक 31 अक्तूबर, 1989 तक उनकी अंतिम रिपोर्टें प्रस्तुत होनी है। जोनल आयोजना दलों के लिए प्रारूप मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर विचार-विमर्श करने के लिए सदस्य (कृषि) ने विभिन्न जोनल आयोजना टीमों की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विभिन्न जोनल आयोजना दलों और कृतिक बलों/कार्यकारी दलों द्वारा किए गए अध्ययनों और अभ्यासों के मध्य गहन और निरन्तर सम्पर्क बनाए रखने के लिए विशेष सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक सम्पर्क दल की स्थापना की गई। सम्पर्क दल की प्रथम बैठक दिनांक 10.1.1989. को हुई।

4.47 विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित की जाने वाली परियोजनाओं के संबंध में सदस्य (कृषि) की अध्यक्षता में कृषि अध्ययन से संबंधित समिति की एक बैठक हुई। इसके फलस्वरूप कृषि-प्रक्रिया इकाइयों को प्रस्तुत करने के लिए विश्व बैंक को प्रस्तुत की जाने वाली परियोजना के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित पांच अध्ययन आरंभ किए गए।

अध्ययन का विषय	कार्यरत परामर्शदाता
1. मांस और मांस उत्पाद से संबंधित अध्ययन	संचालन अनुसंधान दल, बड़ौदा
2. पैकेज उद्योगों से संबंधित अध्ययन	भारतीय पैकिंग संस्थान, बम्बई
3. चमड़ा और चमड़े के माल का अध्ययन	औद्योगिक विकास सेवा लि., दिल्ली
4. खाद्य तिलहन और बीज से संबंधित अध्ययन	ग्रामीण प्रबंधक संस्थान, आनन्द
5. मत्स्य पालन से संबंधित अध्ययन	भारतीय प्रबंधक संस्थान, अहमदाबाद

4.48 विदेश और भारत-दोनों में हुई निम्नलिखित कार्यशालाओं/सेमिनार/सम्मेलनों में प्रभाग के अधिकारियों ने भाग लिया:–

(1) अक्तूबर, 1988 में वाशिंगटन में कृषि उच्च शिक्षा से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, और

(2) नवम्बर, 1988 में मनीला में एशिया विकास बैंक द्वारा किया गया वर्षा सिंचित कृषि से संबंधित क्षेत्रीय सेमिनार।

4.49 निम्नलिखित बैठकों/सम्मेलनों में सलाहकार (कृषि) ने भाग लिया:

1. बीज पर क्षेत्रीय सम्मेलन
2. देशी भूमि में फार्म के वित्त-पोषण पर सेमिनार
3. भारतीय मसाला विकास परिषद
4. कृषि में गंधक पर परिसंवाद
5. राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का सम्मेलन
6. एस.एफ.पी.पी. सहित 14 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन
7. भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग की संरचना पर राष्ट्रीय सम्मेलन
8. गेहूं और गेहूं उत्पाद में उच्च उत्पादकता के लिए प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय सम्मेलन
9. भौगोलिक सूचना प्रणाली पर राज्य की कला प्रौद्योगिकी पर सेमिनार
10. आलू उत्पादन में आधुनिक विधियों पर प्रशिक्षण कोर्स
11. सामाजिक घटक और कृषि उत्पादकता पर उनका प्रभाव से संबंधित भारत-सोवियत सेमिनार
12. 'कृषि महिला कामगारों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी' पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन।

4.50 प्रभाग ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित अन्य कार्यशालाओं, सम्मेलनों, संगोष्ठियों में भी भाग लिया:–

1. एस.एफ.पी.पी. जिलों को ऋण प्रवाह के संबंध में विचार-विमर्श करने के लिए सहकारी राज्य मंत्रियों का सम्मेलन।
2. खरीफ तथा रबी उत्पादन पर राष्ट्रीय कार्यशालाएं।
3. फसल बीमें के कार्य पर विचार करने के लिए और उसमें सुधार करने संबंधी सुझाव देने के लिए उच्च स्तरीय समिति।
4. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संयोजित ऋण प्रवाह संबंधी मामलों की जांच करने के लिए उच्च स्तरीय समिति।
5. गुजरात के कुछ क्षेत्र में गहरे समुद्र में मत्स्य बन्दरगाह के चयन के लिए अंतमंत्रालय समिति।

4.51 धन-राशियों को मात्राबद्ध करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर और जनजातीय उप-योजना तथा विशेष संघटक योजनाओं के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए ठोस कार्यक्रम बनाने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

4.52 भौतिक और वित्तीय दोनों शर्तों के संबद्ध में विश्लेषण करते हुए संबंध सामग्री एकत्र की गई और वार्षिक योजना (1988-89) दस्तावेज के लिए विभिन्न स्कीमों की प्रगति के निष्कर्ष निकाले गए। रिपोर्टाधीन वर्ष के लिए परिव्ययों को अन्तिम रूप देने में सहायता पहुंचाने के लिए वार्षिक योजना 1989-90 के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/राज्यों के प्रस्तावों की जांच की गई।

4.53 अनुसूचित जातियों के विकास तथा कल्याण के लिए योजना राज्य मंत्री की अध्यक्षता में और अन्य अनुसूचित जनजातियों के विकास तथा कल्याण के लिए सचिव, कल्याण मंत्रालय की अध्यक्षता में नीति, मार्गदर्शी सिद्धातों, उद्देश्यों तथा मुख्य कार्यनीतियाँ तैयार करने के लिए एक संचालन दल की स्थापना की गई। संचालन दल ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास के विभिन्न पहलूओं पर विचार-विमर्श किया और कार्यदलों को विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के योग्य बनाने के लिए वृहत ढांचा तैयार किया।

4.54 आठवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के लिए इन पर अध्ययन किए गए (I) परिवर्तन जोत - मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में अबुजमारह क्षेत्र में अध्ययन का एक मामला राष्ट्रीय जन आर्थिक अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के माध्यम से मध्य प्रदेश में वन ग्रामों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियां और (3)आपरेशन अनुसंधान दल, भुवनेश्वर द्वारा उच्च इन्द्रावती तथा रंगाली बहुद्देशीय परियोजना में विस्थापित जनजातियों के पुर्नवास का अध्ययन।

4.55 प्रभाग, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास से संबंधित कुछ कार्य जैसे जनजाति उप-योजना क्षेत्रों का यौक्तिकीकरण प्राथमिक जनजाति दलों का निर्धारण, मैट्रिक के बाद छात्रवृत्तियों का संशोधन, लड़को के छात्रावास के लिए स्कीमों को तैयार करना और स्थानीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों की लड़कियों के लिए शैक्षिक प्रोत्साहन, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग की रिपोर्ट की जांच करना और अल्पसंख्यक वर्गो, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में उच्च स्तरीय पैनल, परियोजनाओं की स्थापना से प्रभावित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास नीति तैयार करना, अनुसूचित जाति विकास निगमों, अनुसंधान तथा प्रशिक्षण कार्यकलापों के संबंध में बैठकों तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास से संबंधित कार्यदलों तथा उपदलों की बैठकों की समीक्षा करने जैसे कई कार्यों के लिए कल्याण मंत्रालय के साथ संबद्ध रहा है।

4.56 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए नीति पर एक टिप्पणी तैयार की गई।

4.57 प्रभाग के अधिकारियों ने अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आर्थिक विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का अध्ययन करने के लिए आंध्र प्रदेश बिहार, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के चुने हुए क्षेत्रों का दौरा किया।

संचार तथा सूचना प्रभाग

संचार तथा प्रसार

4.58 वार्षिक योजना 1988-89 के लिए (I) संचार (II) सूचना तथा प्रसारण से संबंधित सामग्री तैयार की गई तथा उसे अन्तिम रूप दिया गया। दूर-संचार विभाग, डाक विभाग और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के संबंध में वार्षिक योजना 1989-90 के लिए प्रस्तावों की भी गहराई से जांच की गई और सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में अन्तर्मंत्रालयीन बैठकों में उनके परिव्ययों को अन्तिम रूप दिया गया।

4.59 संचार तथा सूचना क्षेत्रकों में आठवीं पंचवर्षीय योजना में अपनाई जाने वाल नीति का रेखांकन करते हुए आयोग के सदस्यों के विचार-विमर्श के लिए नीति पत्र तैयार किया गया।

4.60 आठवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने संबंधी मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए योजना आयोग के सदस्य श्री आबिद हुसैन की अध्यक्षता में एक संचालन दल की बैठक हुई।

4.61 आठवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के संदर्भ में, चार कार्यदल स्थापित किए गए (क)संचार सेवाओं के लिए आवश्यकताओं/मांगों का मूल्यांकन करना, (ख) संचार क्षेत्रकों के लिए उत्पादन आवश्यकताओं का अनुमान लगाना, और (ग) दूर संचार क्षेत्रकों के लिए निवेशों की लागतों का मूल्यांकन करना।

4.62 पी. आई. बी./ई. एफ. सी. और/अथवा आर्थिक कार्य से संबंधित मंत्रिमंडल समिति/सचिवों की समिति के विचार-विमर्श के लिए दूर-संचार विभाग, डाक विभाग तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत कुछ प्रस्तावों की जांच की गई और टिप्पणियां तैयार की गई तथा संबंधित प्राधिकरणों को उपलब्ध कराई गई।

सूचना तथा प्रसार

4.63 प्रभाग के सूचना खण्ड ने सूचना तथा प्रसार मंत्रालय के सूचना तथा प्रचार खण्डों तथा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के वार्षिक योजना 1989-90 के प्रस्तावों की जांच की।

4.64 आन्तरिक सूचना सेवा योजना मंत्री, योजना राज्य मंत्री, सदस्यों, सचिव तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न दैनिक स्थानीय व अन्य शहरों के समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं से आयोजना तथा विकास पर छपी चुनींदा समाचारों की मुद्दे जो योजना आयोग के विशेष हित में होती है के दैनिक परिचालन की व्यवस्था करके कारगर बनाई गई है। योजना भवन में स्थापित टेलीप्रिन्टर के माध्यम से प्राप्त महत्वपूर्ण खबरों की मदों की समीक्षा तथा आपूर्ति भी जारी है। योजना मंत्री के कार्यालय में, योजना राज्य मंत्री तथा सचिव के कार्यालयों में विस्तार मानीटरों सहित एक पी. टी. आई. न्यूज स्कैन स्थापित किया गया। संदर्भ वार्षिक, भारत 1988 के लिए आयोजना से संबंधित अध्यायों को अद्यतन बनाया गया।

4.65 सातवीं योजना 1985-90 का मध्यावधि मूल्यांकन सहित विभिन्न प्रकाशनों को छापने तथा उनका वितरण करने से संबंधित कार्य जारी रखा गया। इन दस्तावेजों को राज्यपालों, मंत्रियों, संसद

सदस्यों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों तथा अनुसंधान संस्थाओं को भेजकर इनको अच्छी तरह परिचालित किया गया। अनुसंधानकर्ताओं तथा छात्रों को भी प्रकाशन उपलब्ध कराए गए।

4.66 योजना आयोग द्वारा समीक्षाधीन वर्ष में निम्नलिखित प्रकाशनों का प्रकाशन किया गया :-

1. ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए ऋण सुविधाओं के संबंध में समिति की रिपोर्ट
2. समेकित जनजातीय विकास कार्यक्रमों से संबंधित मूल्यांकन रिपोर्ट
3. सातवीं पंचवर्षीय योजना (अंग्रेजी) का मध्यावधि मूल्यांकन
4. सातवीं पंचवर्षीय योजना (हिन्दी) का मध्यावधि मूल्यांकन
5. खाद्यान्न उत्पादन के लिए कार्यवाही योजना
6. वार्षिक रिपोर्ट 1987-88 (अंग्रेजी)
7. वार्षिक रिपोर्ट 1987-88 (हिन्दी)
8. परिवहन आयोजना ढांचा नीति संबंधी मामले और संभावना
9. राज्य सड़क परिवहन उद्यमों के निष्पादन पर अध्ययन
10. ग्राम तथा लघु उद्योग ढांचे पर रिपोर्ट नीति मामले तथा संभावना
11. 19.3.88 को आयोजित 40वीं राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक का संक्षिप्त विवरण (अंग्रेजी)
12. 19.3.88 को आयोजित 40वीं राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक का संक्षिप्त विवरण (हिन्दी)
13. वार्षिक योजना 1988-89 (अंग्रेजी)
14. वार्षिक योजना 1988-89 (हिन्दी)

4. शिक्षा प्रभाग

4.67 इस प्रभाग में किए गए महत्वपूर्ण कार्यकलापों तथा 1987-88 में प्रगति की उपलब्धि का उल्लेख करते हुए शैक्षिक कार्यक्रमों पर वार्षिक योजना 1988-89 के अध्याय को अन्तिम रूप दिया।

4.68 राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा केन्द्रीय विभाग (क) शिक्षा, (ख) कला, (ग) संस्कृति तथा (घ)युवा कार्यों तथा खेलों की वार्षिक योजना 1988-89 पर आधारित शिक्षा के अन्तर्गत वित्तीय तथा भौतिक लक्ष्यों और उपलब्धियों से संबंधित सूचना एकत्र करके वार्षिक योजना 1989-89 का सांख्यिकी विश्लेषण किया गया।

4.69 शिक्षा, 1986 पर राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन के भाग के रूप में 1987-88 में किए गए

प्राथमिक कार्यक्रमों को 1987-88 में प्राप्त प्रगति पर आधारित 1988-89 में और सुदृढ़ किया गया। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति के अन्तर्गत किए गए कुछ महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम नीचे दिए गए हैं:—

(i) आपरेशन ब्लैक बोर्ड

(ii) अनौपचारिक शिक्षा

(iii) अध्यापक शिक्षा का पुर्नसंरचना तथा पुनर्गठन

(iv) शिक्षा का व्यावसायीकरण

(v) शैक्षणिक प्रौद्योगिकी

(vi) स्कूल शिक्षा का पर्यावरणीय नवीकरण

(vii) नवोदया विद्यालय

(viii) व्यस्क शिक्षा

(ix) उच्च शिक्षा

(x) तकनीकी शिक्षा

(xi) कला तथा संस्कृति

(xii) युवा कार्य तथा खेल

4.70 शिक्षा प्रभाग ने प्रत्येक राज्य तथा कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कार्य दल स्थापित किए और वार्षिक योजना कार्यक्रमों/1989-90 के लिए आवंटनों को अन्तिम रूप दिया।

4.71 इनके (क) शिक्षा, (ख) संस्कृति, (ग) कला, (घ) खेल तथा युवा कल्याण और (ड) सीमा क्षेत्र विकास के संबंध में केन्द्रीय वार्षिक योजना 1989-90 पर विचार-विमर्श किया गया और स्कीमों/ कार्यक्रमों तथा उनके आवंटनों को अन्तिम रूप दिया गया।

4.72 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, शिक्षा प्रभाग ने "राष्ट्रीय आय 1989-90 के संबंध में भारत में शिक्षा पर व्यय" पर विश्लेषणात्मक पत्र तैयार किया। बैठक दस्तावेज पर विचार हेतु सदस्य (एस) द्वारा ली गई और सचिव, योजना आयोग, सचिव, मानव संसाधन विकास, महानिदेशक (सी.एस.ओ.) और शिक्षा प्रभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। यह नोट किया गया कि पत्र के मुख्य निष्कर्ष वैध थे और विचार-विमर्श शिक्षा में और निवेशों की आवश्यकताओं पर केन्द्रित थे।

4.73 1950 से शिक्षा दृश्यलेख पर एक पत्र जिसमें कला, संस्कृति, युवा कार्यों तथा खेलों सहित शिक्षा के अन्तर्गत विभिन्न विकासों पर योजना-वार लेखा है।

4.74 "प्राथमिक शिक्षा तथा व्यस्क असाक्षरता उन्मूलन के सर्वव्यापीकरण के लिए लक्ष्य तिथि" पर एक विस्तृत टिप्पणी मामले की जांच के लिए तैयार की गई।

4.75 "भारत में उच्च शिक्षा के लिए अतिरिक्त राशि जुटाने" के सम्बन्ध में बैंगकाक में यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आयोजित क्षेत्रीय सेमिनार के संबंध में एक दस्तावेज तैयार किया गया।

4.76 "मानव संसाधन, कुशल विकास तथा भारत में रोजगार" पर आयोजकों के एस.ए.ए.आर.सी. सम्मेलन के संबंध में एक पत्र तैयार किया गया।

4.77 "शिक्षा के संदर्भ सहित भारत में ग्रामीण विकास तथा सामाजिक परिवर्तन" पर आई.सी.एस.एस.आर. द्वारा आयोजित भारत-चीन सेमिनार के संबंध में एक पत्र तैयार किया गया।

4.78 नवम्बर, 1988 में भारत अर्न्तराष्ट्रीय केन्द्र द्वारा आयोजित व्यावसायिक शिक्षा पर सेमिनार के लिए "व्यावसायिक शिक्षा के सामाजिक पहलुओं" पर एक पत्र तैयार किया गया।

4.79 सलाहकार (शिक्षा) ने सितम्बर, 1988 के अन्तिम सप्ताह में केन्द्रीय दल के नेता के रूप में असम के बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा किया। केन्द्रीय दल ने रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जो दिनांक 12.10.1988 को कृषि मंत्रालय को प्रस्तुत की गई।

4.80 "प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर व्यर्थीकरण तथा स्थिरता के कारणों के संबंध में भी एक टिप्पण तैयार किया गया।

4.81 निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण मंत्रिमंडल टिप्पणी/ई.एफ.सी. ज्ञापनों की जांच की गई:

(क) महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा पर परियोजना

(ख) केन्द्रीय परिषद् के ग्रामीण संस्थानों का गांधीवादी मूल शिक्षा के सिद्धान्तों पर ग्रामीण संस्थानों का विकास करना।

(ग) उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद् की स्थापना।

(घ) श्रमिक विद्यापीठ से संबंधित टिप्पण ।

(ङ) वर्ग परियोजना का विस्तार।

(च) असम में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना

4.82 आठवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के संबंध में 3 संचालन दलों के अन्तर्गत 13 कार्यदल स्थापित किए गए।

I. संचालन दल

(1) बाल्य काल शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा के संबंध में कार्यदल

(2) माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के संबंध में कार्यदल

(3) वयस्क शिक्षा के संबंध में कार्यदल

(4) उच्च शिक्षा के संबंध में कार्यदल

(5) तकनीकी शिक्षा तथा प्रबन्ध शिक्षा के संबंध में कार्यदल

II. संचालन दल

(6) कला के संबंध में कार्य दल

(7) संस्कृति के संबंध मे कार्य दल

(8) भाषाओं के संबंध में कार्य दल

(9) पुस्तकालय तथा सूचना-विज्ञान के संबंध में कार्य दल

(10) युवा कार्य तथा खेल के संबंध में कार्य दल

III. संचालन दल

(11) शिक्षा (कला, संस्कृति तथा खेल सहित) के लिए क्षेत्रों के संबंध में कार्य दल।

(12) सांख्यिकी, प्रबोधन तथा मूल्यांकन (कला, संस्कृति तथा खेल सहित) के संबंध में कार्य दल।

(13) आयोजना तथा शिक्षा (कला, संस्कृति तथा खेल सहित) के प्रबन्ध के संबंध में कार्य दल।

4.83 सदस्य (एस) की अध्यक्षता में शिक्षा संबंधी संचालन दलों (I), (II) तथा (III) की बैठकें 5, 6 तथा 8 जुलाई, 1988 को हुई। सभी कार्यकारी दलों के अध्यक्षों की एक बैठक सदस्य (एस) की अध्यक्षता में 8.11.1988 को भी हुई।

5. स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण प्रभाग

4.84 वर्ष के दौरान प्रभाग स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रकों के लिए वार्षिक योजना 1988-89 को तैयार करने तथा उसे अंतिम रूप देने के काम में लगा रहा। प्रभाग के स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण क्षेत्रक से संबंधित राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रकों तथा संबद्ध मंत्रालयों से प्राप्त योजना प्रस्तावों विस्तृत मूल्यांकन भी किया तथा वर्ष 1989-90 के लिए केन्द्र तथा राज्यों के वास्ते वार्षिक योजना परिव्ययों को अंतिम रूप देने में सहायता की है।

4.85 प्रभाग ने मंत्रिमंडल द्वारा विचार करने के लिए "जनसंख्या तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम" पर एक नीत-पत्र तैयार किया।

4.86 प्रभाग ने आठवीं योजना के प्रारूप के लिए संबद्ध सामग्री तैयार करने के लिए भी पर्याप्त काम किया है। आठवीं योजना तैयार करने के लिए दो संचालन समिति/दल तथा 11 कार्यकारी समिति/दल स्थापित किए गए हैं।

4.87 प्रभाग स्कीमों को अंतिम रूप देने तथा योजना लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्यक्रमों की

रूपरेखा तैयार करने तथा 20-सूत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल स्कीमों का गहन प्रबोधन करने के लिए अनेक प्रक्रियाओं में स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय से भी संबद्ध रहा है।

4.88 सलाहकर स्वास्थ्य ने राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय संस्थानों/संगठनों/एसोसिएशनों के तत्वावधान में देश के विभिन्न भागों और विदेशों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों पर कई संगोष्ठियों/बैठकों/सम्मेलनों में भाग लिया।

4.89 परिवार नियोजन कार्यक्रम में गतिशीलता आ रही है। परिवार नियोजन के सभी तरीकों को अपनाने वालों की संख्या वर्ष 1986-87 के अंत में 20.56 मिलियन से बढ़कर 1987-88 के अंत तक 22.51 मिलियन हो गई है। प्रभावी रूप से संरक्षित दम्पत्तियों की प्रतिशतता एक साल पहले के 37.4 प्रतिशत से बढ़कर 1.4.1988 को 39.8 प्रतिशत हो गई। बाल मत्यु दर को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एम सी एच कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी गई है जो कि 1980 के 114 से घटकर 96 रह गई है। 100 प्रतिशत शिशुओं को प्रतिरक्षण कार्यक्रम में शामिल करने के उद्देश्य से सार्वजनिक प्रतिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के देश भर में प्रतिक्षण कार्यक्रम को और सुदृढ़ किया गया है। 1988-89 के अंत तक 304 जिले शामिल कर लिए जाएगे तथा आशा है कि 1990 के अंत तक देश के सभी जिलों को इस कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाएगा।

4.90 इस क्षेत्र में अत्यधिक सफलता प्राप्त करने के लिए तथा पोषाहार सेवाओं में सुधार के अलावों देश में महिलाओं की स्थिति तथा साक्षरता दर को बढ़ाने की तरफ अधिक ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए वर्ष 1988-89 में इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए अन्तःक्षेत्रकीय तथा अन्तर क्षेत्रकीय समन्वय बढ़ाने पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है।

6. भारत जापान अध्ययन समिति

4.91 भारत जापान समिति भारत और जापान के बीच सद्भावना और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, चुने हुए विषय पर अध्ययन करती है। भारत समिति और उसका प्रतिपक्ष, जापान समिति भारत और जापान में वर्ष में एक बार बारी-बारी से संयुक्त बैठकें आयोजित करती हैं।

4.92 पिछली संयुक्त बैठक मार्च, 1988 में टोकियो में हुई थी। निकट संबंध वाले शहरों, संबद्ध विश्वविद्यालयों तथा भारत और जापान के लोगों के आदान-प्रदान पर एक अध्ययन, अन्य पृष्ठभूमि-पत्रों के साथ तैयार किया गया तथा संयुक्त बैठक में प्रस्तुत किया गया। बैठक की मुख्य सिफारिशे संबद्ध मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी गई।

4.93 भारत और जापान अध्ययन समितियों की 2 और 3 मार्च, 1989 को नई दिल्ली में हुई अगली संयुक्त बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर अध्ययन करने का विचार किया गया:

(क) वैज्ञानिक सहयोग के लिए कुछ उन्नत क्षेत्र।
(ख) भारत-जापान औद्योगिक तथा तकनीकी सहयोग का भविष्य।

4.94 यह अध्ययन भारत समिति द्वारा किये गये हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक तथा राजनैतिक प्रवृतियों के संबंध में शोधपत्र भी तैयार किए गए है।

4.95 भारत समिति ने 13 फरवरी, 1989 को एक बैठक भी आयोजित की जिसमें भारत-जापान

आर्थिक संबंधों की समीक्षा करने के लिए लगभग 30 प्रमुख उद्यमियों तथा सार्वजनिक निकायों के वरिष्ठ प्रशासकों ने भाग लिया।

4.96 वर्ष के दौरान, प्रभाग ने भारत-जापान आर्थिक तथा राजनैतिक विषयों में आने वाले जापानी शिष्ट मंडल तथा अधिकारियों के साथ अनेक बैठक आयोजित की।

4.97 वर्ष के दौरान भारत-जापान सहयोग के विशेष संदर्भ में जापान में हुए आर्थिक विकास से संबंधित तीन आवधिक रिपोर्ट तैयार की गई।

7 विकास नीति प्रभाग

4.98 विकास निति प्रभाग में आर्थिक संवृद्धि तथा नीति एवं सामाजिक आर्थिक अनुसंधान इकाईयां साथ-साथ शामिल हैं। इन दो इकाइयों की गतिविधियों का संक्षिप्त सार नीचे दिया गया है।

(क) आर्थिक संवृद्धि तथा नीति इकाई

4.99 इस इकाई ने वृद्धि की दर बढ़ाने तथा जीवन स्तर में सुधार लाने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, विचार विमर्श के लिए विकास की विभिन्न वैकल्पिक कार्यनीतियां तैयार करने के उद्देश्य से आठवी योजना नीति तैयार करने के संबंध में विस्तृत कार्यकलाप किए हैं। बढ़ा हुआ पूंजी उत्पादन अनुपात, निर्यात तथा रोजगार कार्यनीतियां, सकल घरेलू उत्पाद का क्षेत्रकीय गठन, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रकों के लिए संवृद्धि दरें, खाद्य तथा गैर खाद्य वस्तुओं के लिए आर्थिक सहायता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पुनर्संरचना, कृषि बनाम उद्योग की व्यापार संबंधी शर्तें तथा मजदूरी आय और कीमत निर्धारण नीति जैसे कुछ महत्वपूर्ण कार्यकलाप थे। भारतीय अर्थव्यवस्था 1988 की स्थिति के संबंध में एक व्यापक टिप्पणी भी तैयार की गई थी।

4.100 पहले की भांति यह इकाई कीमत स्थिति, मुद्रा तथा बैंकिंग मामलों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित देश की आर्थिक स्थिति के विश्लेषण तथा समीक्षा करने के काम में लगी रही। विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त विभिन्न नीति पत्रों तथा कृषि उत्पादों के लिए मूल्य नीति, खाद्य तेलों के संरक्षण, वितरण तथा मूल्य निर्धारण, आर्थिक तथा राजकोषीय नीति, अर्थव्यवस्था की स्थिति आदि जैसे मुद्दों से संबंधित "नोट्स फार कैबिनेट" की भी जांच की गई।

4.101 इकाई, आवश्यक वस्तुओं तथा कीमत नियंत्रक समिति तथा कीमतों से संबंधित सचिव समितित के साथ गहन रूप से संबद्ध रही। विभिन्न आर्थिक मुद्दों से संबंधित विभिन्न राष्ट्रीय/ अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों/सम्मेलनों के साथ भी संबद्ध रही। सामयिक महत्व के विषयों पर विख्यात अर्थशास्त्रियों के व्याख्यान कराए गए।

4.102 "वार्षिक योजना 1988-89" दस्तावेज के अध्याय-1 में अर्थव्यवस्था के वर्ष 1987-88 के निष्पादन की समीक्षा की गई तथा 1988-89 के लिए विकास कार्यक्रमों पर विचार किया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्य पद्धति पर गहन अध्ययन पूरा किया गया।

4.103 सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजना से संबंधित नागरिक आपूर्ति विभाग तथा राज्य सरकारों से प्राप्त वर्ष 1989-90 के लिए वार्षिक योजना प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया।

उपभोक्ता संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन को महत्व देने के लिए राज्य और जिला, दोनों ही स्तरों पर निवारक तंत्र जैसी आधार संरचना की स्थापना को योजना कार्यक्रम के रूप में शामिल किया गया है।

4.104 परामर्श के अनुच्छेद-4 तथा "भारतः एक सक्रमण औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था" जैसे विश्व बैंक दस्तावेजों के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मानीटरी फंड के लिए टिप्पणियां तैयार की गई।

4.105 आठवीं योजना तैयार करने के लिए नागरिक आपूर्ति संबंधी एक संचालन दल का गठन किया। आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के संबंध में विभिन्न मुद्दों की गहराई से जांच करने के लिए संचालन दल ने अपनी पहली बैठक में पांच उप-दलों की स्थापना की। कार्मचारी दलों ने अनेक बैठकें की हैं और शीघ्र ही उनकी रिपोर्ट आने की प्रत्याशा हैं।

4.106 इकाई अर्थशास्त्रियों के पैनल के लिए सचिवालय का काम भी करता है।

(ख) सामाजिक–आर्थिक अनुसंधान इकाई

4.107 इस इकाई ने आयोजन प्रक्रिया से संबद्ध सामाजिक-आर्थिक समस्याओं पर अनुसंधान अध्ययनों को बढ़ावा देना जारी रखा। उच्च स्तर की अनुसंघान परामर्शदायी समिति ने, जिसके अध्यक्ष प्रो० एस० चक्रवर्ती और सदस्य विख्यात अर्थशास्त्री/समाजशास्त्री थे, सामयिक महत्व तथा आयोजन प्रक्रिया से संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान के विभिन्न पहलुओं पर योजना आयोग को परामर्श देना जारी रखा।

4.108 वर्ष के दौरान इस इकाई ने अनुसंघान-अध्ययनों तथा संगोष्ठियों/सम्मेलनों के लिए वित्तीय सहायता हेतु विभिन्न विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थों से प्राप्त 40 नए प्रस्तावों पर कार्यवाही करके विचारार्थ अनुसंधान परामर्शदायी समिति को प्रस्तुत किया। वर्ष के दौरान 25 अनुसंधान अध्ययनों तथा संगोष्ठियों (ब्यौरे अनुलग्नक-II पर दिए गए हैं) को अनुसंधान परामर्शदायी समिति द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित किया गया। इसके अलावा, 25 प्रस्ताव जांच तथा/अथवा अंतिम रूप दिए जाने की विभिन्न अवस्थाओं में थे।

4.109 वर्ष के दौरान, जैसा कि अनुलग्नक-3 में दिया गया है, 15 अनुसंधान अध्ययन विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं द्वारा पूरे किए गए। इसके अतिरिक्त, विशिष्ट विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए संगोष्ठियां भी आयोजित की गई।

4.110 योजना आयोग ने निर्धारित किए गए प्राथमिकता क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक अनुसंधान अध्ययन करने में उनकी संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को ब्लॉक ग्रांट पैट्रन् के अन्तर्गत वित्तीय सहायता देते हुए अकादमी सदस्यों तथा अन्य विशेषज्ञों को भी शामिल किया। इस समय, विभिन्न सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर दीर्घावधि अध्ययन कराने के लिए ब्लॉक ग्रांट चार संस्थाओं अर्थात (1) आर्थिक संवृद्धि संस्थान, दिल्ली, (2) अर्थशास्त्र विभाग, बंबई विश्वविद्यालय, बंबई, (3) गोखले राजनीति विज्ञान तथा अर्थशास्त्र संस्थान, पूना तथा (4) राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त तथा नीति संस्थान, नई दिल्ली को दी जा रही है।

8 ऊर्जा मांडलिंग प्रभाग

4.111 पहले के ऊर्जा सलाहकार बोर्ड के उत्तरदायित्व 1 दिसम्बर, 1988 से योजना आयोग को अन्तरित कर दिए गए हैं। इस उद्देश्य के लिए योजना आयोग में "ऊर्जा नीति प्रभाग" नामक एक नया

प्रभाग स्थापित किया गया। हाल ही के पुनर्गठन से वर्ष 1989-90 में ऊर्जा नीति प्रभाग तथा ऊर्जा माडलिंग प्रभाग एक ही प्रभाग के रूप में काम करेगे।

4.112 ऊर्जा माडलिंग से संबंधित 1986-87 में शुरू हुए कार्य ने चालू वर्ष में काफी प्रगति की है। माडलिंग की रूपरेखा इस प्रकार तैयार की गई है कि विभिन्न ऊर्जा नीति मुद्दों का एकीकृत आधार पर गहराई से विश्लेषण किया जा सके। अब तक विकसित की गई ऊर्जा माडलिंग पद्धित में माडलों के मध्य उचित अन्तः संबंधों सहित कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत के व्यावसायिक ऊर्जा क्षेत्रकों के मांग तथा पूर्ति पहलुओं के संबंध में आयोजन के विभिन्न विशिष्ट दीर्घावधि माडल शामिल है। यह प्रणाली ऊर्जा क्षेत्रक के विभिन्न परस्पर-संबंधित जटिल मुद्दों के सामंजस्यपूर्ण तरीके से जांच करने के लिए गुणात्मक विश्लेषात्मक आधार तथा अवधारणात्मक ढांचे की व्यवस्था करती है। पूरी माडलिंग प्रणाली का कंप्यूटरीकरण कर दिया गया हैं ताकि माडलों के लिए निवेश आंकडों को नवीनतम बनाया जा सके तथा नीति तैयार करने में प्रणाली का प्रयागे करने के लिए परिणाम किसी भी समय प्राप्त किए जा सके।

4.113 ऊर्जा माडलिंग प्रणाली को विकसित करने का कार्य इस उद्देश्य के लिए योजना आयोग द्वारा स्थापित्त ऊर्जा माडलिंग संचालन दल नामक विशेषज्ञ दल के मार्गदर्शन के सलाहकार रुमाडलिंगरु द्वारा किया गया है। यह कार्य कोल इंडिया लिमिटेड के केन्द्रीय खान अभियोजना अभिकल्प संस्थान लिमटेड, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, तेल समन्वय समिति तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के सहयोग से किया जाता है।

4.114 एकीकृत ऊर्जा माडल प्रणाली के विकास का कार्य वर्ष 1988-89 में पूरा किया गया। इस प्रणाली में कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत के व्यवसायिक ऊर्जा क्षेत्रकों के विभिन्न अन्तः संबद्ध दीर्घावधि योजना माडल शामिल है। इससे योजना आयोग को वाणिज्यिक ऊर्जा क्षेत्रक के लिए युक्तिसंगत और आयोजन का व्यापक, समेकित विश्लेषण करने के लिए उपाय और माडलिंग का वातावरण प्राप्त होगा। माडल को परीक्षात्मक विकास के कार्य को कम्प्यूटरीकृत बिना कठिनाई के सुधार किया जा सके।

4.115 "भावी योजना तथा वाणिज्यिक ऊर्जा नीति" शीर्षक मे एक प्रारूप रिपोर्ट का कार्य प्रगति पर है तथा शीघ्र ही यह रिपोर्ट पूरी हो जाएगी। इसका भाग। जिसमें : वाणिज्य ऊर्जा की मांग, ऊर्जा संसाधनों की दीर्घावधि उपलब्धता तथा हाइड्रोकार्बन और विद्युत ऊर्जा के लिए भावी योजना शामिल है, तैयार कर लिया गया है। तेल शोधन और वितरण, कोयला अनुबंध तथा माडलों पर आधारित ईधन नीति के निष्कर्षों से संबंधित रिपोर्ट के भाग 2 का कार्य प्रगति पर है और शीघ्र ही तैयार हो जाएगा।

9 श्रम, रोजगार तथा जनशक्ति प्रभाग

4.116 यह प्रभाग समूची रोजगार नीति तथा कार्यनीति, जनशक्ति-आयोजन, श्रम नीति, दस्तकार तथा प्रशिक्षु प्रशिक्षण और श्रम कार्यक्रमों से संबद्ध है।

4.117 श्रम मंत्रालय, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से वार्षिक योजना 1989-90 के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया तथा (क) कृषिक श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी को लागू करने (ख) 20 सूत्री कार्यक्रम के बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास की समीक्षा की गई।

4.118 रोजगार तथा बेरोजगारी और जनगणना आकड़ों आदि पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 38

के चक्र तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त परिणामों का विश्लेषण कार्य जारी रखा गया। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के साथ विभिन्न क्षेत्रकों में श्रम गुणांकों के परिकलन से संबंधित कार्य भी किया गया।

4.119 आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के संदर्भ में सदस्ययों की अध्यक्षता में (1) रोजगार आयोजना से संबंधित विशेषज्ञ समिति तथा (2) शहरी गरीबी से संबंधित विशेषज्ञ दल स्थापित किए गए। दिसम्बर, 1988 तक समिति की तीन बैठक तथा विशेषज्ञ दल की दो बैठकें आयोजित की जा चुकी है।

4.120 आठवीं योजना नीति के मसौदे के एक भाग के रूप में श्रम तथा कल्याण क्षेत्रक और रोजगार मे संबंधित एक नोट तैयार किया गया।

4.121 सलाहकार (श्रम, रोजगार, जनशक्ति) ने एशिया तथा प्रशांत महासगार विकास केन्द्र की "एशिया में त्वरित संवृद्धि के लिए पूर्ण रोजगार कार्यनीतियां" नामक परियोजना बैंकाक में 25-27 मई, 1988 को हुई बैठक में भाग लिया। सलाहकार (क्षम, रोजगार, जनशक्ति) जुलाई, 1988, जबकि आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की, तक महिलों के स्वरोजगार से संबधित राष्ट्रीय आयोग के सदस्य रहे।

10. वित्तीय संसाधन प्रभाग

4.122 विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार किए गए वित्तीय संसाधनों के पूर्वानुमानों के आधार पर, वार्षिक योजना 1987-88 के लिए वित्तीय संसाधनों की पुनरीक्षा की गई और राज्य सरकारों को उपलब्ध संसाधनों के भीतर व्यय स्तर को नियमित करने की सलाह दी गई। इस कार्य के साथ-साथ, योजना आकार के निर्धारण हेतु वार्षिक योजना 1988-89 के लिए राज्यों के निजी संसाधनों का अनुमान लगाया गया। वार्षिक योजना 1989-90 के आकार को अंतिम रूप देने के संबंद्ध में सम्बद्ध मुख्यमंत्रियों/उपराज्यपालों के साथ विचार-विमर्श को युक्तिसंगत बनाने के लिए योजना आयोग के उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के प्रयोग हेतु प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए 1988-89 के लिए सदस्यों के संसाधनों की रूपरेखा तैयार की गई।

4.123 1988-89 के लिए केन्द्रीय योजना के आकार को निर्धारण के संबंध में, वित्त मंत्रालय से परामर्श करके विभिन्न कार्यों को शुरू किया गया। वार्षिक योजना 1989-90 के लिए विभिन्न केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के आंतरिक तथा अतिरिक्त बजट संसाधनों का भी मूल्यांकन किया गया।

4.124 प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के साथ-साथ केन्द्र के लिए भी 1988-89 के लिए अनुमोदित योजना के वित्त पोषण की विस्तृत स्कीमें इस आधार पर पूरी की गई और वार्षिक योजना 1988-89 के लिए वित्तीय संसाधन संबंधी अध्याय को अंतिम रूप दे दिया गया।

4.125 वार्षिक योजना 1989-90 के लिए संसाधनों के पूर्वानुमान तैयार करने हेतु राज्यों तथा संघ क्षेत्रों को प्रपत्रों के एक सेट के साथ-साथ एक विस्तृत पत्र भेजा गया। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त संसाधन मूल्यांकन पर आधारित विचार-विमर्श 1989-90 वार्षिक योजना के लिए संसाधन अनुमान तैयार करने हेतु राज्य अधिकारियों के साथ किए गए। इन विचार-विमर्शों में वित्त मंत्रालय के तथा भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

4.126 इस प्रभाग ने वार्षिक योजना 1989-90 के लिए बाजार ऋण फैलाव तथा केन्द्रीय सहायता स्तर सहित 1989-90 की केन्द्रीय योजना तैयार करने के लिए केन्द्र सरकार के संसाधनों के अनुमान लगाने संबंधी कार्य भी प्रारंभ किए।

4.127 वर्ष 1989-90 के लिए केन्द्रीय लोक उद्यमों के आंतरिक तथा अतिरिक्त संसाधनों के अनुमान संबंधी कार्य वित्त मंत्रालय के साहचर्य से शुरु किए गए।

4.128 वार्षिक योजना 1989-90 के लिए राज्य सरकारों से परामर्श करके बाजार ऋण, आई डी बी आई ऋणों तथा जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम आदि से अन्य परक्रामणित ऋणों के क्षेत्रकवार आवंटन को अंतिम रूप दिया गया। संबद्ध वित्तीय संस्थाओं को संबंधित राज्यों के लिए ऋण वितरण के संबंध में व्यवस्था करने की सलाह दी गई।

4.129 आठवीं पंचवर्षीय योजना के वित्तीय संसाधनों के अनुमान से संबंधित प्रारंभिक कार्य तत्परता से शुरू किया गया है। सदस्य (यों) की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा वित्तीय संसाधन संबंधी एक संचालन दल का गठन किया इस संचालन दल ने एक बैठक में विस्तारपूर्वक गहन अध्ययन कार्य शुरू करने की दिशा में निम्नलिखित पांच कार्यकारी दलों का गठन किया :–

(1) संसाधन जुटाने के लिए वित्तीय नीति ढांचा से सम्बद्ध कार्यकारी दल।

(2) केन्द्रीय सहायता के अनुमानों से सम्बद्ध कार्यकारी दल।

(3) राज्य संसाधनों के अनुमानों से सम्बद्ध कार्यकारी दल।

(4) सरकारी उद्यमों के संसाधनों के अनुमानों से सम्बद्ध कार्यकारी दल ।

(5) प्राइवेट बचत तथा इस प्रकार की बचत पर पब्लिक सेक्टर ड्राफ्ट से सम्बद्ध कार्यकारी दल।

4.130 समीक्षीधीन वर्ष के दौरान इस प्रभाग में वर्ष 1989-90 के लिए 9वें वित्त आयोग की प्रथम रिपोर्ट पर विचार गया। वर्ष के दौरान निम्नलिखित आठ योजना अध्ययनों पर कार्य शुरू किया/जारी रखा गया :–

(क) राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली द्वारा स्थानीय निकायों की वित्तीय तथा प्रबंध सामर्थ्य।

(ख) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा म्युनिसिपल वित्तीय प्रबंध तथा राजकोषीय अंतरण व्यवस्थाएं।

(ग) सरकारी उद्यम संस्थान, हैदराबाद द्वारा राज्य स्तरीय उद्यमों पर अध्ययन।

(घ) राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान, नई दिल्ली द्वारा चुंगी समाप्त करने संबंधी अध्ययन।

11. अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रभाग

4.131 इस प्रभाग के प्रमुख कार्यकलाप विदेशी व्यापार तथा भुगतान शेष से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण करना है। आठवीं योजना में भुगतान शेष पर एक मूल पत्र तैयार किया गया। इसके अतिरिक्त

अनेक अध्ययन शुरू किए गए और इस संबंध में पूर्वानुमान, वस्तु-विश्लेषण तथा विशेष नीति मसलों पर कागजात तैयार किए गए। अन्य बातों के साथ-साथ इनमें निम्नलिखत अध्ययन शामिल थे : निर्यातों की कुल मात्रा के पूर्वानुमान के लिए अल्पीकृत समीकरण का प्रकार,फसल विशेष रूप से चाय तथा काफी के रोपण संबंधी अर्थमित्तीय आपूर्ति तथा मांग कार्य, तथा स्थूल आर्थिक, विशिष्ट सामग्री तथा प्रशासनिक मुद्दों आच्छाद प्रतिपत्र उन्नयन कार्यनीतियों के उपयोग के जरिए खाद्य तेल के लिए आय तथा मूल्य प्रत्याथताओं का अनुमान।

4.132 8 वीं पंचवर्षीय योजना पर प्रारंभिक कार्य के शुरू होते ही, इस प्रभाग ने भुगतान शेष पर कार्यकारी दल का गठन संबंधी कार्य व्यवस्थित किया और प्रभाग ने इस कार्यकारी दल को इसके विभिन्न उपदलों के साथ-साथ (क) विदेशी भुगतान समस्या विस्तार का निर्धारण करने, (ख) संवृद्धि लक्ष्य के अनुरूप व्यवहार्य भुगतान शेष को बनाए रखने के लिए समग्र तथा सूक्ष्म दोनों स्तर की नीतियां बनाने, तथा (ग) प्रस्तावित लक्ष्यों तथा नीतियों की संगति में भुगतान शेष के विभिन्न तत्वों के प्रक्षेपणों की स्थापना करने संबंधी कार्य सौपा।

4.133 इस प्रभाग ने टैरिफ से युक्त आयात लाइसेंसिंग को सामंजस्यपूर्ण करने संबंधी विशेषज्ञदल तथा अनुसंधान सलाहकार समिति के कार्य में हाथ बटाया। इसने विश्य बैंक, आई एम एफ, यूरोपियन आर्थिक समुदाय के कुछ देशों तथा जापान के शिष्ट मंडलों तथा अर्थशास्त्रीयों के साथ विचार-विमर्शों में भी भाग लिया। इसके अतिरिक्त प्रभाग ने भारत-जापान अध्ययन समिति व्यापार अग्रणियों, तकनीशियनों तथा प्रशासकों के एक गैर-सरकारी दल की वार्षिक बैठक के लिए परिचर्चा, कागजात तथा अन्य योगदान दिया जोकि द्विपक्षी हितों के मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक अनौपचारिक मंच के रूप में कार्य करता है।

4.134 अध्ययनों की एक व्यापक श्रृंखला शुरू की और (1) भारत एवं सार्क तथा (2) चुने हुए कृषिय तथा रोपण वस्तुओं के संबंध में क्षेत्रीय सहयोग संबंधी कागजात तैयार किए। निम्नलिखित लेख भी तैयार किए गए (1) भारत जापान आर्थिक सहयोग (2) 1987-88 में भारत का संभाव्य भुगतान शेष।

4.135 अन्य देशों में आर्थिक विकास कार्यों जिसमें द्विपक्षीय व्यापार तथा आर्थिक संबंधों से सम्बद्ध कार्य थे का विश्लेषण किया गया। अन्य विश्लेषणों में से जार्डन, मैडागास्कर, युगोस्लाविया, मलेशिया, अफगानिस्तान तथा यमन के विश्लेषण थे। प्रभाग ने भारत को विश्व बैंक सहायता संबंधी एक लेख भी तैयार किया।

4.136 चीन के एक पांच सदस्यीय आयोजना शिष्टमंडल ने भारत का दौरा किया। उनके लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ बैठकों तथा नई दिल्ली,बम्बई, अहमदाबाद तथा पंतनगर में प्रमुख राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ अन्योन्य क्रिया की व्यवस्था की। बर्लिन में आयोजित भारतीय संघीय गणराज्य जर्मनी (जीडीआर) आयोजना समन्वय विशेषज्ञ दल की 7 वीं बैठक से संबंधित समन्वय कार्य किया। भारतीय-सोवियत आयोजना विशेषज्ञों की 23 जनवरी से 28 जनवरी 1989 को हुई 11 वीं बैठक और 7 से 9 फरवरी 1989 को हुई भारतीय हंगेरियन आयोजना विशेषज्ञों की दूसरी बैठक से संबंधित कार्यों का समन्वय किया गया।

4.137 इस प्रभाग ने हैदराबाद में "औद्योगिक तथा क्षेत्रकीय आर्थिक सहयोग" एस्केप संगोष्ठी में भी भाग लिया।

12. सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास प्रभाग

4.138 वर्ष 1989-90 के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के वार्षिक योजना प्रस्तावों का परीक्षण किया गया, टिप्पणियां की गई और कार्यदल की बैठकों में विचार-विमर्श किया गया ताकि सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के संबंध में योजना परिव्ययों को अंतिम रूप देने में सहायता मिल सके। जल संसाधन मंत्रालय के संबंध में वर्ष 1989-90 के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक की योजना को अंतिम रूप देने के लिए विचार-विमर्श किए गए। सात मुख्य और मध्यम परियोजनाओं के संबंध में निवेश संबंधी अनापत्ति दी गई।

4.139 वर्ष के दौरान राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने के लिए पुनर्गठित मानिटरिंग समिति की एक बैठक हुई। जल प्रबंधन और सिंचाई उपयोग के संदर्भ में कार्य योजना के कार्यान्वयन का अध्ययन और मार्ग दर्शन करने के लिए सलाहकार समिति की एक बैठक हुई और आगामी कार्य दिशा निश्चित की गई। अतिरिक्त सिंचाई क्षमता प्रदान करने और क्षेत्रीय चैनलों के कार्य को देखने तथा 77 चुनींदा कमान क्षेत्रों में लघु तथा निम्न स्तरों पर जल नियंत्रण प्रणाली में सुधार करने पर विशेष बल देते हुए रूपरेखा कार्य योजना की प्रगति को आंका गया।

4.140 आठवीं पंचवर्षीय योजना की तैयारी के लिए एक संचालन दल और 5 कार्य दल, मुख्य तथा मध्यम सिंचाई, लघु सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण तथा कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रमों में प्रत्येक के लिए एक-एक, गठित किए गए हैं और इन दलों ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। सिंचाई परियोजनाओं के लिए मानक पद्धति से आयोजना अध्ययन करने के कार्यों पर अधिक बल दिया जा रहा है।

4.141 सिंचाई परियोजनाओं के चुनींदा घटकों को दी गई सूखा राहत सहायता के लिए विभिन्न राज्यों में विशेषज्ञ भेजे गए ताकि कार्यों की प्रगति की निगरानी की जा सके और चुनींदा राज्यों में अभिनिर्धारित कार्यों के लिए अनुमोदित 236 करोड़ रूपये में से सूखा राहत सहायता राशि देने के लिए वित्त मत्रालय से सिफारिश की जा सके। ऐसी योजना बनाई गई है कि 1987-88 में अभिनिर्धारित कार्यों को वर्ष 1988-89 के दौरान पूरा किया जा सके ताकि 172 हैक्टेयर भूमि के लिए अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न की जा सके।

4.142 इस प्रभाग ने जल संसाधन मंत्रालय और केन्द्रीय जल आयोग की कई समितियों, संगोष्ठियों, कार्यान्वयन समीक्षा बैठकों में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं और कमान क्षेत्र विकास परियोजनाओं के संबंध में भाग लिया। सलाहकार (आई एंड सी ए डी) वाशिंगटन गए ताकि कर्नाटक में ऊपरी कृष्णा परियोजना चरण-2 के लिए विश्व बैंक से सहायता के संबंध में बातचीत की जा सके।

13. प्रबोधन व सूचना प्रभाग

4.143 योजना आयोग के डाटा बैंक में 4,200 से भी अधिक केन्द्रीय और केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों से संबंधित न्यूनतम आकड़ों के रिकार्ड हैं जोकि उद्योग व खनिज, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, विद्युत शक्ति, परमाणु उर्जा, कोयला, कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, श्रम और सिंचाई इत्यादि से संबंधित हैं। यह सभी आंकड़े वार्षिक योजना 1988-89 के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर अद्यतन बनाकर कम्प्यूटर प्रणाली में संग्रह किए गए हैं। क्षेत्रकीय डाटा बेस को व्यक्तिगत कम्प्यूटरों पर स्थनांतरित कर दिया गया है ताकि अशुद्धि ठीक करने, विभिन्न रिपोर्टें इत्यादि बनाने में सहायता प्राप्त हो सके। डाटा बैंक को अद्यतन बनाने, विभिन्न रिपोर्टें बनाने के लिए मुख्य कम्प्यूटर और सुपर पर्मनन्स

कम्प्यूटरों के लिए साफट वेयर दिए जा चुके हैं ताकि दैनिक कार्यों के लिए सम्बन्धित प्रभागों के लिए रिपोर्ट तैयार की जा सके। ऊर्जा उद्योग व खनिज, कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रकों के संदर्भ में वर्ष 1988-89 के लिए वार्षिक योजना संबंधी कार्रवाई कम्प्यूटर की सहायता प्राप्त रिपोर्टों की मदद से की गई।

4.144 उद्योग व खनिज, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, विद्युत शक्ति, कोयला तथा परमाणु ऊर्जा से संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय/विभागों और राज्य विद्युत बोर्डों में 20 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लिए संसाधन आश्रित नेटवर्क और बार-चार्टों का प्रभाग में विस्तृत रूप से विश्लेषण किया गया ताकि वार्षिक योजना 1989-90 के लिए राशि की आवश्यकता को वास्तविक प्रगति से जोड़ा जा सके।

4.145 प्रबोधन और सूचना प्रणालियों को विकसित करने के लिए राज्य सरकारों को सहायता जारी रखी गयी और राज्य सरकारों तथा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय और कई दूसरी संस्थाओं को आवश्यक सहायता प्रदान की गई। 23 से 25 मार्च 1988 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ संयुक्त रूप से आयोजित राज्य स्तर पर प्रबोधन संबंधित संगोष्ठी के अनुसरण में सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की सिफारिशें भेजी गई।

4.146 तीन विद्युत बोर्डों अर्थात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में यू. एन. डी. पी. सहायता प्राप्त प्रबंधन परामर्श विकास चरण-II के अधीन अग्रणी व प्रदर्शनिक परियोजना का कार्य जारी रखा गया। संस्थान के भीतर ही प्रबंधन परामर्श दक्षता तैयार करने के लिए निदान विषयक रिपोर्ट और सिफारिशों को अंतिम रूप दिया गया। इस परियोजना में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विशेषज्ञों को सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए कदम उठाए गए और 17-8-1988 से 27-9-1988 तक तीनों विद्युत-बोर्डों के अधिकारियों और प्रबंधक विकास संस्थान (परियोजना से संबंधित) के संबंधित संकाय को विदेश में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

4.147 ग्राम स्तरीय डाटा बेस के विकास से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई को जारी रखा गया।

4.148 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और राष्ट्रीय अग्नि दमन अकादमी से संबंधित गृह मंत्रालय के वार्षिक योजना 1989-90 से संबंधित प्रस्तावों का विश्लेषण किया गया।

4.149 योजना आयोग के अन्य प्रभागों को चार्ट, नक्शे तथा उपस्करों की सेवाएं प्रदान की गई।

14. **भावी योजना प्रभाग** :

4.150 भावी योजना प्रभाग मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था की वैकल्पिक संवृद्धि, रूप रेखा को ध्यान में रखते हुए योजना के दीर्घ तथा मध्यम अवधि के उद्देश्यों के संदर्भ में मात्रात्मक महत्व को निर्धारित करता है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि ये उद्देश्य संगत, व्यवहारिक और हर संभव सीमा तक वैकल्पिक क्षेत्रकों के अधीन अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों की संवृद्धि दर निकालने के उपाय क्या हों। माडलिंग कार्यों को करने के अतिरिक्त यह प्रभाग अर्थव्यवस्था की वर्तमान आर्थिक स्थिति और कार्य निष्पादन की समीक्षा भी करता है। गरीबी की प्रत्याशियों, राष्ट्रीय आय इसके संबंधित घटक जैसे उपभोग, बचत, निवेश और योजना वित्त व्यवस्था के लिए संसाधनों का भी परीक्षण किया जाता है। वर्ष 1988-89 के दौरान किए गए कार्यों की मुख्य मदें निम्नलिखित है :-

4.151 आठवीं योजना में वैकल्पिक संवृद्धि परिदृश्यों के समष्टि आर्थिक निहिताथों का मूल्यांकन किया गया। संवृद्धि मार्ग निर्धारित करने के मुद्दों और बाधाओं का विश्लेषण किया गया।

4.152 बृहद् क्षेत्रकीय स्तर पर आवश्यक उत्पादन और निवेश की संभावित संवृद्धि को प्रेक्षित करने के लिए आठवीं योजना में संवर्द्धनात्मक पूंजी-उत्पादन अनुपात से संबंधित कार्य किए गए।

4.153 "वैकल्पिक संवृद्धि दरों की बचतें और नीति संबंधी निहितार्थ" नामक लेख तैयार करने के लिए आवश्यक आदान प्रदान किये गए, इस लेख पर पूरे योजना आयोग द्वारा विचार-विमर्श किया गया।

4.154 आठवीं योजना के लिए नीति संबंधी लेख तैयार करने के संदर्भ में माडलिंग कार्य किया गया ताकि बृहद् क्षेत्रकीय संवृद्धि दरें निकाली जा सकें जोकि आठवीं योजना के दौरान सफल घरेलू उत्पाद की 6 प्रतिशत संवृद्धि दर के संगत हों।

4.155 संवृद्धि के उद्देश्यों, नीतियों और आयामों से संबंधित कार्यनीति संबंधी लेख का प्रारूपी अध्याय-1 तैयार किया गया।

4.156 वार्षिक योजना 1988-89 के लिए मूलभूल समष्टि आर्थिक अवयवों के संदर्भ में अर्थव्यवस्था के कार्य निष्पादन की समीक्षा की गयी।

4.157 केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा इनपुट/आउटपुट सारणी को अंतिम रूप देने के विषय में वर्ष 1978-79 के लिए आयात निर्यात वेक्टर्स तैयार किए गए।

4.158 1989-90, 1994-95 और 1999 से 2000 के लिए इस्पात के लिए सामग्री-शेष तैयार किया गया।

4.159 इस प्रभाग के अधिकारियों ने केन्द्रीय साख्यिकी संगठन और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन प्रशासक परिषद की राष्ट्रीय आय के आंकलन के विभिन्न पहलूओं से संबंधित बैठकों में भाग लिया।

4.160 भारतीय अर्थ व्यवस्था के विभिन्न पहलूओं से संबंधित निम्नलिखित लेख/टिप्पणियां तैयार की गयी:—(1) इलेक्ट्रोनिक्स अर्थव्यवस्था पार्थवय पृष्ठ (इंटरफेस), (2) भारत में औद्योगिक लाइसेंस नीति का मल्यांकन, (3) एक नवम्बर, 1988 को काठमान्डू में हुई तीसरे दक्षेस (सार्क) शिखर सम्मलेन के लिए विकास आयोजना से संबंधित डाटा बेस, (4) भारतीय अर्थ व्यवस्था के विकास के लिए संदर्भ, (5) केन्द्रीय सरकार के राजस्व और पूंजी खाता - 1986-87 के माध्यम से योजना और गैर-योजना व्यय के लिए वित्त व्यवस्था, (6) वित्त आयोग के प्रयोग हेतु राज्यों के संसाधनों का अन्तरण, (7) कृषि और परिवार क्षेत्रक में ऊर्जा की मांग।

4.161 निम्नलिखित रिपोर्टों/लेखों/टिप्पणियों/अध्ययनों का परीक्षण करके टिप्पणियां दी गयी- (1) नमूना पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत नमूना आकार में वृद्धि से संबंधित सील समिति की रिपोर्ट, (2) अप्रैल, 1988 में 1991 की जनगणना में प्रथम डाटा प्रयोक्ताओं से संबंधित लेख, (3) सामाजिक सेवा पर सरकारी खर्चे के साथ लाभों के मात्राबद्ध करने से संबंध-उत्तर प्रदेश राज्य आयोजना संस्थान का अध्ययन, (4) वित्त मंत्रालय से प्राप्त सातवीं योजना के दौरान नीति सहयोगी क्षेत्रक निर्देश की वित्त व्यवस्था पर टिप्पणी, (5) परिवहन नीति से संबंधित संचालन दल की प्रारूपी रिपोर्ट, (6) उत्तर प्रदेश

राज्य में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि में राजगार सृजन से संबंधित लेख, (7) भारत में 1990-91 जनगणना करवाने के संदर्भ में तकनीकी मुद्दों से संबंधित सलाहकार समिति की पहली बैठक के लिए कार्य सूची मदें, (8) भारत के लिए संवृद्धि रूपरेखा से संबंधित विश्व बैंक प्रारूप रिपोर्ट।

4.162 राष्ट्रपति के पश्चिमी यूरोपीय देशों के दौरों के संदर्भ में स्वतंत्रता से अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति, प्रगति और आगामी चुनौतियों से संबंधित लेख तैयार किया गया।

4.163 6-10 जून, 1988 के दौरान बैंकाक में हुए जनसंख्या के लिए रूप रेखा से संबंधित संगोष्ठि में भारत में जनसंख्या और विकास आयोजन से संबंधित लेख प्रस्तुत किया गया।

4.164 27 जून -8 जुलाई, 1988 को कुआलालम्पुर (मलेशिया) में क्षेत्रकीय ऊर्जा मांग माडलिंग के संबंध में हुई संगोष्ठि के लिए "भारत के लिए शहरी रिहायशी ऊर्जा मांग विश्लेषण" नामक एक पत्र तैयार किया गया।

4.165 परामर्श दाता (भावी योजना), सचिव, योजना आयोग के साथ विश्व बैंक के वाशिंगटन स्थित मुख्यालय का दौरा करने गये। इस संबंध में, अर्थव्यवस्था की स्थिति, भुगतान शेष तथा सार्वजनिक निकायों के निष्पादन से संबंधित पृष्ठभूमि सामग्री विचार-विमर्श के लिए तैयार की गई।

4.166 भारत तथा सोवियत रूस के बीच दीर्घावधि सहयोग के लिए 1955 तक मूल वस्तुओं की दीर्घावधि मांग-पूर्ति स्थिति का अनुमान लगाया तथा भारत और सोवियत रूस के बीच व्यापार की रूपात्मकताओं में आए परिवर्तनों पर विचार-विमर्श किया गया।

4.167 एशिया तथा प्रशांत महासागर विकास केन्द्र, कुआलालम्पुर द्वारा एशिया में त्वरित विकास के लिए रोजगार कार्यनीतियों से संबंधित संगोष्ठि में "त्वरित आर्थिक विकास के लिए रोजगार कार्यनीतियों" शीर्षक से एक पत्र प्रस्तुत किया गया।

4.168 देश तथा बाहर से आये प्रशिक्षकों के लिए भावी योजना से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये।

15. योजना समन्वय प्रभाग

4.169 प्रभाग, संसद से संबंधित कार्य सहित योजना आयोग में समन्वय कार्य के लिए जिम्मेवार है।

4.170 वार्षिक कार्यवाही योजना तैयार करने का कार्य, जोकि प्रभागों द्वारा वर्ष में किये जाने वाले कार्य के बारे में विस्तृत मार्गदर्शन करता है, योजना समन्वय प्रभाग द्वारा समन्वित किया गया।

4.171 प्रभाग वर्ष भर आठवीं योजना तैयार करने से संबंधित समन्वय कार्यकलापों में व्यस्त रहा है। इनमें शामिल हैं:

(1) रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान मई, अगस्त तथा अक्तूबर में पूर्ण योजना आयोग की बैठकें आयोजित की गईं। आमंत्रित व्यक्तियों को कार्यसूची उपलब्ध करायी गई तथा संक्षिप्त विवरण तैयार करके परिचालित किए गए।

(2) "आठवीं योजना नीति के लिए सभी प्रभागों से एकत्रित की गई सामग्री का संकलन तथा सम्पादन किया गया जिस पर योजना आयोग की आंतरिक बैठकों में विचार-विमर्श किया गया।

4.172 आयोग के विभिन्न प्रभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रभाग ने 1989-90 के लिए वार्षिक रिपोर्ट तैयार की।

4.173 प्रभाग ने वार्षिक योजना 1988-89 दस्तावेज के लिए प्राप्त सामग्री को संकलित करने के कार्य का समन्वय किया। दस्तावेज को बाद में संसद के पुस्तकालय में रखा गया।

4.174 प्रभाग द्वारा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा योजना आयोग के बीच विचार-विमर्श सहित वार्षिक योजना 1989-90 को अंतिम रूप देने संबंधी समन्वय कार्य किया गया। सहमति प्राप्त वार्षिक योजना आबंटकों को योजना बजट में निगमित करने के लिए वित्त मंत्रालय के परामर्श से केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को सूचित किए गए।

4.175 प्रभाग ने, प्रभागों की गतिविधियों से संबंधित मासिक रिपोर्ट तैयार की तथा कैबिनेट सचिवालय को प्रेषित की।

4.176 वरिष्ठ अधिकारियों की प्रत्येक सोमवार को आयोजित होने वाली बैठक पर प्रभाग द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की गई।

4.177 प्रभाग ने अनेक संसद प्रश्नों से संबंधित कार्य किया। इसके अतिरिक्त प्रभाग में लंबित पड़े सभी संसदीय आश्वासन वर्ष के दौरान निपटाए गए।

4.178 प्रभाग ने राष्ट्रपति तथा वित्त मंत्री के बजट सत्र के भाषण के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री तैयार की। प्रभाग द्वारा भारत–1988 आर्थिक सर्वेक्षण–1988-89, भारतीय अर्थव्यवस्था 1988 के लिए मौलिक सांख्यिकी इंडिया, डैमोक्रेसी आन द मूव नामक विभिन्न प्रकाशनों से संबद्ध सामग्री को अद्यतन बनाया गया।

4.179 भूमि प्रयोग तथा प्रबंध व्यवस्था से संबंधित कार्यकारी दल, जिसके अध्यक्ष सचिव, योजना आयोग तथा संचालक सलाहकार (योजना समन्वय) है, के लिए प्रभाग ने पृष्ठभूमि लेख तैयार किया।

4.180 प्रभाग ने भारत-हंगरी तथा भारत-जर्मनी संगोष्ठियों के लिए पृष्ठभूमि लेख तैयार किए।

4.181 योजना आयोग की ओर से, योजना समन्वय प्रभाग ने तंजानिया से आए शिष्टमंडल के दौरे का समन्वय किया जो अपने देश में योजना आयोग की तरह का निकाय स्थापित करने के लिए योजना प्रक्रिया का अध्ययन करने आया था।

4.182 प्रभाग ने अत्यधिक उल्लेखनीय गतिविधियों में से एक गतिविधि योजना आयोग की ओर से संसदीय सौंध, नई दिल्ली में 11 तथा 12 फरवरी, 1989 के "भारतीय आयोजन अनुभव" पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करना था।

4.183 इस अवसर पर, "भारतीय आयोजन अनुभव–एक सांख्यिकी रेखाचित्र" शीर्षक से एक दस्तावेज तैयार किया गया तथा भाग लेने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों को उपलब्ध कराया गया।

संसद अनुभाग

4.184 संसद अनुभाग, योजना समन्वय प्रभाग के विस्तृत क्षेत्र में कार्य करता है।

4.185 अनुभाग ने योजना से संबंधित पूरे संसदीय कार्य का समन्वय किया। इस अनुभाग ने संसद प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मंत्री द्वारा ली जाने वाली ब्रीफिंग बैठकें आयोजित की तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबद्ध परामर्श समिति की बैठकें आयोजित की ।

4.186 यह विभिन्न दस्तावेजों के प्रबन्ध तथा वितरण के लिए भी जिम्मेदार हैं, जो हैं:–

(1) रेलवे बजट
(2) आर्थिक सर्वेक्षण
(3) केन्द्रीय सरकार का बजट

4.187 प्रभाग ने विभिन्न संसदीय समितियों से प्राप्त रिपोर्टों/सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्यवाही भी की है।

4.188 अनुभाग ने भारतीय नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों (सिविल तथा वाणिज्यक) के संबद्ध सारों की जांच की तथा विभिन्न प्रभागों को प्रेषित किए।

4.189 अनुभाग, तीन वर्ष की अवधि के पूरे संसदीय कार्य का रिकार्ड रखता है।

16. परियोजना मूल्यांकन प्रभाग

4.190 अप्रैल-दिसम्बर, 1988 की अवधि में कुल 20430 करोड़ रु. की निवेश लागत वाली 62 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया। अप्रैल-दिसम्बर, 1987 अविध के लिये ये आंकड़े क्रमशः 52 तथा 6610 करोड़ रु. थे। मूल्यांकन नई परियोजनाओं तथा उन परियोजनाओं का किया गया जिन्हें संशोधित लागत अनुमानों के लिए स्वीकृति की जरूरत थी।

4.191 1987-88 तथा अप्रैल-दिसम्बर, 1988 की अवधि में जिन परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया उनके क्षेत्रकीय वितरण इस प्रकार हैं:–

मूल्यांकन परियोजनाओं के क्षेत्रकीय वितरण

क्रम सं.	क्षेत्रक	1.4.87 से 31.3.88		अप्रैल-दिसम्बर, 1988	
		परियोजना की संख्या	कुल निवेश लागत (करोड रु.)	परियोजना की संख्या	कुल निवेश लागत (करोड़ रु.)
1.	2	3	4	5	6
1.	संचार, सूचना तथा प्रसारण, डाकतार	15	160.62	4	160.18
2.	नौवहन, परिवहन, पर्यटन तथा नागर विमानन	14	826.73	11	1783.38
3.	पैट्रोलियम तथा पैट्रोरसायन	12	3427.56	14	7185.54
4.	कोयला, इस्पात, खान तथा धातु	11	2366.83	14	6559.55
5.	अन्य औद्योगिक परियोजनाएं	9	842.55	6	980.72
6.	विद्युत	5	3957.00	4	3301.26
7.	खाद्य, कृषि सिंचाई	5	279.04	5	82.38
8.	उर्वरक तथा रसायन	3	384.37	3	245.93
9.	अन्य	1	9.33	1	131.23
	जोड़	75	12254.38	62	20430.17

4.192 अप्रैल-दिसम्बर, 1988 के दौरान प्रभाग ने पंच अनुपूरक नोट तथा चार प्रथम अवस्था स्वीकृतियां भी तैयार की।

4.193 प्रभाग के अधिकारियों ने परियोजनाओं के मूल्यांकन के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु प्री-पी.आई.बी. बैठकों, अन्तर मंत्रालयी दल की बैठकों में भाग लेना जारी रखा।

4.194 अधिकारियों ने प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में प्रारम्भिक जानकारी प्राप्त करने के लिए परियोजना क्षेत्रों के दौरे भी किए तथा परियोजना प्राधिकरणों के साथ विचार-विमर्श किए। यह सब सार्वजनिक निवेश बोर्ड तथा व्यय वित्त समिति की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेने के अलावा है। 1.1.1989 को लगभग 156 परियोजनाएं थी जोकि प्रभाग में जांच और मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में हैं।

4.195 सचिव समिति द्वारा तैयार की गई परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए प्रणाली को सरल बनाने के लिए सहायता दी गई। विभिन्न मंत्रालयों तथा संबद्ध प्रभागों से प्राप्त 5 करोड़ रु. से कम लागत वाले प्रत्येक परियोजना प्रस्ताव पर गहन जांच के बाद टिप्पणियां दी गई। प्रभाग को भेजे गए सिंचाई निगम आदि जैसे संगठन स्थापित करने के नीति मुद्दों पर भी टिप्पणियां दी गई। प्रभाग ने जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय परियोजना, करनाली बहुउद्देश्यीय पनबिजली परियोजना का मूल्यांकन करने तथा आणविक विद्युत निगम की विद्युत परियोजनाओं की संवीक्षा के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा गठित समिति में भी प्रतिनिधित्व करना जारी रखा।

4.196 कृषि मत्रालय से निम्नलिखित से संबंधित अध्ययन कराने के लिए अनुरोध किया गया:—

(1) पूरी हो चुकी मछली पकड़ने की बंदरगाहों की लागत तथा कितना समय लगेगा, से संबंधित अनुमान लगाने तथा उन परियोजनाओं का उनके उद्देश्यों, गुंजाइश तथा मछली पकड़ने वालों को लाभ का मूल्यांकन, तथा

(2) मछली के लिए दी गई उपभोक्ता कीमत व मछुआरे, उद्योग, कमीशन एजेंट, सरकार तथा रिटेलर्स के भाग का अनुमान लगाना।

4.197 प्रभाग, आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विभिन्न क्षेत्रकों हेतु प्रस्ताव तैयार करने के लिए योजना आयोग द्वारा स्थापित कार्यकारी दलों के विचार-विमर्शों से संबद्ध रहा है। प्रभाग के अधिकारियों ने समीक्षाधीन वर्ष में विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ हुए वार्षिक योजना विचार-विमर्श में भी भाग लिया है।

17. विद्युत और ऊर्जा प्रभाग

4.198 विद्युत क्षेत्र के लिए वार्षिक योजना 1988-89 की समीक्षा और वार्षिक योजना 1989-90 को तैयार करने का काम किया गया।

4.199 आठवीं योजना तैयार करने के लिए विद्युत संबंधित कार्यकारी दल गठित किया गया। कार्यकारी दल को सहायता देने के लिए उप दल भी गठित किए गए।

4.200 एकक ने कई विषयों से संबंधित अनेक विशेषज्ञ समितियों के कार्य में भाग लिया जैसे:—

(क) व्यवस्थित और लागत प्रभावी तरीके से उच्च मांग की पूर्ति से संबंधित समस्याएं।

(ख) तापीय सृजन इकाईयों की अधिकतम सृजन क्षमता

(ग) विद्युत व्यवस्था में नान-कोकिंग कोयले का उपयोग

(घ) सभी केन्द्रीय क्षेत्रक विद्युत सृजन स्टेशनों और संचरण सुविधाओं आदि के लिए स्थायी सीमा शुल्क

(ङ) ऊर्जा माडलिंग ग्रुप को एकक द्वारा सक्रिय समर्थन दिया गया। मुख्य माडल तथा अन्तर-ईंधन प्रतिस्थापन के लिए आंकड़ा दिया गया।

(च) एकक ने एस्केप द्वारा प्रायोजित क्षेत्रकीय ऊर्जा मांग से संबंधित अध्ययन का काम शुरु किया। एस्केप से एक माडीस कम्प्यूटर माडल प्राप्त किया गया।

(छ) एकक ने केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण द्वारा किए गए परियोजनाओं के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन तथा कोयला विभाग के अधीन स्टेंडिंग लिंकेज समिति द्वारा तापीय विद्युत स्टेशनों के लिए किए गए दीर्घावधि लिंकेज में भी भाग लिया।

(ज) वर्ष 1987-88 के लिए विभिन्न वास्तविक और वित्तीय निष्पादन पैरामीटर वाले राज्य बिजली बोर्डों और बिजली विभाग के कार्य की वार्षिक रिपोर्ट भी तैयार की।

(झ) विद्युत के अंतर राज्य/उपयोग विनियमन के लिए विद्युत व्यवस्था और क्षमता के एकीकृत प्रचालन से संबंधित एक पेपर तैयार किया।

कोयला एकक

4.201 प्रधानमंत्री के विचारार्थ टिप्पणियां तैयार की गई और उनके अनुमोदन से कोयला परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए मंत्रिमंडलीय सचिव की अध्यक्षता में एक कृतिक दल स्थापित किया गया।

4.202 एकक ने दक्षिणी तथा पश्चिमी घाटों में विद्युत घरों के लिए यू.एस.एस.आर. और अन्य देशों के बजाय स्वदेशी स्रोतों से कोयला आयात की अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने के लिए एक दल की स्थापना की। चयनित अवस्थितियों के लिए देशीय और आयातित दोनों ही प्रकार के कोयले के सृजन की तुलनात्मक लागत से संबंधित तकनीकी-आर्थिक विश्लेषण किया गया तथा दल ने रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया और आयोग को विचार के लिए प्रस्तुत किया।

4.203 कुछ प्रयोगात्मक परिणामों की समीक्षा के बाद इस एकक के एक प्रतिनिधि सहित विशेषज्ञों की एक समिति, विद्युत स्टेशनों के लिए नान-कोकिंग उपयोग करने के तकनीकी-आर्थिक लाभों का परिमाणन करने के लिए, स्थापित की गई। दल ने, अध्ययन और प्रतिष्ठापित तकनीकी आर्थिक लाभों के लिए कोयला स्रोतों से उचित दूरी पर अवस्थित दो नए विद्युत संयंत्र स्थानों पर विचार किया। इसके बाद, योजना आयोग द्वारा दो-तीन स्थलों के लिए कोयला खनन, कोयला धोने और विद्युत संयंत्र चालू करने के लिए संबंधित अभिकरणों द्वारा कार्यान्वयन के लिए व्यवस्थित कार्यनीति की सिफारिश की गई। कार्य की प्रगति का प्रबोधन और समन्वय करने के लिए सलाहकार (ऊर्जा) की अध्यक्षता में एक दल भी गठित किया गया।

4.204 आठवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने संबंधी कार्य शुरु किए गए। कोयला और लिग्नाइट क्षेत्रक से संबंधित आठवीं योजना कार्यनीति से संबंधित प्रारूप नोट भी तैयार किए गए। पांच उपदल स्थापित किए गए (1) कोयला मांग, उत्पादन आदि (2) कोयला अन्वेषण आदि (3) लिग्नाइट और संबद्ध कार्यकलाप (4) कोयला अनुसंधान और विकास आदि तथा (5) कोल प्लान प्रोजेक्शन आदि। एकक ने सभी उप दलों और कार्यकारी दल में प्रतिनिधित्व किया।

4.205 कोयला और लिग्नाइट क्षेत्रकों के विकास में देश को सहायता देने के इच्छुक अग्रिम कोयला विभाग ने द्विपक्षीय कार्यकारी दल स्थापित किए। एकक ने यू.के., यू.एस.एस.आर., फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी एंड फ्रांस के साथ द्विपक्षीय दल की बैठकों के प्रतिनिधि मण्डल में प्रतिनिधित्व किया।

4.206 सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में कोयला अन्वेषण के स्तर से संबंधित एक बैठक

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में की गई जिसमें अन्वेषण की गई जिसमें सभी अन्वेषण अभिकरणों को बुलाया गया था। राजस्थान में विद्युत के लिए कोयले की कमी पर विचार करते हुए एकक ने लिग्नाइट पर आधारित विद्युत स्टेशनों के लिए परियोजनाओं का निर्धारण करने के लिए राजस्थान में लिग्नाइट अन्वेषण ओर तीव्रीकरण करने की सलाह दी।

4.207 एकक ने लोक निवेश बोर्ड के विचार के लिए कोयला परियोजनाओं की पुष्टि के लिए अन्तर मंत्रालीय ग्रुप में भाग लिया। सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने वाली कोयला परियोजनाओं की साध्यता रिपोर्टों की जांच जारी रखी।

4.208 योजना आयोग के सदस्य द्वारा समस्याओं के समझने और उन्हें अधिक अनुकूल बनाने के लिए सिंगरैनी के अध्यक्ष और कोल इण्डिया के अध्यक्ष के साथ समीक्षा-बैठकें, उनके संबंधित मुख्यालयों में की गई। कोयला विभाग के साथ सदस्य स्तर पर आवधिक समीक्षा बैठकें भी की गई।

4.209 कोयला और लिग्नाइट क्षेत्रक के संबंध में वार्षिक योजना 1989-90 के लिए प्रस्तावों को तैयार करने हेतु उत्पादन लक्ष्यों की मांग नियत करने का मूल्यांकन, परियोजनाओं की वित्तीय और वास्तविक प्रगति आदि की समीक्षा सहित विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्य किया गया।

पैट्रोलियम एकक

4.210 पैट्रोलियम क्षेत्रक के लिए वार्षिक योजना 1989-90 तैयार की गई और वार्षिक योजना 1988-89 की समीक्षा की गई। यूनिट ने आठवीं योजना अवधि के लिए अन्वेषण और विकास, तेल शोधन, मांग अनुमान, पैट्रोलियम उत्पादनों का वितरण और विपणन, प्राकृतिक गैस की उपलब्धता, उपयोग और वितरण तथा अन्त में अनुसंधान विकास संरक्षण नामक पैट्रोलियम से संबंधित कार्यकारी दल और विभिन्न उपदल गठित किए। यूनिट ने सभी विचार-विमर्शों में भाग लिया और इन उप दलों की सभी प्रारूप रिपोर्टें तैयार करने में सहायता की।

4.211 पश्चिमी भारत से संबंधित प्राकृतिक गैस के लिए भावी योजना से संबंधित सलाहकार दल की पहली रिपोर्ट जारी की गई। देश के शेष भागों की रिपोर्ट से संबंधित कार्य जारी रखा गया।

4.212 कुछ राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ प्राकृतिक गैस के अधिकतम उपयोग से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए बैठकें की गई।

4.213 उत्पादन, उत्तर पूर्वी राज्यों मे कच्चे तेल के परिवहन और उपयोग, कुछ तेल और गैस क्षेत्रों से उत्पादन में वृद्धि और आर./पी. अनुपात में परिवर्तन कुछ आवश्यक क्षेत्रों से वृद्धिकारक उत्पादन जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में पैट्रोलियम मंत्रालय के साथ बैठकें की गई।

4.214 सी.सी.पी.ए., सी.सी.ई.ए. और सी.सी.आई.आई.ई. जैसे पैट्रोलियम क्षेत्रक से संबंधित विभिन्न मंत्रिमंडलीय समितियों को प्रस्तुत किए गए नोट के सारांश तैयार किये गए। सचिवों की समिति को भेजे गए प्रस्तावों,की जांच भी की गई।

4.215 पैट्रोलियम क्षेत्रक की सदस्य (वी) की निष्पादन समीक्षा बैठकों के लिए सामग्री तैयार की गई।

4.216 पैट्रोलियम क्षेत्रक में विभिन्न लोक उद्यमों की निगमित योजनाओं की जांच की गई और कुछ मामलों में संशोधन करने के लिए सुझाव दिए गए।

4.217 यूनिट, योजना आयोग में पैट्रोलियम क्षेत्रक से संबंधित आंकड़ों के कम्प्यूटरीकरण से संबद्ध रहा। इसने, दीर्घावधि योजना और माडलिंग से संबद्ध पैट्रोलियम क्षेत्रक से संबंधित सेमिनार आयोजित किए।

18. ग्रामीण विकास प्रभाग

4.218 परिव्ययों पर विचार-विमर्श करने और उन्हें अन्तिम रूप देने के लिए वर्ष 1989-90 से, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा कृषि मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग के वार्षिक योजना प्रस्तावों का गहन अध्ययन किया गया।

4.219 राज्यों को धनराशियों का आवंटन करने के मापदंड की जांच की गई और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए परिशोधित किया गया। वर्ष 1989-90 के दौरान एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशियों के आवंटन के मापदंड 100 प्रतिशत गरीबी की स्थिति के आधार पर होंगे। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशियों के आंवटन के 50 प्रतिशत की व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जाएगी।

4.220 ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, 20-सूत्री कार्यक्रम और रेगिस्तान विकास कार्यक्रम पर वार्षिक योजना 1988-89 के विचार-विमर्श के बाद अध्याय का प्रारूप तैयार किया गया है।

4.221 आठवीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रारूप नीति पक्ष में शामिल करने के लिए, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम से संबंधित सामग्री तैयार की गई।

4.222 आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रम से संबंधित कृतिक दल और संचालन दल का गठन किया और विचारार्थ विषय तैयार किए गए। संचालन दल और कृतिक दल दोनों ही की बैठकें की गई और उनकी सिफारिशों पर विचार किया गया।

4.223 आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निम्नलिखित कार्यकारी दलों का गठन किया और उनके विचारार्थ विषय तैयार किए गए:

(1) स्वःरोजगार कार्यक्रम,

(2) मजदूरी रोजगार कार्यक्रम,

(3) प्रशिक्षण, स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता, प्रौद्योगिकी आदि,

(4) प्रबन्ध और प्रशासन,

(5) क्षेत्र विकास कार्यक्रम,

(6) ग्रामीण सुविधाएं उपलब्ध करवाने के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, और

(7) भूमि सुधार।

4.224 ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों (जी.वी.के. राव समिति) के विद्यमान प्रशासनिक प्रबंधों की समीक्षा करने से संबंधित प्रधान मंत्री द्वारा पूर्ण योजना आयोग के साथ की गई बैठक की कार्यसूची और संक्षिप्त विवरण तैयार किया गया।

4.225 गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों, सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रमों, रेगिस्तान विकास कार्यक्रमों के लिए योजना आयोग के योजना मंत्री, सदस्यों और सचिव द्वारा की गई विभिन्न बैठकों के लिए टिप्पणियां तैयार की गई।

4.226 पंचायती राज संस्थाओं और आठवीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित लेख का प्रारूप तैयार किया।

4.227 योजना राज्य मंत्री की अध्यक्षता में रेगिस्तान विकास कार्यक्रम पर एक समीक्षा बैठक की गई। विशेषज्ञों की टीम द्वारा हाट एण्ड कोल्ड डेसर्ट का अध्ययन शुरु किया।

4.228 प्रभाग ने न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत हुई प्रगति पर विचार करने के लिए सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक अन्तरमंत्रालयीन समीक्षा बैठक का आयोजन किया।

4.229 प्रभाग ने जनसाधन अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा आयोजित कृषि श्रमिकों से संबंधित 'ग्रामीण क्षेत्रक के लिए जनशक्ति आयोजना' और 'ग्रामीण रोजगार संवर्धन' स्कीमों के विचार-विमर्श में भाग लिया।

4.230 प्रभाग ने भारतीय सामाजिक विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में योजना आयोग के पूर्व सदस्य श्री त्रिलोक सिंह की अध्यक्षता में ग्रामीण गरीबी दूर करने के लिए सामाजिक, संरचनात्मक, संस्थागत और व्यवहारिक परिवर्तनों तथा वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय परिवर्तन के बीच अन्तर संबंध से संबंधित वैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों के संयुक्त सेमिनार के लिए योजना से संबंधित बैठकों में योजना आयोग का प्रतिनिधित्व किया।

4.231 प्रभाग ने सुलभ शौचालयों पर एक विस्तृत टिप्पणी तैयार की है। प्रभाग के प्रमुख ने नागालैण्ड राज्य में ग्राम विकास बोर्डों के कार्य संचालन पर आधारित 'नागालैण्ड विलेजिज चूज प्रोग्रेस' नामक एक पत्र तैयार किया।

4.232 प्रभाग के अधिकारी ने (1) राजस्थान के चिरकाली सूखे से प्रभावित जिलों में गैर-खेती क्षेत्रक के अन्तर्गत रोजगार और (2) राजस्थान में सीमा क्षेत्रों का विकास से संबंधित परियोजनाओं का अध्ययन करने वाली केन्द्रीय टीम के सदस्य के रूप में अक्तूबर, 1988 में राजस्थान का दौरा किया।

4.233 प्रभाग ने इस्लामाबाद (पाकिस्तान) में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन-समस्याएं और संभावनाएं पर मार्क परिसंवाद में भाग लिया।

19. समाज कल्याण और पोषाहार प्रभाग

4.234 राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक के विचार-विमर्श के लिए पोषाहार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में समस्याओं को दर्शाने वाला एक लेख तैयार किया गया।

4.235 ग्रामीण क्षेत्रों को अधिकतर लाभ पहुंचाने के लिए शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण की सघन कोर्स स्कीम को परिशोधित किया गया जिसमें गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाली महिलाओं को वरीयता दी गई। इस परिशोधित स्कीम में व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिंकेज को सभी विकास अभिकरणों के सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम के साथ विकसित किया जाना है।

4.236 प्रभाग ने वर्ष 1988-2000 के लिए महिलाओं के वास्ते राष्ट्रीय भावी योजना को तैयार करने में भाग लिया। यह योजना खेल कूद, युवा कल्याण, महिला और शिशु विकास राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक कोर दल द्वारा तैयार की गई। संयुक्त सलाहकार, इस दल का सदस्य था। इस योजना में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और विधि जैसे सभी पहलुओं में महिलाओं के विकास की समस्याओं को ध्यान में रखा गया है और राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में महिलाओं को व्यक्तियों के समान स्तर पर लाने के लिए 12 वर्षीय अवधि के लिए एक भावी कार्यक्रम का सुझाव दिया।

4.237 विकास के विभिन्न क्षेत्रकों के अंतर्गत महिलाओं के लिए कार्यक्रमों की समीक्षा करने हेतु संबंधित मंत्रालयों और विभागों की एक बैठक बुलाई गई।

4.238 वार्षिक योजना 1988-89 के लिए समाज कल्याण और पोषाहार से संबंधित प्रारूप अध्याय तैयार किए गए।

4.239 आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए (क) समाज कल्याण; (ख) पोषाहार; और (ग) महिलाओं का विकास के लिए संचालन दलों का गठन किया गया; कार्रवाई पेपर तैयार किए गए; प्रत्येक संचालन दल की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया और आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की गई।

4.240 20-सूत्री कार्यक्रम की तिमाही प्रगति रिपोर्ट के लिए महिला और शिशु विकास विभाग द्वारा मद-9 (आई.सी.डी.एस.) पर प्रस्तुत की गई सामग्री पर टिप्पणियां तैयार की गई।

4.241 संबंधित मंत्रालयों और विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर वर्ष 1987-88 के लिए महिलाओं के लिए लाभोन्मुख कार्यक्रमों की वार्षिक प्रगति तैयार की गई।

4.242 प्रभाग के अधिकारियों ने निम्नलिखित सम्मेलनों, सेमिनारों इत्यादि में भाग लिया:–

(1) महिलाओं में निरक्षरता के उन्मूलन पर अखिल भारतीय सम्मेलन

(2) वृद्धावस्था पर अन्तर-मंत्रालयीन समिति की बैठक

(3) लंदन में लैथाइरिज्म रुग्णता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

(4) नाबार्ड द्वारा आयोजित संस्थागत क्रेडिट के जरिए ग्रामीण महिलाओं के विकास पर सम्मेलन

(5) नई दिल्ली में महिला उद्यमियों और महिला कार्यपालकों की राष्ट्रीय एसोसिएशन के द्वारा आयोजित कार्य पर राष्ट्रीय सम्मेलन।

4.243 यह प्रभाग जनवरी-मार्च, 1989 में तीन महीने के दौरान वार्षिक योजना के लिए समाज कल्याण और पोषाहार से संबंधित अध्यायों के प्रारूप तैयार करने में व्यस्त रहा। विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति से संबंधित सूचना एकत्रित की गई और उनके अधीन उपलब्धियों का आकलन और उनकी कमियां इत्यादि का संकलन किया गया। आठवीं योजना के लिए संचालन दलों और कार्यकारी दलों से संबंधित कार्य जारी रखा गया।

20. सांख्यिकी तथा सर्वेक्षण प्रभाग

4.244 सांख्यिकी तथा सर्वेक्षण प्रभाग ने योजना आयोग के विभिन्न प्रभागों तथा सी.एस.ओ. के संबंधित प्रभागों, केन्द्रीय मंत्रालयों की सांख्यिकीय इकाइयों तथा राज्य आर्थिक तथा सांख्यिकी निदेशालयों के साथ सन्निकट सहयोग के कार्य करना जारी रखा।

4.245 आर्थिक सलाह तथा सांख्यिकी से सम्बद्ध एक कार्यकारी दल का गठन 'सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी' शीर्ष के अंतर्गत राज्य सरकारों के योजना प्रस्तावों पर वार्षिक योजना 1989-90 में उन्हें शामिल करने के उद्देश्य से विचार करने के लिए किया गया। प्रभाग ने इन योजना प्रस्तावों की जांच की तथा बैठक आयोजित की और उपयुक्त योजना परिव्यय की सिफारिश करते हुए कार्यवृत्त तैयार किए गए।

4.246 सांख्यिकी विभाग तथा भारत के महापंजीकार कार्यालय की सांख्यिकी स्कीमों के प्रस्तावित तकनीकी ब्यौरों की वार्षिक योजना 1989-90 में शामिल करने के लिए जांच की गई और योजना आयोग को टिप्पणियां प्रस्तुत की गई।

4.247 'भारत की अर्थव्यवस्था आंकड़ों में, 1988' (अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में) फोल्डर तथा 'भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी आधारभूत आंकड़े 1987' के अंक प्रकाशित किए गए। आधारभूत आंकड़े 1988 के अंक की पाण्डुलिपि को भी अंतिम रूप दिया गया।

4.248 प्रभाग योजना आयोग द्वारा गठित निम्नलिखित समितियों से सम्बद्ध रहा:—

(1) योजना तथा नीति निर्धारण में आंकड़ा आधार का संकलन और समीक्षा सुधार के लिए स्थाई समिति; और

(2) विकेन्द्रीकृत क्षेत्रकों के लिए आंकड़ा आधार के सुधार के लिए स्थाई समिति।

21. राज्य योजना प्रभाग

4.249 अधिकांश राज्यों में 1987-88 वर्ष के दौरान भयंकर सूखे के कारण संसाधन बाध्यकारिताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजना 1987-88 के लिए मूलत: अनुमोदित 18939.84 करोड़ रु. के परिव्यय को 1548.83 करोड़ रु. के पतन के साथ 17391.01 करोड़ रु. परिशोधित किया गया। इस प्रकार 15 से अधिक राज्यों की योजनाएं प्रभावित हुई और आंध्र प्रदेश,

बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की योजनाओं में मुख्य कटौती की गई।

4.250 योजना आयोग द्वारा त्रैमासिक आधार पर व्यय की प्रगति का प्रबोधन किया और वर्ष 1987-88 के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के अंतर्गत कुल व्यय 17761.74 करोड़ रु. हुआ।

4.251 इस वर्ष के दौरान योजना आयोग ने सूखा प्रवृत्त क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही चालू सिंचाई परियोजनाओं/स्कीमों के कार्य को तेज गति देने योग्य उनको बनाने के लिए 14 राज्यों के लिए 236 करोड़ रु. का अतिरिक्त परिव्यय अनुमोदित किया ताकि उन क्षेत्रों को सूखे से बचाने के कार्य को लगभग 2 वर्ष में पूरा किया जा सके।

4.252 अतिरिक्त परिव्यय के वित्त पोषण के लिए परिव्यय के 50 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अर्थात् 118 करोड़ रु. आवंटित किए गए और परिव्यय की बकाया राशि सूखे के अंतर्गत रोजगार सृजन कार्यक्रम के लिए स्वीकृत केन्द्रीय सहायता के जरिए दी गई। योजना आयोग द्वारा त्रैमासिक आधार पर इस कार्यक्रम का भी प्रबोधन किया गया।

वार्षिक योजना 1988-89: राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

4.253 राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक योजना 1988-89 के लिए 20412.50 करोड़ रु. का कुल परिव्यय अनुमोदित किया गया जो पिछले वर्ष की योजना से 7.8 प्रतिशत अधिक है। कुल परिव्यय में से कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रकों अर्थात् ऊर्जा क्षेत्रक (27.7%), समाज सेवाएं (24.6%), सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण (17.8%), कृषि और संबद्ध कार्यकलाप (8.1%), परिवहन (7.5%), ग्रामीण विकास (5.3%) और उद्योग तथा खनिज (4.9%) और अन्य (4.2%) के लिए परिव्यय आवंटित किए गए।

4.254 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को ग्रामीण क्षेत्रों जैसे समाज के कमजोर वर्गों को भी लाभ पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के तौर पर जारी रखा। राज्य योजना के अंतर्गत इस कार्यक्रम में 12 संघटक जैसे प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रीण जलपूर्ति, ग्रामीण स्वच्छता, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ईंधन लकड़ी की पौधरोपण, ग्रामीण आवास, गंदी बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार, पोषाहार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली शामिल हैं। वर्ष 1988-89 योजना में इस कार्यक्रम के लिए कुल 2251.82 करोड़ रु. आवंटित किए गए जो राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कुल परिव्यय का लगभग 11 प्रतिशत है। सबसे अधिक 561.85 करोड़ रु. ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम को, फिर प्राथमिक शिक्षा को 498.96 करोड़ रु., ग्रामीण सड़कों को 317.66 करोड़ रु., ग्रामीण स्वास्थ्य को 228.69 करोड़ रुपये इत्यादि का परिव्यय आवंटित किया गया। जल पूर्ति का यह कार्यक्रम पूर्णतः केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

4.255 प्राथमिक क्षेत्रकों में निवेश को सुनिश्चित करने को मद्देनजर रखने के साथ कृषि और संबद्ध कार्यकलाप, ग्रामीण विकास, विशेषीकृत सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं, लघु सिंचाई, कमांड क्षेत्र विकास, बाढ़ नियंत्रण और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत परिव्यय रखे गए और अपरिवर्तनीय बनाए गए। इस प्रकार वार्षिक योजना 1988-89 के लिए कुल परिव्यय का लगभग 65 प्रतिशत आवंटित किया गया।

4.256 संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के वित्तपोषण की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है। राज्यों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता भी दी जाती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू

और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा नामक कुछ राज्यों के पास अपने संसाधन नहीं हैं या बहुत कम हैं और इनकी योजनाओं का वित्त पोषण पूर्णतः केन्द्रीय सहायता से किया जाता है। असम और हिमाचल प्रदेश जहां क्रमशः उनके योजना परिव्यय के 87.8% और 89.9% की सीमा तक केन्द्रीय सहायता दी गई, के अलावा इन सभी राज्यों की वार्षिक योजना 1988-89 को पूर्णतः केन्द्रीय सहायता से वित्त पोषित किया गया। शेष राज्यों के लिए केन्द्रीय सहायता उनके योजना परिव्ययों का लगभग 34 प्रतिशत थी। सभी राज्यों की योजनाओं के लिए 8293.66 करोड़ रु. की कुल केन्द्रीय सहायता दी गई जो उनके कुल योजना परिव्यय का 42.2 प्रतिशत है।

4.257 राज्यों की वर्ष 1988-89 की योजनाओं को अंतिम रूप देने के फलस्वरूप विद्युत वित्त निगम ने 8 राज्य बिजली बोर्डों जैसे आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश को विद्युत विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए 104.12 करोड़ रु. के ऋण की स्वीकृति दी। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल नामक 14 राज्यों को खाद्य उत्पादन कार्यक्रम के लिए कार्यवाही योजना के अंतर्गत सिंचाई वास्ते लगभग 100 करोड़ रु. की अग्रिम योजना सहायता आवंटित की गई। ये दो अतिरिक्त सहायताएं संबंधित राज्यों की योजनाओं का भी भाग होंगी।

4.258 योजना आयोग द्वारा त्रैमासिक आधार पर इस योजना के अंतर्गत व्यय की प्रगति की भी निगरानी की जा रही है।

वार्षिक योजना 1989-90: राज्य और संघ राज्य क्षेत्र

4.259 योजना आयोग द्वारा सितंबर, 1988 के प्रथम सप्ताह में मार्गदर्शी सिद्धान्तों के जारी करने के साथ ही इस योजना के निर्माण की प्रक्रिया आरंभ की। राज्यों से सातवीं योजना के उदार फ्रेमवर्क के भीतर योजना प्रस्तावों को तैयार करने का अनुरोध किया गया। उनसे विकेन्द्रीकृत आयोजन के महत्त्व, परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए अधिक संसाधनों के जुटाने जो क्षेत्रों को सूखा से बचाने और निःसंदेह समाज के कमजोर वर्गों तथा पिछड़े वर्गों के लिए कार्यक्रमों पर पर्याप्त बल देने में सहायक होगा, जैसी उभरती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखने का भी अनुरोध किया गया। उनसे आठवीं योजना के लिए पुनः प्रारंभिक कार्रवाई आरंभ करने का भी अनुरोध किया गया।

4.260 राज्यों से प्राप्त हुए योजना प्रस्तावों पर क्षेत्रकीय कार्यकारी दलों द्वारा विचार-विमर्श किया गया। प्रत्येक राज्य के प्रस्तावों पर विचार विमर्श करने के लिए 19 कार्यकारी दलों की स्थापना की गई। राज्य की योजनाओं को योजना आयोग तथा राज्यों के मुख्यमंत्रियों/संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपालों/प्रशासकों के बीच हुई बैठकों में अन्तिम रूप दिया गया।

आवास शहरी विकास और जल-पूर्ति प्रभाग

4.261 प्रभाग ने सातवीं योजना में दिए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवास, शहरी विकास और जल पूर्ति तथा स्वच्छता कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का संवर्धन जारी रखा है योजना स्कीमों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए स्कीमों की समीक्षा और प्रबोधन जारी रखे गए।

4.262 निम्नलिखित स्कीमों और 20-सूत्री कार्यक्रम के संबंध में गहन समीक्षा की गई:

(1) ग्रामीण आवास स्थल और निर्माण सहायता स्कीम

(2) शहरी गंदी बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार

(3) ग्रामीण पेय जल पूर्ति कार्यक्रम

(4) ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

4.263 वर्ष 1989-90 के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के वार्षिक योजना प्रस्तावों के प्रारूप पर उन्हें अन्तिम रूप देने से पहले संबंधित राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया। वर्ष 1989-90 के लिए ग्रामीण विकास विभाग और शहरी विकास मंत्रालय के केन्द्रीय वार्षिक योजना प्रस्तावों के संबंध में इसी प्रकार के अभ्यास शुरू किये गए।

4.264 प्रभाग के अधिकारियों ने कुछ नए सृजित राज्यों का राज्य पूंजी परियोजनाओं के लिए उनकी आवश्यकताओं के बारे में जानने के लिए दौरा किया।

4.265 जनवरी, 1987 में प्रधानमंत्री के कोचीन के दौरे के बाद कोचीन और समवर्ती द्वीपसमूहों के एकीकृत विकास के लिए कार्यक्रमों का सुझाव देने के लिए योजना आयोग द्वारा एक केन्द्रीय राज्य टीम गठित की गई। टीम जिसने वर्ष 1988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की कि उसकी सिफारिशों के आधार पर विकासात्मक कार्यक्रमों के समग्र समन्वय के लिए एक संयुक्त समन्वय समिति स्थापित की जाए। मुख्य सचिव, केरल सरकार की अध्यक्षता में संयुक्त समन्वय समिति गठित की गई है।

4.266 समस्याग्रस्त गांवों की सूची की संवीक्षा से पता चलता है कि ऐसे लगभग 2.27 लाख समस्याग्रस्त गांवों की संख्या कम होकर लगभग 1.62 लाख रह गई है।

4.267 वार्षिक योजना 1988-89 के दस्तावेज के लिए आवास, शहरी विकास और जलपूर्ति से संबंधित अध्याय तैयार किया गया है।

4.268 आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के अभ्यास के रूप में आवास, शहरी विकास, जलपूर्ति और स्वच्छता को बल दिए जाने वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रारूप नीति पत्र तैयार की गई।

4.269 योजना आयोग के सदस्य डा. राजा जे. चलैय्या की अध्यक्षता में निम्नलिखित दो संचालन दल गठित किए गए।

(क) शहरी आधार संरचना और आवास

(ख) ग्रामीण जलपूर्ति और स्वच्छता (ग्रामीण आधार संरचना से संबंधित संचालन दल की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में)

4.270 उपर्युक्त संचालन दल की बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुसरण में चार कार्यकारी दल गठित किए गए:

आवास	–	योजना आयोग के सचिव की अध्यक्षता में
शहरी विकास	–	शहरी विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में

शहरी जलपूर्ति और स्वच्छता	–	शहरी विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में
ग्रामीण जलपूर्ति	–	ग्रामीण विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में
ग्रामीण स्वच्छता	–	ग्रामीण विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में

4.271 इस एकक द्वारा निम्नलिखित दो अध्ययन शुरू किए गए:

(क) वित्त मंत्रालय के कहने पर वेपकास (परामर्शदाता के रूप में) की सहायता से प्रभाग द्वारा गल्फ आफ कैम्बे के ऊपर दो रास्ते वाले सड़क-पुल के निर्माण द्वारा नर्मदा स्रोत से सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र को पेय जल की पूर्ति करने के लिए गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तावित 500 करोड़ रु. से अधिक लागत वाली सभी परियोजनाओं की आवश्यकता, व्यवहार्यता, संसाधन आवश्यकता और संभव कार्यान्वयन नीति की जांच करने के लिए अध्ययन शुरू किए गए।

(ख) आपरेशन रिसर्च ग्रुप बड़ौदा की सहायता से शहरी सेवाओं की डिलीवरी और वित्त व्यवस्था पर अध्ययन शुरू किया गया।

23. ग्रामीण ऊर्जा प्रभाग

4.272 इस प्रभाग पर निम्नलिखित मुख्य कार्यक्रम करने का उत्तरदायित्व है।

(1) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम

(2) ग्रामीण विद्युतीकरण

(3) ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोत

(4) ऊर्जा संरक्षण और

(5) घरेलू कुकिंग ऊर्जा के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

4.273 प्रभाग, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम को तैयार करने और कार्यान्वयन करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार है। इस कार्यक्रम के भाग के रूप में, योजना आयोग, राज्य और जिला/खंड स्तर पर एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना एकक जिन्हें क्षेत्र आधारित एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजनाएं और परियोजनाएं तैयार करने और कार्यान्वित करने की जिम्मेवारी सौंपी हुई है, को स्थापित करने और प्रशिक्षण देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता दे रहा है।

4.274 कार्यक्रम पहले से ही 137 ब्लाक एककों में प्रचालित है और वर्ष 1988-89 के दौरान 35 नए ब्लाक स्तरीय एककों की स्वीकृति दी गई है। अभी तक, योजना आयोग द्वारा कुल 172 एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम एककों की स्थापना के लिए 31 दिसम्बर, 1988 तक 94.6 लाख रु. की राशि की स्वीकृति दी गई है।

4.275 फरवरी, 1989 तक 6 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। आर.ई.टी., गांधी ग्राम, तमिलनाडु, आई.आई.टी. बम्बई, आई.आई.टी. लखनऊ, आर.ई.सी., कुरुक्षेत्र, आर.ई.सी, जयपुर और

सरदार पटेल नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान संस्थान, बल्लभ विद्या नगर, गुजरात में एक-एक पाठ्यक्रम आयोजित किया गया है। एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यशाला बडोदरा में आयोजित की गई। चालू वर्ष में दूसरी राष्ट्रीय कार्यशाला बडोदरा में आयोजित की गई।

4.276 ग्रामीण ऊर्जा प्रभाग द्वारा विकसित एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना कम्प्यूटर माडल राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् की सहायता से योजना आयोग, पर्यावरण के अनुकूल रहा है। यह माडल खंड स्तरीय अधिकतम ऊर्जा योजनाओं की व्यवस्था करता है। माडल का योजना आयोग के मेनफ्रेम कृप्यूटर में परीक्षण किया गया तथा मान्यता दी गई। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् को एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना प्रबोधन व्यवस्था विकसित करने और ग्रामीण ऊर्जा क्षेत्रक के लिए कम्प्यूटर से संबंधित आंकड़ा बैंक सृजित करने का काम सौंपा गया।

4.277 राज्य स्तरीय एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना परियोजना के निदेशकों और अर्थशास्त्रियों के साथ तथा माननीय योजना राज्य मंत्री की एक बैठक 2 और 3 नवम्बर, 1988 को आयोजित की गई थी। इस बैठक के उद्देश्य थे: एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम के प्रभाव का अनुमान लगाना, ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और ऊर्जा के योजनागत निवेशों द्वारा उत्पादकता में वृद्धि करना तथा विकास की गति तेज करना। अधिकांशतः सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इस बैठक में भाग लिया।

4.278 सदस्य (ऊर्जा) की अध्यक्षता में जून, 1988 में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम की एक समीक्षा बैठक की गई। बैठक में निष्कर्ष निकाला गया कि आठवीं योजना में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम में पर्यावरण में सुधार और रोजगार अवसरों के सृजन के अलावा कुकिंग और बिजली जैसी मूल आवश्यकताओं पर ध्यान किए जाने की आवश्यकता है।

4.279 ग्रामीण विद्युतीकरण, बिजलीचालित पंपसेट, संक्रमण और वितरण हानियों को कम करने के लिए व्यवस्था में सुधार पारिवारिक विद्युतीकरण की गति में तेजी आदि के संबंध में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों की समीक्षा रकने के लिए राज्य बिजली बोर्ड और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के साथ नियमित समीक्षा बैठकें की गईं।

4.280 योजना आयोग के सदस्य श्री हितेन भाया की अध्यक्षता में जून, 1988 में गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के कार्यक्रमों से संबंधित समीक्षा बैठक की गई। डी.एन.ई.एस. के कार्यक्रमों की प्रगति का मूल्यांकन और प्रबोधन करने के लिए सलाहकार (ग्रामीण ऊर्जा) की अध्यक्षता में समीक्षा बैठकें भी की गईं।

4.281 प्रभाग ने ग्रामीण ऊर्जा से संबंधित आठवीं योजना के लिए एक टिप्पणी तैयार की।

4.282 प्रभाग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की भूमिका से संबंधित दो दिवसीय सम्मेलन भी आयोजित किया।

4.283 ग्रामीण ऊर्जा से संबंधित एक संचालन दल गठित किया गया। संचालन दल की सिफारिशों पर पांच कार्यकारी दल गठित किए गए। जिनके नाम हैं, (1) ग्रामीण ऊर्जा की पूर्ति और मांग (2) ग्रामीण ऊर्जा कीमत नीति (3) ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के नये और नवीकरणीय स्रोत (4) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम और (5) इंधन लकड़ी। ये अपनी रिपोर्ट बहुत जल्दी प्रस्तुत करेंगे।

4.284 प्रभाग को ऊर्जा संरक्षण का कार्य भी सौंपा गया। अलग से ऊर्जा संरक्षण से संबंधित एक कार्यकारी दल भी गठित किया गया। रिपोर्ट तैयार करने के लिए इसमें उपदल गठित किए हैं।

24. बहुस्तरीय आयोजन प्रभाग

4.285 बहु स्तरीय आयोजन प्रभाग, (क) पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (ख) पूर्वोत्तर परिषद् (ग) जिला आयोजन (घ) आयोजन तंत्र और (ड) प्रशिक्षण के संबंध में कार्य करता है।

4.286 कार्यक्रम का मूल उद्देश्य, पहाड़ी लोगों के पर्यावरण के अनुरूप उनका सामाजिक-आर्थिक विकास करना तथा साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय प्रणाली को बहाल करना, संरक्षित करना और विकसित करना है।

4.287 रिपोर्टाधीन वर्ष प्रभाग से संबंधित महत्त्वपूर्ण गतिविधियां इस प्रकार हैं:

(1) देश में नये पहाड़ी क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार करने से संबंधित विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट तैयार की गई। विशेषज्ञ दल की (क) मानकों, तथा (ख) नये पहाड़ी क्षेत्रों की सूची के संबंध में विशेषज्ञ दल की सिफारिशों पर योजना आयोग की 3.5.1988 को हुई आंतरिक बैठक में विचार-विमर्श किया गया।

(2) आठवीं योजना के दौरान अरावली की पहाड़ियों तथा (कैंडी) क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यवाही योजना के लिए उपयुक्त कार्यविधि की सिफारिश करने के लिए निम्नलिखित दो कार्यकारी दल स्थापित किए गए:

(क) राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों के विकास से संबंधित कार्यकारी दल,

(ख) पंजाब तथा हिरयाणा के "कैन्डी" क्षेत्रों के विकास से संबंधित कृतिक बल।

(3) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए नीति, कार्यनीति, तथा योजना प्राथमिकताओं से संबंधित नोट।

(4) असम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु तथा पश्चिमी बंगाल के घोषित पहाड़ी क्षेत्रों के संबंध में वर्ष 1988-89 के लिए पर्वतीय उप-योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया। संबद्ध राज्यों के उप-योजना विचार-विमर्शों के दौरान लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई भी शुरू की गई।

(5) सातवीं योजना के पहाड़ी क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए आयोजन से संबंधित मुद्दों पर परामर्श देने के लिए योजना आयोग द्वारा स्थापित की गई योजना राज्य मंत्री तीन सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में पर्वतीय क्षेत्र विकास से संबंधित परामर्शदात्री समिति की सिफारिशों/निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई शुरू की गई।

(6) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के संबंध में एक समाविष्ट समीक्षा नोट तैयार किया गया तथा गृह मंत्रालय को भेजा गया।

पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम

(7) पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए गए महाराष्ट्र तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तथा गोवा राज्य के संबंध में वर्ष 1988-89 के लिए पहाड़ी क्षेत्रों के विकास प्रस्तावों की जांच की गई तथा योजना परिव्ययों को अंतिम रूप दिया गया।

(8) सचिवों की एक बैठक पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के लिए बनी समिति, जिसके सदस्य संबद्ध राज्यों के योजना सचिव हैं तथा सचिव योजना आयोग उसके अध्यक्ष हैं, की 1987-88 में कार्यक्रम के निष्पादन की समीक्षा करने के लिए 14.9.1988 को आयोजित की गई।

(9) पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम की प्रगति की तिमाही समीक्षा की गई।

उत्तर पूर्वी परिषद्

(10) (क) उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए मंत्रियों की समिति (ख) उत्तर-पूर्वी परिषद्, तथा (ग) उत्तर पूर्वी क्षेत्र की समस्याओं से संबंधित सचिवों की समिति की बैठकों में की गई सिफारिशों/निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई शुरू की गई। उत्तर-पूर्वी परिषद् की भूमिका को उनके दीर्घावधि विकास परिप्रेक्ष्य में पुनः अनुकूल बनाने तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र का संतुलित तथा समन्वित विकास करने के लिए प्रयत्न किए गए।

(11) योजना आयोग द्वारा स्थापित केन्द्रीय टीम ने मणिपुर तथा नागालैंड का दौरा किया तथा चुनी हुई विकास परियोजनाओं की प्रगति के बारे में अवगत कराया।

(12) उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की उपयुक्तता की समीक्षा करने के लिए योजना आयोग द्वारा एक समिति की स्थापना की गई।

(13) वार्षिक योजना 1989-90 के लिए उत्तर-पूर्वी परिषद् के प्रस्तावों की जांच की गई तथा अंतिम रूप दिया गया।

(14) झूम के नियंत्रण के लिए केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम के अन्तर्गत संबद्ध नौ राज्य सरकारों से प्राप्त कृषि तथा मंत्रालय द्वारा भेजे गए प्रस्तावों की, योजना आयोग द्वारा तैयार की गई दोहरी कार्यनीति अर्थात् पहली जोकि धान उगाने वाले क्षेत्रों में फसल की गहनता बढ़ाने से संबंधित है तथा दूसरी झूम को कम करने तथा उसे स्थायी खेती तथा वैकल्पिक आय सृजन करने वाले काम धन्धों से प्रतिस्थापित करने संबंधी है, को ध्यान में रखते हुए जांच की गई।

जिला आयोजना

4.288 उपाध्यक्ष तथा योजना मंत्री ने संभी मुख्य मंत्रियों को जिला योजनाएं तैयार करने के काम को उच्च प्राथमिकता देने के लिए लिखा ताकि वे आठवीं योजना का आधार बन सकें। उत्तर प्रदेश (अल्मोड़ा), हरियाणा (गुड़गांव), राजस्थान (झालावाड़) तथा गुजरात (खेड़ा), प्रत्येक के एक-एक जिले के लिए चार जिला योजनाएं तैयार की गई हैं। माडल योजनाएं तैयार करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं तथा इस संबंध में किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) परामर्शी संगठनों की सहायता से माडल जिला योजनाएं तैयार करने के लिए प्रति राज्य एक लाख रु. की सीमा तक 50 प्रतिशत की दर से राज्यों को केन्द्रीय सहायता देना। राज्यों ने ऐसे जिले बताए हैं जिनके लिए ऐसी योजनाएं बनाने पर विचार किया गया है।

(2) योजना आयोग द्वारा पांच राज्यों अर्थात् तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल प्रदेश,

तथा उत्तर प्रदेश, के एक-एक जिले के लिए माडल जिला योजनाएं तैयार करने तथा प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान शुरू किया जाना।

(3) वार्षिक योजना 1989-90 के लिए अधिकतर राज्यों द्वारा जिला आयोजना के लिए संयुक्त धनराशियों के प्रावधान की जांच किया जाना।

(4) पंचायतों के नियमित रूप से चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध इसमें जिला योजनाएं तैयार करने, कार्यान्वित करने तथा उनका प्रबोधन करने के काम में लोगों को शामिल करने में सहायता मिलेगी।

(5) प्रशिक्षण तथा सूचना में अन्तराल से संबंधित दो कार्यकारी दलों का गठन, तथा

(6) कृषि जलवायु वाले क्षेत्रीय स्तर पर आयोजना के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करना।

योजना तंत्र तथा प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण

4.289 पिछले वर्ष, राज्य तथा जिला, दोनों ही स्तरों पर, योजना तत्र के सुदृढ़ीकरण की योजना को जारी रखा गया। इस स्कीम के अन्तर्गत योजना तंत्र पर राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तर पर किए गए व्यय का 2/3 भाग तथा जिला स्तर पर किए गए व्यय का आधा भाग राज्यों को वापिस कर दिया जाता है। वार्षिक योजना 1988-89 के लिए राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच की गई तथा राज्यों को केन्द्रीय सहायता दी गई।

4.290 प्रशासनिक स्टाफ कालिज, हैदराबाद के सहयोग से बहुस्तरीय योजना का दसवां पाठ्यक्रम आयोजित किया गया। आर्थिक संवृद्धि संस्था, दिल्ली ने भी निवेश योजना तथा परियोजना मूल्यांकन में डिप्लोमा कोर्स आयोजित किया।

25 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रभाग

4.291 वर्ष 1988-89 के प्रारंभ से ही एक वार्षिक कार्यवाही योजना बनाई गई और प्रभाग के सारे कार्यकलाप इस कार्यवाही योजना की ओर उन्मुख किए गए। कुछ महत्त्वपूर्ण कार्यकलाप नीचे दिए गए हैं:

4.292 आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए एवं प्रौद्योगिकी योजना के निर्माण हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित एक संचालन दल का गठन किया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित संचालन दल ने 14 कृतिक बलों का गठन किया। ये हैं: आठवीं योजना में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए नीति, योजना उद्देश्यों के साथ-साथ सातवीं योजना के कार्यक्रमों की समीक्षा, मूल अनुसंधान-गुणवत्ता का विकास, बल दिए जाने वाले क्षेत्रों का निर्धारण, प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के तंत्र और व्यवहारिक अनुसंधान के लिए सहायता, आठवीं योजना में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रक के लिए मिशन नीति, सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रकों, कार्यक्रमों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के एकीकरण के लिए तंत्र, गरीबी उन्मूलन के लिए तथा मौलिक न्यूनतम आवश्यकताओं को प्राप्त करने हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए तंत्र तथा नीतियां, विज्ञान एक उज्जवल भविष्य, रोजगार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आठवीं योजना में प्राथमिकता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से संबंधित विचार धारणा और दार्शनिकता तथा नीति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा, जनशक्ति

आयोजन में प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण, वैज्ञानिक संतुलन इत्यादि और राज्यों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग और विकास। अधिकांश कृतिक बलों ने अपनी रिपोर्ट संचालन दल को प्रस्तुत कर दी हैं जिसने उन पर विचार-विमर्श किया है। परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, महासागर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, न्यायालयीय विज्ञान और पुलिस वायरलैस, बायो-टैक्नोलोजी, मौसम विज्ञान, बायो-चिकित्सा अनुसंधान से संबंधित कार्यकारी दलों का भी गठन किया गया।

4.293 आठवीं योजना के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रक हेतु नीति पत्र भी तैयार किया गया।

4.294 सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रकों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संघटक पर विचार-विमर्श करने के लिए विशेषकर इन क्षेत्रकों में अंदरूनी प्रयासों के जरिए और देश में पहले से सृजित आधार संरचना का इस्तेमाल करते हुए आधुनिकता, उत्पादकता/कुशलता इत्यादि की सीमाओं में सुधार करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को लाया जा सकता है, को सुनिश्चित करने की दृष्टि से कई बैठकें आयोजित की गईं। इनके जरिए आठवीं योजना के लिए इन क्षेत्रकों में प्रौद्योगिकी योजनाओं को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया। रसायन-पैट्रो-रसायन, फार्मास्यूटिकल्ज, रेलवे, नागरिक उड्डयन, भूतल परिवहन, दूर-संचार, खान, कोयला, श्रम, इस्पात इत्यादि क्षेत्रकों पर विचार-विमर्श किया गया।

4.295 राज्यों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास और उपयोग के लिए दिनांक 13 और 14 अक्तूबर, 1988 को राज्यों के मुख्य सचिवों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा योजना सचिवों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। यह सुनिश्चित करना था कि विशेषकर राज्य योजनाओं में सामाजिक-आर्थिक और विकासशील क्षेत्रकों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संघटक को समाविष्ट करने के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र आठवीं योजना के लिए एक विस्तृत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की रूपरेखा तैयार करेंगे। राज्य सरकारों को इस संबंध में मुख्य कार्रवाई आरंभ करने की सलाह दी गई।

4.296 योजना आयोग ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यकलापों के संबंध में आयोजन और समन्वय कार्यों को करने के लिए सृजित किए जाने वाले एक नए निकाय के ढांचे को परिभाषित करने के लिए योजना मंत्री की अध्यक्षता में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित एक समिति का गठन किया। इस समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई है।

4.297 वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप देना, ई.एफ.सी. और सलाहकार समितियों की बैठकों में भाग लेना जैसे प्रभाग के नियमित कार्यकलापों के अलावा, प्रभाग के अधिकारियों ने निम्नलिखित कार्य में भी सक्रिय रूप से भाग लिया:

(1) प्रधान मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा युवा वैज्ञानिकों की सहभागिता के साथ "विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए एक दृश्य और कार्य नीति तथा आठवीं योजना के दौरान इसकी उपयोगिता" पर विचार-विमर्श करने के लिए बैठकें आयोजित की गईं।

(2) राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद द्वारा "राष्ट्रीय विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी," दृश्य, अवसर, चुनौतियां और कार्यान्वयन तथा आधुनिक बायोलाजी में क्षेत्र कार्य पर आयोजति परिसंवाद।

(3) "प्रशासन और विज्ञान का प्रबंध" विषय पर वैज्ञानिक विभागों के लिए परामर्शदात्री समिति।

(4) भुवनेश्वर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की उपयोगिता के जरिए ग्रामीण विकास के लिए राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् की भूमिका पर छठी अखिल भारतीय कार्यशाला।

(5) 1990-2000 दशक के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकासशील अनुप्रयोग पर श्री नितिन देसाई की अध्यक्षता में योजना आयोग द्वारा गठित समिति।

(6) देशी कार्यक्रम-2 के दौरान यू.एन.डी.पी. से सहायता के लिए परियोजना प्रस्तावों को शामिल करने पर विचार करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग में हुई बैठकें।

(7) तीसरी दुनिया की विज्ञान अकादमियों द्वारा त्रिस्ते, इटली में आयोजित विकसित देशों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास में महिलाओं की भूमिका पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रमुख (विज्ञान) ने भाग लिया और एक पेपर प्रस्तुत किया।

(8) प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एन.आर.आई, वैज्ञानिकों के दल के साथ बैठक और प्रारंभिक बैठक।

(9) दीर्घावधि आधार पर सूखे को खत्म करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागों द्वारा किए गए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों की अनुवर्ती कार्यवाही और प्रगति पर विचार-विमर्श करने के लिए प्रधान मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और सदस्य (एम.) के द्वारा बुलायी गई समीक्षा बैठक।

पर्यावरण

4.298 आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) के निर्माण के उद्देश्य से पर्यावरण, वन और बंजर भूमि के विकास से संबंधित एक संचालन दल का गठन किया गया। संचालन दल के कार्य के लिए निवेश प्रदान करने हेतु 8 कृतिक बल और कई विशेषज्ञ दल गठित किए गए। ये हैं : पर्यावरण और सहनीय विकास, विचार-धारणा परिभाषाएं, नाप-तोल और निगरानी यंत्र, पर्यावरणीय अर्थ-शास्त्र, जीविका, गरीबों की सुरक्षा और क्षेत्रकीय विश्लेषण, अनुसंधान, शिक्षा और विस्तार, संस्थागत रचना, जिम्मेदारियां और उत्तरदायित्व, विधान, नियामक और प्रशासनिक ढांचा, पब्लिक चेतना और युवाओं की सहभागिता, वातावरणीय परिवर्तन और पर्यावरण।

4.299. पर्यावरणीय क्षेत्रक के लिए आठवीं योजना हेतु प्रारूप दृष्टिकोण तैयार किया गया।

4.300 पर्यावरण और वन से संबंधित संचालन दल को निवेश प्रदान करने हेतु पर्यावरण और वन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित एक कार्यकारी दल का गठन किया गया।

4.301 विशिष्ट क्षेत्र विकास (पर्वतीय और रेगिस्तान) तथा एकीकृत लेक प्रणाली के लिए दो अध्ययन आरंभ किए गए। ये प्राप्त हो गए हैं और संचालन दल द्वारा जांच की जा रही है।

4.302 वर्ष 1988-89 में गंगा कार्य योजना के लिए प्रबोधन समिति की 3 बैठकें आयोजित की गयी।

4.303 सदस्य (एम) द्वारा आयोजित समेकित विकास अनुसंधान से संबंधित कार्यशाला, सचिवों/

अध्यक्ष, की बैठक, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और गंगा कार्य योजना की संचालन समिति में अधिकारियों ने भाग लिया।

4.304 सातवीं योजना स्कीमों और आठवीं योजना के लिए कार्यनीति की समीक्षा और विचार-विमर्श करने के लिए विस्तृत विचार-विमर्श क्षेत्र दौरे किए गए।

द्वीपसमूह विकास

4.305 द्वीपसमूह विकास प्राधिकरण की दो बैठकें आयोजित की गयीं। दिनांक 29 जून, 1988 को द्वीपसमूह विकास प्राधिकरण की चौथी बैठक हुई। विद्यमान जलयान के स्थान पर लक्ष्यद्वीप के लिए एक और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के लिए दो जलयानों की व्यवस्था करने, द्वीपसमूह में बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए अल्पावधि उपाय, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में जनजातीय जनसंख्या की समस्याओं की देखभाल करने के लिए परियोजना टीमों का गठन और द्वीपसमूह के दो दलों में यातायात के लिए मास्टर प्लान की स्वीकृति से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। द्वीपसमूह विकास प्राधिकरण की 5वीं बैठक दिनांक 6 जनवरी, 1989 को कार निकोबार में हुई। सभी संबंधित मंत्रालयों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की राय प्राप्त होने के बाद कार्यवृत्त तैयार किया गया।

4.306 चालू वर्ष के दौरान द्वीपसमूह विकास प्राधिकरण की संचालन समिति की चार बैठकें हुई। भूमि उपयोग पैटर्न से संबंधित पहलू/रिपोर्ट, आंतरिक द्वीपसमूह यातायात, यातायात के मास्टर प्लान, रोजगार पहलू, द्वीपसमूह के लिए अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में जनजातीय जनसंख्या की सुरक्षा के उपाय और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर विचार-विमर्श किया गया और पर्यटन, दूर-संचार और मानव संसाधन विकास के लिए कार्य योजना की समीक्षा की गई और द्वीपसमूह विकास प्राधिकरण को निर्णय प्रस्तुत किए गए।

4.307 द्वीपसमूह विकास प्राधिकरण से संबंधित सभी कार्य जिसमें द्वीपसमूह विकास प्राधिकरण के निर्णयों पर अनुवर्ती कार्यवाही शामिल है, मंत्रालयों के साथ विभिन्न मदों का पालन करते हुए और नियमित समय सारणी, प्रबोधन इत्यादि के आधार पर समग्र समन्वय का अनुपालन किया जा रहा है।

वानिकी और वन्य जीवन

4.308 आठवीं योजना के लिए कार्यनीतियां बनाने के लिए पर्यावरण और वन, बंजर भूमि विकास से संबंधित एक संचालन दल का गठन किया गया। आठवी योजना के निर्माण के लिए वानिकी और वन्य जीवन के लिए तथा बंजर भूमि विकास के लिए भी कार्यकारी दलों का गठन किया गया। प्रभाग में से अधिकारियों ने कार्यकारी दलों तथा उपदलों की बैठकों में भाग लिया। पर्यावरण, वन तथा बंजरभूमि विकास के संबंध में संचालन दल की दो बैठकें हुई, पर्यावरण, वन तथा बंजरभूमि से संबंधित विभिन्न विशेष पहलुओं का अध्ययन करने के लिए संचालन दल के अन्तर्गत आठ कृतक बलों की भी स्थापना की गई, बैठकें हुई तथा उपनी रिपोर्टों को अन्तिम रूप दिया। वानिकी क्षेत्रक के लिए नीति को भी अंतिम रूप दिया गया। ईंधन लकड़ी तथा चारे के संबंध में अध्ययन दल ने भी अपनी रिपोर्ट समाप्त की।

4.309 व्यय वित्त समिति ने विभिन्न राज्य सामाजिक वानिकी परियोजनाओं, केन्द्रीय मंत्रालयों आदि के ज्ञापनों की जांच की। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में कार्य दल ने भी दिसम्बर,

88 तक विचार-विमर्श समाप्त किए। 1989-90 के लिए परिकल्पित विभिन्न स्कीमों तथा कार्यकलापों की प्रगति की विस्तृत रूप से समीक्षा की गई और राज्यों के प्रतिनिधियों को आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए विभिन्न सुझाव दिए गए। 20 सूत्री कार्यक्रम तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों आदि के अन्तर्गत की गई प्रगति का भी प्रबोधन किया गया। पश्चिमी घाट, पर्वतीय क्षेत्र उप-योजना, जनजातीय उप-योजना, एस.सी.पी. तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रम से संबंधित विकासात्मक कार्यक्रमों के साथ घनिष्ठ संबंध है।

4.310 क्षेत्र की स्थितियों के अध्ययन करने की दृष्टि से तथा विभिन्न कार्यक्रमों तथा समस्याओं के कार्यान्वयन की प्रगति पर विचार-विमर्श करने के लिए असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि का दौरा किया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लक्ष्यों को प्राप्त करने में वृक्षारोपण स्कीम अच्छी तरह प्रगति करेगी, प्रति हैक्टेयर लागत कम होगी, सभी अनुमोदित सातवीं योजना स्कीमें शुरू की जाएंगी, अनुसंधान तथा विकास संबंधी प्रयास किए जाएंगे, पूर्ण प्रयास किए जाएंगे।

4.311 उद्योग तथा खनिज क्षेत्र से संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की 1989-90 की वार्षिक योजना प्रस्तावों पर सलाहकार तथा सचिव, योजना आयोग के स्तर पर गहराई से विचार-विमर्श हुआ और 1989-90 के लिए परिव्ययों की सिफारिश की। उद्योग, खनिज तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की स्कीमों से संबंधित 1989-90 के लिए राज्य योजना प्रस्तावों पर कार्यदल की बैठकों में विचार-विमर्श किया गया और अनुकूल परिव्ययों की सिफारिश की गई। इन बैठकों में योजना परियोजनाओं/स्कीमों के कार्यान्वयन पर भी विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया।

4.312 1989-90 में 122 जिलों के लिए क्षमता तथा उत्पादन के लक्ष्यों को वार्षिक योजना 1989-90 को तैयार करते समय अन्तिम रूप दिया गया।

4.313 केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक योजना 1989-90 के विचार-विमर्श के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के योजना कार्यक्रमों (औद्योगिक क्षेत्रक) की समीक्षा के अलावा योजना निष्पादन तथा विशेष उद्योगों की समस्याओं पर भी योजना आयोग में की गई निम्नलिखित बैठकों में विचार-विमर्श किया गया।

4.314 खनन क्षेत्र के निष्पादन की योजना आयोग के सदस्य श्री हितेन भाया की अध्यक्षता में हुई बैठक में समीक्षा की गई।

4.315 भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए लौह अयस्क की दीर्घावधि आवश्यकताओं के संबंध में कार्यदल की सिफारिशों पर अन्य बैठक में विचार-विमर्श किया गया और अनुवर्ती कार्यवाही पर विचार किया गया।

4.316 योजना आयोग के सदस्य श्री आबिद हुसैन की अध्यक्षता में हुई बैठकों में उर्वरक का निष्पादन तथा समस्याओं और 1987-88 में पैट्रो-रसायन उद्योगों की जांच की गई। योजना आयोग के सदस्य श्री आबिद हुसैन की अध्यक्षता में हुई अन्य बैठकों में टैक्सटाईल नीति की समीक्षा की गई।

4.317 मशीन भवन तथा प्रबन्ध का आर्थिक प्रचालन और निर्माण की योजनाओं पर योजना विशेषज्ञों की भारत-जर्मन दल की सातवीं बैठक से पहले प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखकर विचार-विमर्श किया गया।

4.318 एयरक्राफ्ट विनिर्माण उद्योग की नीति के संबंध में योजना आयोग के सदस्य श्री आबिद हुसैन की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। योजना आयोग के सचिव द्वारा आयोजित बैठक में महाराष्ट्र गैस क्रेकर काम्पलैक्स की 300,000 टन प्रति वर्ष क्षमता को 400,000 टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने की व्यवहार्यता और दीर्घावधि आधार पर गैस की उपलब्धता, अतिरिक्त की उपयोग पद्धति आदि जैसे संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श किया गया।

4.319 दिनांक 6-6-1988 को योजना आयोग के सचिव द्वारा आयोजित अन्य बैठक में कीटनाशकों पर सीमा करो तथा उत्पाद करों को कम करने की संभावना ताकि ये किसानों को उपयोग में वृद्धि करके कम कीमत पर उपलब्ध हो, पर विचार-विमर्श किया गया।

4.320 सलाहकार (उद्योग तथा खनिज) द्वारा आयोजित कुछ बैठकों में सूती वस्त्र, उर्वरक, दवाईयां तथा औषधियां चीनी, कागज तथा सीमेंट जैसे उद्योगों के आधुनिकीकरण कार्यक्रमों की समीक्षा की गई।

4.321 सलाहकार (उद्योग तथा खनिज) ने विभिन्न राज्यों के लिए साधारण अपगामी निरूपण संयंत्रों की स्थापना संबंधी स्कीमों पर विचार-विमर्श करने के लिए कुछ बैठकों का आयोजन किया।

4.322 तापीय विद्युत संयंत्रों का उपयोग तथा निपटान के संबंध में अन्य बैठकों का भी आयोजन किया गया।

4.323 सलाहकार (उद्योग तथा खनिज) द्वारा आयोजित बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के उपयोग पर विचार-विमर्श किया गया।

4.324 निम्नलिखित नीति संबंधी मुख्य मामलों/अध्ययनों को भी शुरू किया गया और पत्र तैयार किए गए।

4.325 सीमा स्थापित करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ढांचा तथा तकनीक और कोयला, खनिज तथा विद्युत क्षेत्रक में चुंगियों की दरों में समानता लाने के लिए सचिवों की समिति की सिफारिशों पर मंत्रियों के दल द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही की गई।

4.326 केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा कोयला तथा खनिजों पर उपकर, चुंगियां तथा करों के मामले के संबंध में मंत्रियों के दल के निर्णय के अनुसार 9वें वित्त आयोग में कुछ अतिरिक्त विचारार्थ विषय को शामिल करने का प्रश्न वित्त मंत्रालय के विचाराधीन है।

4.327 पूंजी सामग्री के संबंध में सलाहकार दल की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है और योजना आयोग में विचाराधीन है।

4.328 योजना आयोग के सदस्य श्री आबिद हुसैन की अध्यक्षता में आठवीं योजना की पैट्रो-रसायन परियोजनाओं, जिन पर अग्रिम कार्यवाही की जानी है, के निर्धारण के लिए एक अध्ययन दल की स्थापना की गई।

4.329 देश में एयर क्राफ्ट तथा संघटकों के विनिर्माण के संबंध में नागर एयर क्राफ्ट तथा संबंधित संघटकों के विनिर्माण करने की भावनाओं का अध्ययन करने के उद्देश्य सहित एक अध्ययन दल की भी स्थापना की गई।

4.330 सचिवों की समिति की इच्छानुसार, गैस आधारित घास उर्वरक संयंत्रों के लिए आदर्शी पूंजी लागत का निर्धारण तथा आदर्शी धारण कीमत के संबंध में योजना आयोग में तैयार की गई विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट सहित नए गैस आधारित घास उर्वरक संयंत्रों के लिए दलधारण कीमत के संबंध में एक टिप्पण तैयार किया गया और सचिवों की समिति को प्रस्तुत किया गया। सचिवों की समिति द्वारा दिनांक 21.7.88 तथा 22.9.88 को रिपोर्ट पर विचार किया गया और योजना आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार किया गया।

4.331 हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड अर्थात् दुर्गापुर, बरौनी और नामरूप संयंत्रों की प्रचालन इकाइयों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की और इन इकाइयों को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए उपलब्ध विकल्पों की जांच की और व्यावहारिक कार्य दिशा का सुझाव दिया। इस संबंध में बनाई गई टिप्पणियां संबंधित सचिवों को परिचालित कीं।

4.332 योजना आयोग में संबंधित सचिवों को परिचालित करने के लिए हल्दिया उर्वरक योजना परियोजना पर एक विस्तृत नोट तैयार किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ संयंत्रों के पुर्नसंयोजन और चालू करने के उपलब्ध विकल्पों का भी परीक्षण किया गया।

4.333 आठवीं योजना में ऐरोमैटिक्स के मांग-पूर्ति प्रेक्षणों और प्रेक्षित मांग-पूर्ति अन्तराल को पूरा करने के लिए उपलब्ध विकल्पों से संबंधित लेख तैयार किया।

4.334 मध्यप्रदेश के सरगुजा जिले में बॉक्साइट के स्रोतों से लेकर रेनुकूट और कोरबा स्थित हिन्डेल्कों और बाल्कों संयंत्रों तक संभावित संपर्कों के लिए परिवहन की आवश्यकता का अध्ययन किया गया और इस संबंध में टिप्पणी तैयार की गई।

4.335 आठवीं योजना तैयार करने और उद्योगों से संबंधित आठवीं योजना की नीति के मूलभूत पहलुओं से संबंधित विचार-विनिमय के लिए योजना आयोग के सदस्य श्री आबिद हुसैन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय संचालन समिति का गठन किया गया। संचालन समिति ने औद्योगिक क्षेत्रक से संबंधित नीतियों के विभिन्न पहलुओं और प्रमुख उद्योगों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए 18 कार्यकारी दलों का गठन किया।

27. परिवहन विकास

4.336 इस प्रभाग ने राज्यों और केन्द्र के लिए वर्ष 1988-89 की वार्षिक योजना के लिए पर्यटन और परिवहन क्षेत्रकों से संबंधित नीतियों, विश्लेषणों और मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अंतिम रूप प्रदान किया और इसी प्रकार आगामी वर्ष 1989-90 के लिए भी कार्यवाही प्रारंभ की।

4.337 संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों से उनके वार्षिक योजना प्रस्तावों 1989-90 से संबंधित व्यापक विचार-विमर्श किए गए। केन्द्रीय मंत्रालयों के वार्षिक योजना प्रस्ताव 1989-90 से संबंधित विश्लेषणात्मक कागजात तैयार किए गए।

4.338 राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के वित्तीय संसाधनों के आकलन से संबंधित मार्गदर्शी सिद्धान्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजे गए। वर्ष 1988-89 के दौरान राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के

प्रतिनिधियों के साथ उनके भौतिक और वित्तीय कार्य-निष्पादन तथा 1989-90 की संभावनाओं के संबंध में गहन विचार विमर्श किए गए।

4.339 एकीकृत आधार पर ऊर्जा और परिवहन क्षेत्रकों के लिए दीर्घावधिक आयोजना पर इसके कार्य को क्रम व्यवस्थित करने के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं के मार्ग के रूप में, योजना आयोग द्वारा अक्तूबर, 1985 में परिवहन आयोजन से संबंधित अध्ययनों के लिए संचालन समिति स्थापित की गई। संचालन समिति के अधीन विभिन्न परिवहन साधनों अर्थात् नागर विमानन, सड़क, रेलवे, पत्तन आदि के लिए कार्यकारी दलों का गठन किया गया ताकि व्यवहार्य प्रौद्योगिकीय समुन्नति की सिफारिश की जा सके। संचालन समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त, 1988 में प्रस्तुत की।

4.340 पर्यटन क्षेत्रक के लिए एकीकृत आधार पर दीर्घावधिक भावी योजना तैयार करने के संदर्भ में, योजना आयोग ने जुलाई, 1986 में पर्यटन से संबंधित राष्ट्रीय समिति का गठन किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट मई, 1988 में प्रस्तुत की।

4.341 जल-भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा परिवहन के विभिन्न उप-क्षेत्रकों के लिए तैयार किए गए प्रस्तावों के संदर्भ में तैयार ई.एफ.सी. ज्ञापनों/पी.आई.बी. टिप्पणियों का परीक्षण किया गया।

4.342 इस वर्ष आठवीं योजना तैयार करने से संबद्ध कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। विभिन्न कार्यकारी दल गठित किए गए हैं ताकि प्रत्येक उपक्षेत्रक की जांच की जा सके और तत्संबंधी सिफारिश की जा सके।

28. ग्रामीण तथा लघु उद्योग प्रभाग

4.343 आठवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने में सहायता के लिए हथकरघा, खादी और ग्रामोद्योग से संबंधित कार्यकारी दलों का गठन किया गया। इन दलों ने विभिन्न बैठकें आयोजित की। आठवीं योजना के लिए लघु उद्योगों, भावी संभावनाओं और योजना के लिए समग्र नीति पर विचार-विमर्श के लिए विशेषज्ञों के तदर्थ दल की दो बार बैठक हुई।

4.344 मंत्रालयों/विभागों/संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों/स्कीमों की जांच की गई। इसमें इन प्रस्तावों/स्कीमों को शामिल किया गया (1) कोलम्बो प्लान के लिए जापानी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करना (2) असम में भूरी नारीयल जटा का विकास केन्द्र खोलना (3) कर्नाटक में सूखे से प्रभावित रेशम उत्पादकों के लाभ के लिए स्कीम चलाना (4) पंजाब में संयुक्त क्षेत्रक में हथकरघा वस्त्रों तथा धागों का उत्पादन (5) चरखी पर धागे लपेटने के लिए डिजाइन बनाने हेतु जापानी इंजीनियर प्राप्त करना (6) पूर्वोत्तर प्रदेशों में खनिज उत्पादों परिवहन के लिए सस्ती सेवा का विस्तार करना (7) विश्व बैंक सहायता से राष्ट्रीय रेशम उत्पाद परियोजना (8) हथकरघा क्षेत्रक को सस्ते दाम पर हस्तनिर्मित धागे दिया जाना और (9) रेशम हथकरघों के लिए निर्यात संवर्धन परियोजना स्थापित करना।

4.345 इस प्रभाग ने वर्ष के दौरान अनेक टिप्पणियां/कागजात तैयार किए जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) ग्राम और लघु उद्योग क्षेत्रक के लिए नए नीतिगत प्रयासों संबंधी कागजात (ii) ग्राम एवं लघु क्षेत्रक के संबंध में संसदीय सलाहकार समिति की बैठक के लिए कागजात/प्रलेख (iii) ग्रामीण औद्योगीकरण पर एक टिप्पणी (iv) उद्योग में रुग्णता से संबंधित संक्षिप्त (v) ग्राम और लघु उद्योग क्षेत्रक में रोजगार सृजन पर टिप्पणी।

4.346 इस प्रभाग ने दो प्रकाशन अर्थात् (i) ग्राम एवं लघ् क्षेत्रक के लिए ऋण सुविधाओं से संबद्ध समिति की रिपोर्ट (ii) ग्रामीण औद्योगीकरण पर सेमिनार जिसमें ग्रामीण औद्योगीकरण के विभिन्न पहलुओं से संबद्ध लेख और संगोष्ठी की कार्यवाही से संबंधित शामिल लेख प्रकाशित कराए।

4.347 वर्ष 1988-89 के लिए राज्य योजनाओं हेतु वार्षिक योजना विचार-विमर्श किए गए। वार्षिक योजना 1988-89 के लिए परिव्ययों को अंतिम रूप देने के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों के साथ भी व्यापक विचार-विमर्श किए गए। इन विचार विमर्श संबंधी पृष्ठभूमि लेख, बैठकों के कार्यवृत, संक्षिप्त विवरण इत्यादि तैयार किए गए।

29. प्रशासनिक प्रभाग

4.348 वर्ष के दौरान, नियमित जाँच तथा समीक्षा के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि सिविल पदों पर कार्यरत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के विषय में सरकार द्वारा जारी आदेशों का सम्यक रूप से अनुपालन हो रहा है।

4.349 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया कि योजना आयोग में भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार के संबंध में सस्कार द्वारा जारी किए गए आदेशों का पालन न किया गया हो।

सहायता अनुदान

4.350 जनसाधन अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली योजना आयोग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक स्वायत निकाय है, को दिसम्बर, 1988 के अंत तक इसके अनुसंधान तथा अन्य कार्यकलापों के लिए 60 लाख रु. का अनुदान दिया गया जबकि 87-88 में 68 लाख रु. दिये गए थे। "सहायता अनुदान" शीर्ष के अंतर्गत 1988-89 के लिए बजट में जनसाधन अनुसंधान संस्थान के लिए कुल 73 लाख रु. का प्रावधान है।

30. पुस्तकालय

4.351 योजना आयोग पुस्तकालय कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन सहित योजना आयोग के सभी स्टाफ सदस्यों को संदर्भ सेवा तथा पुस्तकों की सभी सुविधाएं देता रहा। यह अधिकतर सभी भारत सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के पुस्तकालयों को अन्तर-पुस्तकालय ऋण सेवा भी प्रदान कर रहा है। शोधकर्ताओं, विद्वानों तथा अन्य संगठनों, संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों आदि के अधिकारियों को परामर्श संबंधी सुविधायें भी उपलब्ध करायीं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 1750 अंग्रेजी तथा 1125 हिन्दी प्रकाशन खरीदे गए और 725 पत्र-पत्रिकाएं पुस्तकालय में आयी। पुस्तकालय ने 23,722 संदर्भों के भी उत्तर दिए तथा 11,532 व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति की। लगभग 25,255 पाठक पुस्तकालय में आए।

4.352 राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 19.6.74 के परिपत्र सं. 11020/21/73-रा.भा. के अनुसार इस पुस्तकालय ने लगभग 25% हिन्दी तथा 75% अंग्रेजी पुस्तकों की खरीद पर व्यय किए।

4.353 पुस्तकालय में (i) चुनिंदा लेखों, प्राप्त पत्र-पत्रिकाओं में से इन्डेक्स किए गए चुनींदे लेखों की एक पाक्षिक सूची "डॉक प्लान" पुस्तकालय में मंगाई गई (ii) नई पुस्तकों की पाक्षिक सूची, "रीसैंट एडीसंश" और (iii) पी.सी.एल. एब्स्ट्रक्ट्स" नामक तिमाही सेवा नियमित रूप से देना जारी रखा।

31. हिन्दी का प्रयोग

4.354 राजभाषा नीति के अनुसरण में, हिन्दी के प्रयोग की प्रगति की सतत समीक्षा की गई, कई बार सचिव के स्तर पर, वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में भी हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के विषय में प्रयास किए गए। वर्ष के दौरान योजना मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की तीन बैठकों और योजना आयोग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दो बैठकों का आयोजन किया गया। इन बैठकों में हिन्दी के काम की प्रगति के बारे में लिए गए निर्णयों को यथाशक्ति कार्यान्वित किया गया।

4.355 योजना से संबंधित उच्च स्तरीय हिन्दी में मूल पुसतकें लिखने को प्रोत्साहन देने के लिए योजना आयोग द्वारा लागू की गई "कौटिल्य पुरस्कार योजना" की पुरस्कार राशि को बढ़ाया गया। प्रथम पुरस्कार 5000/- रु. से बढ़ाकर 10,000/- रु. किया गया तथा अन्य पुरस्कारों की राशि भी बढ़ाई गई।

4.356 योजना आयोग के 80 प्रतिशत से भी अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त किया।

'हिन्दी आलेखन व टिप्पण प्रतियोगिता, 1988 में योजना मंत्री माननीय श्री माधव सिंह सोलंकी से 500/- रुपये का प्रथम पुरस्कार लेते हुए श्री सुरेन्द्र कुमार नागी, सहायक'

4.357 योजना आयोग में सितम्बर, 1988 को 'हिन्दी सप्ताह' मनाया गया। इस अवसर पर हिन्दी की प्रगति के प्रयोग के संबंध में योजना मंत्री के हस्ताक्षर से एक अपील भी जारी की गई। हिन्दी सप्ताह के दौरान हिन्दी की एक कार्यशाला, प्रारूपण टिप्पण प्रतियोगिता और हिन्दी पुस्तकों की प्रदर्शनी आयोजित की गई। सप्ताहांत में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।

4.358 आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990-95) को तैयार करने के संदर्भ में संघ राज्य सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की गति को तेज करने की एक व्यापक योजना तैयार करने की दृष्टि से राजभाषा से संबद्ध एक कार्यदल का गठन किया गया है।

32. कल्याण संबंधी क्रियाकलाप

4.359 योजना आयोग क्लब, पहले की भाँति, अपने सदस्यों के बीच सांस्कृतिक और मनोरंजन कार्यकलापों का आयोजन करता रहा है। क्लब के सदस्यों की संख्या 500 के लगभग बढ़ गई है। मनोरंजन क्लब 1988-89 के दौरान भी आयोग के अधिकारियों को दैनिक समाचार पत्र-पत्रिकाएं मुहैया करता रहा।

4.360 वर्ष 1988-89 के दौरान, क्लब ने सूचना एवं प्रचार निदेशालय दिल्ली प्रशासन के सहयोग से दो चल-चित्र 'जिस देश में गंगा बहती है' और 'समाधि' दिखाएं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नाटक प्रभाग ने 14.7.1988 को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने में सहायता की। वर्ष के दौरान की गई क्लब की अन्य सांस्कृतिक स्पर्धाएं इस प्रकार हैं:–

(i) 9.8.88 को प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की गई।

(ii) क्लब के सदस्यों ने केन्द्रीय सिविल सेवा खेल-कूद बोर्ड द्वारा आयोजित अंतर-मंत्रालय पूर्णाविधि नाटक प्रतियोगिता में 'कश्मीर की बेटी' नाटक में भाग लिया और निर्देशन प्रोडक्शन, एक्टिंग, तकनीकी निर्देशन आदि में छठा पुरस्कार प्राप्त किया।

(iii) 13.10.1988 को, ए.आई.एफ.ए.सी.एस. हॉल नई दिल्ली हिन्दी दिवस कार्यक्रम 'हिन्दी दिवस' आयोजित किया गया। उपाध्यक्ष योजना आयोग तथा योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री ने हिन्दी में सर्वश्रेष्ठ टिप्पण एवं मसौदा लेख के लिए तथा हिन्दी में अधिक से अधिक सरकारी काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को भी नकद पुरस्कार दिए। जिन श्रेष्ठ कलाकारों ने एकांकी हिन्दी नाटक में भाग लिया, उनको भी पुरस्कार दिए गए।

(iv) 26 से 29 नवम्बर, 1988 तक नैनीताल के लिए सैर-सपाटा कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। क्लब के सदस्यों ने दिसम्बर,1988—जनवरी, 1989 के दौरान गोवा के पर्वतीय पश्चिमी घाटों में 350 कि.मी. के राष्ट्रीय ट्रेकिंग कार्यक्रम में भी भाग लिया।

4.361 वर्ष के दौरान क्लब द्वारा संचालित/भाग लिए गए खेल-कूद कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:–

4.362 क्लब के सदस्यों ने दिनांक 29.9.1988 को सी.सी.एस.एस.बी. द्वारा आयोजित आंतरिक एथेलेटिक प्रतियोगिता में तथा अक्तूबर, 1988 में हुए अंतर-मंत्रालय कबड्डी टूर्नामैंट और क्रिकेट टूर्नामैंट में भाग लिया। क्लब ने फरवरी, 1988 के दौरान इनडोर खेल जैसे कैरम, टेबल-टेनिस, बैडमिंटन इत्यादि का भी आयोजन किया।

4.363 दिनांक 29.3.1988 को मावलंकर ऑडिटोरियम, रफी मार्ग, नई दिल्ली में एक सांस्कृतिक

कार्यक्रम तथा वार्षिक पुरस्कार वितरण आयोजन करने का प्रस्ताव है। पहली बार, क्लब का अपनी विभिन्न सांस्कृतिक तथा मनोरंजक गतिविधियों का उल्लेख करते हुए एक स्मारिका प्रकाशित करने का भी प्रस्ताव है।

33. राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

4.364 राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1977 में केन्द्रीय सरकारी विभागों को निर्णय लेने और योजना बनाने में सूचना सहायता प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अंतर्गत एक संघटक इकाई के रूप में की गई थी। 14 मार्च, 1988 की राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र इलेक्ट्रॉनिकी विभाग से योजना आयोग को हस्तांतरित कर दिया गया।

4.365 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र केन्द्रीय सरकार में सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के सभी सचिवालयों तथा सभी 444 जिला मुख्यालयों को जोड़ते हुए निकनैट नामक एक कम्प्यूटर-संचार नैटवर्क स्थापित कर रहा है। यह विशेषरूप से परियोजनाओं और कार्यक्रमों की तैयारी और प्रबोधन में सामान्य रूप से निर्णय सहायता के लिए एक समेकित श्रेणीबद्ध व्यवस्था सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) देने के लिए है। यह नैटवर्क संचार के लिए उपग्रह का प्रयोग करता है तथा 1988 से प्रचालन में है। दिल्ली, पुणे, भुवनेश्वर तथा हैदराबाद में निसनैट के चार क्षेत्रीय केन्द्रों के रूप में चार बहुत बड़ी मुख्य फ्रेम कम्प्यूटर प्रणालियां स्थापित की गई हैं। दिल्ली प्रणाली मुख्य होस्ट के रूप में कार्य करता है और इसके पास मास्टर भू-केन्द्र है। इसका हाल ही में 600 माइक्रो भू-केन्द्रों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए दर्जा बढ़ाया गया है विभिन्न राज्य/जिला केन्द्रों पर 1200 बी.पी.एस. की डाटा ट्रांस्मिट गति से युक्त 300 सूक्ष्म भू-केन्द्र स्थापित किए गए। नॉड्ल केन्द्रों को 9600 बी.पी.एस. तक डाटा ट्रांसमिशन गति वाले सूक्ष्म भू-केन्द्रों के जरिए जोड़ा गया।

I. केन्द्र सरकार सूचना-विज्ञान

4.366 राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों में शनैः शनैः कंप्यूटर आधारित कार्य संवर्धन प्रक्रिया को लाने में सहायक हुआ है। अनेक बृहद डाटाबेस सृजित किए गए तथा निर्णय समर्थन, योजना समर्थन तथा परियोजना मॉनिटरिंग के लिए प्रबंध सूचना प्रणालियों को विकसित किया जा रहा है। बेहतर समन्वय के लिए, केन्द्र सरकार सूचना-विज्ञान को नौ प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया।

4.367 ये क्षेत्र शीर्ष संगठन में समाविष्ट हैं जो राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग तथा संसदीय कार्य और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालयों को कंप्यूटर सहायता प्रदान करता है।

4.368 कृषि तथा जल-क्षेत्र एवं सहकारिता, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा, ग्रामीण विकास, उर्वरक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा जल संसाधन विभागों के कम्प्यूटरीकरण कार्यकलापों में सहायता करता है।

4.369 उद्योग क्षेत्र—इसके अंतर्गत औद्योगिक विकास, कंपनी कार्य, कैमिकल एवं पैट्रो-रसायन, सरकारी उद्यम, इस्पात एवं खान तथा लघु उद्योग विभागों की कंप्यूटरीकरण आवश्यकताएं आती हैं।

4.370 सेवा क्षेत्र–इसके अंतर्गत रेलवे, नागर विमानन, जल-भूतल परिवहन, शहरी विकास, पर्यटन, दूरसूचार, डाक तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालयों/विभागों में कंप्यूटरीकरण कार्य आता है।

4.371 ऊर्जा क्षेत्र–इसके अंतर्गत विद्युत, कोयला, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा तथा गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालयों/विभागों में कंप्यूटर सेवाएं आती हैं।

4.372 विज्ञान तथा प्रौद्योगिक क्षेत्र–इसके अंतर्गत सभी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभागों की कंप्यूटरीकरण आवश्यकताएं आती हैं।

4.373 वित्त तथा वाणिज्य क्षेत्र–इसके अंतर्गत आर्थिक कार्य, व्यय, राजस्व, बैंकिंग, वाणिज्य आपूर्ति, वस्त्रोद्योग तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसे विभाग आते हैं।

4.374 मानव संसाधन क्षेत्र–यह क्षेत्र शिक्षा, युवा कार्य तथा खेल-कूद, कला, संस्कृति, महिला एवं बाल विकास, कल्याण, श्रम, पेंशन तथा पेंशन भोगी कल्याण, कार्मिक एवं प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभागों को कंप्यूटरीकरण की व्यवस्था करता है।

4.375 सुरक्षा क्षेत्र–यह क्षेत्र राजभाषा, राज्यों, गृह, विधि एवं न्याय तथा विदेश मंत्रालयों/ विभागों में कंप्यूटरीकरण सेवाएं प्रदान करता है।

II. राज्य सरकार सूचना-विज्ञान तथा डिसनिस कार्यक्रम

4.376 राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा जिला प्रशासनों को भी कंप्यूटरीकरण सेवाएं प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र तथा अधिकांश राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मध्य समझौता पत्र पर हस्ताक्षर हुए। सुपर मिनी कंप्यूटर (एन.डी.-550 प्रणाली) की कर्नाटक, केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र, पं. बंगाल, असम, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की राजधानियों में स्थापना की गई। हरियाणा, पंजाब तथा बिहार राज्यों में एन.डी.-550 प्रणालियों की संस्थापना प्रक्रियाधीन है। सुपर-एटी प्रणालियां अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, लक्षद्वीप, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, पांडिचेरी तथा राजस्थान की राजधानियों में स्थापित की गई है। राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र ने कंप्यूटर तथा भू-केन्द्रों से सज्जित लगभग 300 जिला केन्द्रों की स्थापना की।

4.377 डिसनिस सोफ्टवेयर ग्रुप जिला केन्द्रों पर क्षेत्रकीय अनुप्रयोग हेतु सोफ्टवेयर पैकेज के विकास के लिए जिम्मेवार है। जिलों तथा राज्यों, राज्यों तथा केन्द्र के बीच जिले में सूचना प्रवाह और जिला स्तर पर सूचना आवश्यकता का अध्ययन करने के बाद, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र ने जिला सूचना विज्ञान केन्द्रों पर क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित क्षेत्रकों से संबंधित सामान्य पैकेज विकसित किया: उद्योग, कृषि, जिला योजना, स्वास्थ्य, सड़क तथा पुल, ग्रामीण विकास, वानिकी, पशुपालन, पंचायत, समाज कल्याण, भवन एवं निर्माण कार्य, ऊर्जा, सिंचाई, सरकारी अनुदेश, शिक्षा, परिवहन, रोजगार, मछली पालन, जल प्राधिकरण, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास, भौम जल, श्रम, नागरिक आपूर्ति, टाउन आयोजन तथा जिला खजाना।

III. संसाधन तथा सहायता दल

4.378 निम्नलिखित नौ संसाधक तथा सहायता दल न केवल योजना, अभिकल्पना तथा निसनेट कार्यान्वयन के लिए वरन अनुप्रयोग दलों को नए सिरों से सहायता प्रदान करना भी है:—प्रणाली सोफ्टवेयर दल, प्रणाली इंजीनियरी दल, नेटवर्क दल, भू-डाटा संचार दल, डिजाइन तथा ग्राफिक्स दल, प्रचालन अनुसंधान तथा माडलिंग दल, एन.आई.सी.आई.सी.एम.आर. केन्द्र, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र प्रशिक्षण विद्यालय तथा निसनेट प्रबंध दल।

IV. प्रशिक्षण

4.379 वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र ने लगभग 300 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा सम्बद्ध सेवा से सम्बद्ध 300 परिवीक्षार्थी तथा लगभग 5000 सरकारी कर्मचारियों को कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग भाषाओं, डाटाबेस प्रबंधन में तथा निस तथा निसनेट की सूचना प्रणालियों के प्रयोग के संबंध में प्रशिक्षण दिया। उक्त कार्यों के अतिरिक्त, राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र ने केन्द्र तथा राज्य सरकार के विभागों के लिए सूचना प्रणालियों को विकसित करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने और उनके इस्तेमाल करने के संबंध में उनके अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का कार्य भी जारी रखा है।

अध्याय-5

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन

योजना प्रक्रिया के शुरू होने से ही विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के निर्माण और कार्य संचालन का मूल्यांकन एक आवश्यक पहलू रहा है।

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन एक स्वतंत्र संगठन के रूप में वर्ष 1952 में गठित किया गया था जो योजना आयोग के सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांत और निर्देशों के अधीन कार्य कर रहा है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रमों और अन्य गहन क्षेत्र विकास स्कीमों के मूल्यांकन का विशिष्ट कार्य शुरू में इसे सौंपा गया था लेकिन हाल ही के कुछ वर्षों से संगठन के कार्य और कार्यकलापों के क्षेत्र का विस्तार और विविधीकरण किया गया है। इसे कृषि, सहकारिता, ग्रामीण उद्योग, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, लोक वितरण, जनजातीय विकास आदि जैसे भिन्न-भिन्न क्षेत्रकों में योजना/कार्यक्रमों/स्कीमों के मूल्यांकन अध्ययन का काम भी सौंपा गया है।

सातवीं योजना दस्तावेज में इस बात पर जोर दिया गया है कि कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन परियोजनाओं और कार्यक्रमों का आवधिक मूल्यांकन करें और विभिन्न क्षेत्रकों में कुछ चयनित मुख्य परियोजनाओं का पूर्वोत्तर मूल्यांकन करें।

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के कार्य

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन का मुख्य कार्य मूल्यांकन अध्ययन करना है जिसमें (1) बताए गए उद्देश्यों और लक्ष्यों के मुकाबले कार्यक्रम परिणामों का मूल्यांकन करना (2) लाभग्राहियों पर उनके प्रभाव का मापन, (3) समुदाय का सामाजिक-आर्थिक संरचना पर प्रभाव (4) अपनाई गई कार्यनीतियों और प्रशासनिक संरचना की पर्याप्तता का मूल्यांकन करना और (5) लक्षित समूह को सेवाएं प्रदान करना भी शामिल है।

इसके अलावा, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन अब तक चाहे सीमित तरीके से ही दो और महत्त्वपूर्ण कार्य भी कर रहा है अर्थात् (क) राज्य मूल्यांकन संगठनों को तकनीकी सलाह और मार्गदर्शन देना तथा (ख) राज्य मूल्यांकन कार्मिकों को प्रशिक्षण देना।

वर्ष 1988-89 के महत्त्वपूर्ण कार्यकलाप

चालू वर्ष के दौरान कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के मुख्य कार्यकलाप इस प्रकार हैं:

(1) निम्नलिखित कार्यक्रमों पर मूल्यांकन रिपोर्टें प्रकाशन के लिए तैयार की गईं

(क) सामाजिक वन कार्यक्रम

(ख) ग्रामीण महिलाओं से संबंधित लाभग्राही उन्मुख कार्यक्रमों की पहुँच और प्रभाव, और

(ग) ग्रामीण श्रमिकों को आवास स्थल और निर्माण सहायता देना

(2) केन्द्रीय और राज्य मूल्यांकन संगठनों के प्रमुखों के जुलाई, 1987 को हुए दूसरे सम्मेलन की कार्रवाई को अंतिम रूप दिया गया और सभी संबंधितों को परिचालित किया गया। सम्मेलन में राज्य मूल्यांकन संगठनों और देश की विशेष अनुसंधान संस्थाओं द्वारा मूल्यांकन अध्ययन करने जैसी कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की भूमिका के संबंध में महत्त्वपूर्ण सिफारिशें कीं। मूल्यांकन अध्ययन करने में केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन/ अर्थशास्त्र और सांख्यिकी के राज्य निदेशालयों और मूल्यांकन संगठनों के बीच अपेक्षित सहयोग का स्वरूप और केन्द्रीय तथा राज्य मूल्यांकन संगठनों के कार्य संचालन में सामने आ रही कमियों को दूर करने के लिए अपेक्षित सुधारात्मक उपायों का सुझाव देना।

(3) ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम से संबंधित मूल्यांकन रिपोर्ट का प्रारम्भिक प्रारूप संशोधित किया गया।

(4) शुष्क भूमि खेती कार्यक्रम के मूल्यांकन अध्ययन के प्रारंभिक आंकड़े के लिए फील्ड वर्क और सारणी कार्य पूरा हो चुका है। अध्यायों का प्रारूप संबंधी कार्य शुरू हो चुका है। रिपोर्ट के प्रारंभिक प्रारूप का मुख्य भाग वर्ष के अंत तक तैयार हो जाएगा।

(5) राजस्थान राज्य के संबंध में राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण स्कीम के मूल्यांकन से संबंधित प्रारूप रिपोर्ट तैयार की गई। उत्तर प्रदेश राज्य में इसी अध्ययन का फील्ड वर्क पूरा हो चुका है और रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करने के लिए आंकड़ों के विश्लेषण से संबंधित कार्य और विषयक सारणियों को तैयार करने का काम शुरू हो चुका है।

(6) जिला उद्योग केन्द्र का मूल्यांकन अध्ययन, जो कि अखिल भारतीय स्वरूप का है, शुरू किया गया। क्षेत्रीय कार्य वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा।

(7) रेगिस्तानी विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन शुरू किया गया और गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर के सभी पांच चयनित राज्यों में क्षेत्रीय कार्य पूरा हो चुका है। क्षेत्रीय प्रतिलाभ की संवीक्षा की जा रही है। रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करने का काम बहुत जल्दी शुरू किया जाएगा।

(8) रोजगार सृजन कार्यक्रमों के त्वरित मूल्यांकन अध्ययन के संबंध में क्षेत्रीय कार्य सात राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के संबंध में पूरा हो चुका है।

(9) सूखा प्रवृत्त क्षेत्र कार्यक्रम से संबंधित नए अखिल भारत मूल्यांकन अध्ययन शुरू करने के लिए प्रारंभिक कदम उठाए गए।

(10) इन्हें प्रशिक्षण दिया गया : आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा तैनात किए गए भारतीय आर्थिक सेवा के परिवीक्षकों और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा प्रायोजित जूनियर सर्टीफिकेट कोर्स अधिकारियों के दो दल को अन्य बातों के साथ-साथ प्रशिक्षण में मूल्यांकन की संकल्पना और कार्य प्रणाली के तरीके और तकनीक, योजना में मूल्यांकन की भूमिका और कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा अभी हाल ही में किए गए विचार-विमर्श भी शामिल हैं।

अध्याय-6

अनुदान सहायता

वर्ष 1988-89 के दौरान, योजना निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान अध्ययन करने वाले विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के सामाजिक-आर्थिक अनुसंधान एककों द्वारा अनुदान दिए गए। दिसम्बर, 1988 के अंत तक दिए गए 24.93 लाख रु. के कुल अनुदान में से सेमिनार/सम्मेलन आयोजित करने के लिए और प्रासंगिक रुचि की सामाजिक-आर्थिक समस्याओं से संबंधित प्रकाशनों को प्रकाशित करने के लिए 3.51 लाख रु. दिए गए और योजना आयोग की आवश्यकतानुसार दीर्घावधि अध्ययन करने के लिए ब्लाक अनुदान पद्धति के अंतर्गत शामिल 4 संस्थाओं को अर्थात् आर्थिक संवृद्धि संस्थान, दिल्ली, बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई, गोखले आर्थिक एवं राजनैतिक संस्थान, राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली को 11.64 लाख रु. दिए गए।

6.2 योजना आयोग की ओर से अनुमोदित चल रहे और नए अध्ययन करने के लिए विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं को विशिष्ट परियोजना अनुदान पद्धति के अंतर्गत 9.78 लाख रु. की शेष राशि दी गई।

6.3 चालू वर्ष के दौरान जिन अनुसंधान संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को अनुदान वितरित किए गए, उनकी सूची आगे के पृष्ठों में दी गई है।

अनुसंधान संस्थाओं/विश्वविद्यालयों के नाम जिन्हें 1988-89 (दिसम्बर, 1988 तक) के दौरान अनुदान सहायता दी गई

क्र.सं.	विषय	संस्थान/विश्वविद्यालय	राशि
1	2	3	4
(1) अनुसंधान अध्ययन			
1.	'उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले (वाराणसी प्रभाग) में ग्रामीण गोदाम कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन'	भारतीय विकास अध्ययन और अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद	52,900
2.	'आठवीं और बाद की दो अनुवर्ती योजनाओं के लिए निदर्शी आंकड़े सहित मजदूरी सामान और बुनियादी सेवा माडल तैयार करना'	नियंत्रण अध्ययन और सिंचाई प्रबंध संस्थान, बंगलौर	23,100
3.	'पूर्वी भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का मूल्यांकन	विकास विकल्प में क्षेत्रीय, पारिस्थितिकीय और विज्ञान अध्ययन केन्द्र, कलकत्ता।	92,000
4.	'पूर्वी भारत में ऊर्जा, वन उद्योग, स्वास्थ्य और पर्यावरण से संबंधित अध्ययनों का मूल्यांकन'	—वही—	92,000

1	2	3	4
5.	'कम लागत स्वच्छता स्कीम का मूल्यांकन'	समाज विकास परिषद्, नई दिल्ली	1,15,000
6.	'उत्तर प्रदेश के विशेष संदर्भ में भारत में दालों के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार की संभावना	भारतीय व्यवहारिक सांख्यिकी और विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ	20,000
7.	'आंध्र प्रदेश में लघु सिंचाई क्षमता के उपयोग का अध्ययन'	अंतर्राष्ट्रीय समाज अनुसंधान संस्थान हैदराबाद।	1,02,000
8.	'मध्याह्न भोजन और अन्य प्रोत्साहन कार्यक्रमों की लागत प्रभाविकता का, विशेष रूप से प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर (6-14 आयु वर्ग के) विद्यार्थियों के नामांकन, उपस्थिति और शिक्षा जारी रखने पर उनके प्रभाव के संदर्भ में गहन अध्ययन'	जाकिर हुसैन शैक्षणिक अध्ययन केन्द्र, नई दिल्ली	35,000
9.	शहरी गरीबी दूर करना	राष्ट्रीय मानव विस्थापन और पर्यावरण केन्द, भोपाल	17,500
10.	पश्चिमी बंगाल के संदर्भ में सिंचाई परियोजनाएं और उनके उपयोग	आर्थिक मूल्यांकन अध्ययन केन्द्र, कलकत्ता।	12,646
11.	विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में क्षेत्रीय फसलों के लिए उर्वरक प्रतिक्रिया अनुपात	कृषि और ग्रामीण विकास अध्ययन केन्द्र, नई दिल्ली।	60,000
12.	भेड़ पालन, ऊन उत्पादन और पूर्ति से संबंधित ऊन विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन	भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद	7,500
13.	आवास पूर्ति और रिहायशी चयन प्रवृत्ति—अहमदाबाद-का एक मामला	स्कूल ऑफ प्लानिंग, अहमदाबाद	18,361
14.	राष्ट्रीयकृत सड़क परिवहन उद्योग की वित्तीय और प्रचलनात्मक व्यवहार्यता	उसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद	15,000
15.	भारत में परियोजना नियंत्रण क्षेत्रों में सिंचाई से संबंधित अध्ययनों की विवेचनात्मक समीक्षा	सरदार पटेल विश्वविद्यालय, बल्लभ विद्यानगर (गुजरात)	20,000
16.	जन्म-मृत्यु दर और परिवार नियोजन से संबंधित एकीकृत बाल विकास स्कीमों को अपनाने का प्रभाव—चुने हुए क्षेत्रों में गैर-एकीकृत बाल विकास स्कीम के साथ तुलना	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली	75,000
17.	राजस्थान में डेरी विकास में महिलाओं की भूमिका का आर्थिक मूल्यांकन	विक्रम अनुसंधान और विकास केन्द्र जयपुर	25,000
18.	'केरल में जल प्रबंध समस्या—पेरियार घाटी सिंचाई परियोजना का एक अध्ययन'	भारतीय क्षेत्रीय विकास अध्ययन संस्थान कोट्टायम	28,100

1	2	3	4
19.	खाद्यान्नों में चारे, बीज और अपशिष्ट दरों का अनुमान	तकनीकी आर्थिक अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली	35,000
20.	वैकल्पिक पशुधन विकास कार्यनीति से संबंधित विश्लेषणात्मक पत्र तैयार करना	आर्थिक संवृद्धि संस्थान, दिल्ली	32,000
21.	लघु सिंचाई क्षमता के विकास में संस्थागत वित्त और एकीकृत ऋण सेवाओं की भूमिका	अनुसंधान, योजना और कार्रवाई केन्द्र नई दिल्ली	50,000
22.	आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में जलसंभरण प्रबंध और सिंचाई उपयोग के संदर्भ में पुराने सूखाग्रस्त क्षेत्रों का अध्ययन	भारत प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद।	50,000
(2)	**सेमिनार/सम्मेलन**		
1.	वैकल्पिक जनजातीय विकास परिप्रेक्ष्य से संबंधित तीन दिवसीय कार्यशाला	आर्थिक मूल्यांकन अध्ययन केन्द्र, कलकत्ता	2,000
2.	12वीं भारत समाज विज्ञान कांग्रेस	भारतीय समाज विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद	4,000
3.	वैज्ञानिक और तकनीशियनों तथा समाज वैज्ञानिकों का पहला संयुक्त सेमिनार	भारतीय समाज विज्ञान संस्थान संघ, नई दिल्ली	45,000
4.	विकास अर्थशास्त्र और नीति से संबंधित सम्मेलन	दिल्ली स्कूल आफ इकनामिक्स, दिल्ली	45,000
5.	ग्रामीण विकास की तकनीकी डिलीवरी व्यवस्था से संबंधित राष्ट्रीय कार्यशाला	राष्ट्रीय बंजरभूमि और ग्रामीण विकास संस्थान, नई दिल्ली	27,000
6.	बचत अनुमानों से संबंधित विभिन्न मामलों पर सेमिनार	राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली	27,000
7.	नेशनल सेमिनार आन इंडिया, द इमर्जिंग चैलेन्जिज	सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बंगलौर	22,500
8.	नवम्बर, 1988 के दौरान, सूखा, पोषाहार और लिपिड इन-न्यूट्रिशन पर सेमिनार	न्यूट्रिशन सोसायटी आफ इंडिया, हैदराबाद	31,500
9.	13वीं भारतीय समाज विज्ञान कांग्रेस, नवम्बर, 14-18, 1988	भारतीय समाज विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद	36,000
10.	विकसित देशों में चौथा अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस मानव विस्थापन	मानव विस्थापन केन्द्र, कलकत्ता	22,500
11.	जनवरी-फरवरी, 1988 के दौरान समाजकर्ताओं से संबंधित कार्यशाला	सेवा भारती, नई दिल्ली	2,000

1	2	3	4
12.	वाराणसी में 27-29 दिसम्बर, 1988 को हुए भारतीय कृषि अर्थशास्त्र समाज का वार्षिक सम्मेलन	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	31,500
13.	सड़क और सड़क परिवहन समस्याओं से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की	13,500
14.	जनवरी, 1989 को होने वाले भारतीय अर्थशास्त्रीय समाज का वार्षिक सम्मेलन	इंडियन इकनामीट्रिक सोसायटी, नई दिल्ली	27,000

अनुबंध-I

संक्षिप्त विवरण

दिसम्बर, 1988 को यथास्थिति आठवीं योजना के लिए गठित संचालन दल/कार्यकारी दल/समन्वय दल/कृतिक बल।

क्र.स.	क्षेत्रक	संचालन दल	कार्यकारी दल	समन्वय दल/कृतिक दल	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रक **	1	20	18	39**
2.	ग्रामीण विकास	1	7	2	10
3.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	—	1	3	4
4.	सिंचाई एवं कमान क्षेत्र विकास तथा बाढ़ नियंत्रण	1	5	—	6
5.	ऊर्जा, ग्रामीण ऊर्जा सहित	2	9	—	11
6.	उद्योग एवं खनिज	1	17	1	19
7.	ग्राम एवं लघु उद्योग	—	1	—	1
8.	परिवहन	—	10	—	10
9.	संचार	—	4	—	4
10.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	2	11	—	13
11.	भूगतान शेष	—	1	—	1
12.	मौसम विज्ञान	—	1	—	1
13.	नागरिक आपूर्ति	1	—	—	1
14.	पर्यटन	1	1	—	2
15.	शिक्षा	3	13	—	16
16.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2	11	—	13
17.	शहरी विकास/आवास	1	2	—	3
18.	जल आपूर्ति	1	3	—	4
19.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास	1	2	—	3

1	2	3	4	5	6
20.	समाज कल्याण	3	3	—	6
21.	श्रम तथा रोजगार	—	2*	—	2
22.	राजभाषा	—	1	—	1
23.	वित्तीय संसाधन	1	5	—	6
	जोड़	22	130	24	176

* विशेषों की समिति एवं विशेषज्ञ दल अध्ययन दल

** इसमें 15 मंडलीय आयोजना टीमें तथा कृषीय जलवायु मंडलों के आधार पर कृषि योजना संगठित करने के लिए एक केन्द्रीय समिति तथा कृषि आयोजना के लिए संपर्क दल शामिल नहीं है।

अनुसंधान सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित अनुसंधान अध्ययनों/सम्मेलनों की सूची

1. अनुसंधान अध्ययन

1. पूर्वी जिलों (उत्तर प्रदेश के वाराणसी मंडल) में ग्रामीण गोदाम कार्यक्रमों का मूल्यांकन अध्ययन-भारतीय अध्ययन एवं अनुसंधान विकास संस्थान, इलाहाबाद।

2. राष्ट्रीयकृत सड़क परिवहन उद्योग की वित्तीय तथा परिचालन व्यवहार्यता उस्मानिया विश्व-विद्यालय, हैदराबाद।

3. 8वें तथा दो अनुवर्ती योजनाओं के लिए निदर्शी आंकड़ों सहित वेज गुड्स-कम-बेसिन सर्विसेज माडल तैयार करना—कमान अध्ययन तथा सिंचाई प्रबंध संस्थान बेंगलूर।

4. मध्याहन भोजन की लागत प्रभावशीलता और अन्य प्रोत्साहक कार्यक्रमों का गहन अध्ययन जिनमें बुनियादी शिक्षा अवस्था (6 से 14 आयु वर्ग) में विद्यार्थियों के नामांकन उपस्थिति और उनके स्कूल में रहने पर विशेष ध्यान दिया गया है—जाकिर हुसैन शैक्षिक अध्ययन केन्द्र, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।

5. आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में जल-विभाजन क्षेत्र प्रबंधन तथा सिंचाई उपभोग के संदर्भ में लंबे समय से सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में अध्ययन-एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज आफ इंडिया, हैदराबाद।

6. भारत में परियोजना कमान क्षेत्रों (सी.ए.एस.) में सिंचाई पर अध्ययनों की विवेचनात्मक समीक्षा—सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर, गुजरात।

7. शिशुओं की मृत्यु दर तथा परिवार नियोजन अपनाने में आई.सी.डी.एस. स्कीम का प्रभाव—चुनिंदा क्षेत्रों में गैर-आई.सी.डी.एस. व्यस्कों के साथ तुलना—जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।

8. शहरी सेवाओं का वितरण—वैकल्पिक सांस्थानिक व्यवस्थाएं—राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, नई दिल्ली।

9. पी एफ वाटर वाटर सील, शौचालय कार्यक्रम के उपादान पहलुओं का रख-रखाव, इंजीनियरिंग तथा मानकीकरण का मूल्यांकन अध्ययन—समाज विकास परिषद्, दिल्ली।

10. लघु सिंचाई क्षमता के विकास में सांस्थानिक वित्त की भूमिका का अध्ययन सेन्टर फार रिसर्च, प्लानिंग एंड एक्शन, नई दिल्ली।

2. अनुमोदित संगोष्ठियां/सम्मेलन

1. बचत प्रत्याशाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर संगोष्ठी—नेशनल इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक फाइनैंस एंड पालिसी, नई दिल्ली

2. वर्ड कांग्रेस आन क्लिनिकल न्यूट्रीशन—इंटरनेशनल कालेज आफ न्यूट्रीशन नई दिल्ली

3. "गरीबी, विकास तथा सामूहिक अस्तित्व से संबंधित 19वां विश्व सम्मेलन"—सोसाइटी फार इंटरनेशनल डबलपमेंट सेंटर फार रिसर्च, प्लानिंग एंड एक्शन, दिल्ली।

4. "वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकीविदों तथा समाज वैज्ञानिकों की प्रथम संयुक्त संगोष्ठी"—भारतीय सामाजिक विज्ञान संस्थान संस्था, नई दिल्ली

5. "विकास आर्थिक व्यवस्था और नीति से संबंधित सम्मेलन" दी देहली स्कूल आफ इकानोमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

6. "ग्रामीण विकास के लिए प्रौद्योगिकी वितरण प्रणाली से संबंधित राष्ट्रीय कार्यशाला" राष्ट्रीय परती भूमि और ग्रामीण विकास संस्थान।

7. 12-15 दिसम्बर को "सड़क एवं सड़क परिवहन समस्या से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की।

8. "इंडियन इकानोमीट्रिक सोसाइटी वार्षिक सम्मेलन" भारतीय इकनोमीट्रिक सोसाइटी, आर्थिक संवृद्धि संस्थान, दिल्ली।

9. "भारतीय श्रमिक अर्थव्यवस्था समिति-30 वां वार्षिक सम्मेलन पटना (दिसंबर 22 से 24, 1988) —भारतीय श्रमिक समिति, ए.एन. सिन्हा, सामाजिक अध्ययन संस्थान, पटना।

10. विकासशील देशों में मानव बस्तियों पर चौथी अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस—मानव बस्ती केन्द्र, कलकत्ता।

11. भारतीय आर्थिक एसोसिएशन का 71वां वार्षिक सम्मेलन—जादवपुर विश्वविद्यालय कलकत्ता।

12. 27-29 दिसम्बर, 1988 को भारतीय कृषीय अर्थव्यवस्था सोसाइटी का वार्षिक सम्मेलन बनारस, हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।

13. "इंडिया : दी इमर्जिंग चैलेंजिस" पर राष्ट्रीय संगोष्ठी—इंस्टीट्यूट आफ इकानोमिक्स एंड सोश्यल चेंज-बंगलौर।

14. "ड्राउट न्यूट्रीशन एंड लिपिडस इन न्यूट्रीशन" पर संगोष्ठी—दी न्यूट्रीशन सोसाइटी आफ इण्डिया, हैदराबाद।

15. "13वां भारतीय सामाजिक विज्ञान कांग्रेस" भारतीय समाज विज्ञान अकादमी, इलाहाबाद।

वर्ष 1988-89 के दौरान पूरे किए गए अध्ययनों तथा प्राप्त हुए प्रारूप रिपोर्टों की सूची

1. "भारत में प्रौद्योगिकी संवृद्धि पैटर्नों का विश्लेषण" सरदार पटेल आर्थिक एवं सामाजिक अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद

2. "विकास में जनसंचार माध्यम का योगदान" जनसंचार अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली।

3. "मध्य प्रदेश में लैथाइरस (पादप) खेती और उसके संभावित विकल्पों का आर्थिक सर्वेक्षण" जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, कृषि नगर, जबलपुर।

4. "उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में तोरी बीज, सरसों तथा सोयाबीन से संबंधित उत्पादकता सुधार अध्ययन" राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्, नई दिल्ली।

5. "भारत में विशेषकर उत्तर प्रदेश में दालों के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार की संभावना" अनुप्रयुक्त सांख्यिकी और विकास अध्ययन संस्थान लखनऊ।

6. "गुजरात और महाराष्ट्र में आय सृजक प्रयास के रूप में सहकारी समितियों में जनजातीय महिलाओं की भूमिका" जिज्ञासु जनजातीय अनुसंधान केन्द्र नई दिल्ली।

7. "आन्ध्र प्रदेश में लघु सिंचाई क्षमताओं के उपयोग का अध्ययन" अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद।

8. "राजस्थान में फसल तथा पशुधन की कम उत्पादकता के घटकों का अध्ययन" कृषि एवं ग्रामीण विकास अध्ययन केन्द्र, नई दिल्ली।

9. "सहभागिता विकास-सामान्य संपत्ति संसाधनों के प्रबंधन के लिए नीति" आर्थिक संवृद्धि संस्था, दिल्ली।

10. "कृषि का प्रादेशिक विश्लेषण—आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा का मामला अध्ययन— भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कलकत्ता।

11. "शहरी गरीबी उन्मूलन" नेशनल सेंटर फार ह्यूमन सैटलमैंट्स एंड इनवायरमेंट भोपाल।

12. "उत्तरी बिहार के कोसी नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में सामान्य संपत्ति भूमि की सीमा, प्रकार और संपर्क-भूगोल विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

13. "पूर्वी भारत में ऊर्जा, वानिकी, स्वास्थ्य और पर्यावरण से संबंधित अध्ययनों का मूल्यांकन—

    खंड-1 "पर्यावरणीय संकट और खाद्य—पश्चिमी बंगाल के ग्राम समुदायों की असुरक्षा"

    खंड-2 "प. बंगाल के चार ग्राम समुदायों में जोखिम और घोर विपत्तियों का अवबोधन।

    खंड-3 "उड़ीसा के चार ग्राम समुदायों में जोखिम और घोर विपत्तियों का अवबोधन।

    खंड-4 पर्यावरणीय जोखिम और समुदाय का अवबोधन।

खंड-5 सामाजिक पर्यावरण का सामुदायिक अवबोधन।

14. "पूर्वी भारत में गरीबी विरोधी कार्यक्रमों का मूल्यांकन"

खंड-1 प. बंगाल के पुरुलिया जिले से संबंधित द्वितीयक (सेकेण्डरी) आंकड़ों का संग्रहण और संकलन।

खंड-2 कालाहांडी जिले, बोदन और खोरियार ब्लाकों से संबंधित द्वितीयक आंकड़ों का संग्रहण और संकलन।

खंड-3 उड़ीसा के कालाहांडी जिले में बोदन और खरियार ब्लाकों में आई.आर.डी.पी. के मूल्यांकन के लिए तीव्र पुनः सर्वेक्षण।

खंड-4 उड़ीसा और प. बंगाल के ग्राम समुदायों की कुछ विशेषताएं–1981-82

खंड-5 कालाहांडी जिले में आई.आर.डी.पी. का मूल्यांकन–छठी योजना अवधि।

15. "राजस्थान में डेयरी विकास में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका का आर्थिक मूल्यांकन" विक्रम अनुसंधान और विकास केन्द्र, जयपुर

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

वर्ष 1988-89 के दौरान विदेश भेजे गए प्रतिनिधि मण्डलों/शिष्टमंडलों की संख्या, इन प्रतिनिधि मण्डलों में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या उन पर किए गए कुल व्यय इत्यादि।

क्र.सं.	अधिकारियों के नाम उनके पदनाम सहित	देश/स्थान का नाम जहां की यात्रा की	यात्रा का उद्देश्य	अवधि	किया गया व्यय.
1	2	3	4	5	6
1.	प्रो. एम. जी के. मेनन सदस्य तथा प्रधान मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार	नेपाल (काठमाण्डू)	शाही नेपाल विज्ञान और औद्योगिकी अकादमी द्वारा आयोजित विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने।	28-4-88 और 29-4-88	सभी खर्चे आयोजकों द्वारा उठाए गए
	प्रो. एम. जी के. मेनन सदस्य तथा प्रधान मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार	ब्रासीला (ब्राजील)	यू. एन. विश्वविद्यालय के गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग लेने	25-7-88 से 30-7-88	सभी खर्चे आयोजकों द्वारा उठाए गए
	प्रो. एम. जी के. मेनन सदस्य तथा प्रधान मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार	ट्रीस्टे (इटली)	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के महिलाओं की भूमिका से संबंधित सम्मेलन में भाग लेने।	3-10-88 से 8-10-88	सभी खर्चे आयोजकों द्वारा उठाए गए
	प्रो. एम. जी के. मेनन सदस्य तथा प्रधान मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार	ओटावा	(i) अंतर्राष्ट्रीय विकास अनसंधान केंद्र के गवर्नर बोर्ड की बैठक में भाग लेने।	18-10-88 से 21-10-88	सभी खर्चे आयोजकों द्वारा उठाए गए
	प्रो. एम. जी के. मेनन सदस्य तथा प्रधान मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार	स्टाकहोम	(ii) अन्तर्राष्ट्रीय जियो स्फेयर-बायोस्फेयर कार्यक्रम की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद में भाग लेने।	23-10-88 से 20-10-88	सभी खर्चे आयोजकों द्वारा उठाए गए
	प्रो. एम. जी के. मेनन सदस्य तथा प्रधान मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार	नैरोबी	आई. डी. सी. सी. के गर्वनर बोर्ड की बैठक में भाग लेने	23-8-88 से 31-3-88	सभी खर्चे आयोजकों द्वारा उठाए गए
	प्रो. एम. जी के. मेनन सदस्य तथा प्रधान मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार	लीजिग	वैज्ञानिक संघ की अंतर्राष्ट्रीय परिषद की जनरल असेम्बली भाग लेने।	6-9-88 से 16-9-88	सभी खर्चे आयोजकों द्वारा उठाए गए
	प्रो. एम. जी के. मेनन सदस्य तथा प्रधान मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार	टोक्यो	यू. एन. विश्वविद्यालय की बैठक में भाग लेने	5-12-88 से 10-12-88	सभी खर्चे आयोजकों द्वारा उठाए गए

1	2	3	4	5	6
2.	श्री आबिद हुसैन सदस्य	वियेना	विशेष सलाहकार दल की बैठक में भाग लेने।	15-6-88से 19-6-88	सभी खर्च आयोजकों द्वारा उठाए गए लेकिन प्रथम श्रेणी और इकोनोमी श्रेणी के बीच अंतर और अन्य संबंधित खर्च भारत सरकार द्वारा उठाए गए।
	-वही-	स्वीडन	वर्ष 1990 के दशक में संयुक्त राष्ट्र विकास सहायता संगोष्ठी में भाग लेने और टाइड वाटर मीटिंग में भाग लेने।	30-6-88 से 3-7-88	सभी खर्च भारत सरकार द्वारा उठाए गए
	-वही-	थाईलैंड (बैंकाक)	विकास योजनाकार के रूप में अपने अनुभव पर समस्त एस्केप स्टाफ को संबोधित करने	9-12-88 से 10-11-88	सभी खर्च आयोजकों द्वारा उठाए गए वायुयान यात्रा में अंतर और अन्य संबंधित खर्च भारत सरकार द्वारा उठाए गए।
3.	डा. राजा जी.प्लैया सदस्य	सिंगापर	आवास कार्यक्रम और अवसरचनात्मक विकास के प्रचार के संबंध में सिंगापर को भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में।	11 से 16 जुलाई 88	सभी खर्चे भारत सरकार द्वारा उठाए गए।
4.	प्रो. पी. एन. श्रीवास्तव सदस्य	जापान	हायोरथर्मिक ओंको लाजो से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और यूनेस्को को मध्यावधि योजना से संबंधित बद्धिजीवी	29 अगस्त से 3 सितम्बर, 1988 और	सभी खर्चे आयोजकों द्वारा उठाए गए।
		वेनिस	समदाय की प्रत्याशाओं और नीति प्रस्तावों से संबंधित विचार विमर्श में भाग लेने	19-20 सितम्बर	
	-वही-	श्रीलंका	विज्ञान के विकास के लिए श्रीलंका एसोशियसन के 44वें वार्षिक सत्र में भाग लेने	दिसम्बर 1988	सभी खर्च भारत सरकार द्वारा उठाए गए।
5.	डा. योगेन्द्र कु. अलग सदस्य	मास्को	व्यापार और आर्थिक सहयोग से संबंधित भारत-सोवियत संगोष्ठी में भाग लेने	7-8, जुलाई 1988	सभी खर्च भारत सरकार द्वारा उठाए गए।
	-वही-	जेनेवा	अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अधीन श्रम अध्ययनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के बोर्ड की बैठक में भाग लेने	7-8, नवम्बर, 1988	सभी खर्चे आयोजकों द्वारा उठाए गए।

1	2	3	4	5	6
6.	श्री जे. एस. बैजल, सचिव, यो. आ.	वाशिंगटन	विदेशी वित्त पोषण और स्वदेशी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इसकी भूमिका के विषय में विश्व बैंक प्रबंधकों से विचार-विमर्श के लिए	28-8-88 से 8-9-88	सभी खर्चे भारत सरकार द्वारा उठाए गए।
7.	श्री आर. वामदेवन, अपर सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय				
8.	डा. एम. आर. हाशिम, परामर्शदाता यो. आ.				
9	श्री जे. एम. बैजल, सचिव	मनीला	ADB द्वारा आयोजित विकास नीतियों से संबंधित गोल मेज कांफ्रेंस में भाग लेने	जनवरी 9-11, 1989	सभी खर्च आयोजकों द्वारा उठाए गए।
10.	डा. एम आर. हाशिम परामर्शदाता				
11	डा. टी. एस. पपोला, वरिष्ठ गैर-सरकारी परामर्शदाता				
12.	डा. एम. वरदराजन, मुख्य परामर्शदाता	लंदन	आई. सी. आई. यू. के द्वारा विकसित छोटे आकार के दक्ष अमोनिया-संयंत्रों की नई प्रौद्योगिकी का आकलन करने	फरवरी 14-18 1988	-वही-
13.	डा (श्रीमती) मंजु शर्मा, प्रमुख (विज्ञान)	ओटम मिटी, जापान	अंतर्राष्ट्रीय झील पर्यावरण समिति की तीसरी जनरल बैठक में भाग लेने	फरवरी, 22-24, 1988	-वही-
	-वही-	ट्रीस्टे (इटली)	तीसरे विश्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में महिलाओं की भूमिका पर सम्मेलन में भाग लेने	3 से 7 अक्टूबर, 1988	-वही-
14.	श्री निलिन देसाई विशेष सचिव	लंदन (यू. के.)	जलवायु परिवर्तन तथा समुद्र स्तर में वृद्धि पर राष्ट्रमंडल विशेषज्ञ दल की बैठक में भाग लेने	18-20 मई 1988	सारा व्यय आयोजकों द्वारा वहन किया गया।
	-वही-	कनाडा	जलवायु परिवर्तन को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को एक भाग के रूप में भू-राजनैतिक कठिनाइयों पर नीतिय कार्यशाला में भाग लेने	27-30 जून 1988	-वही-

1	2	3	4	5	6
15.	आबिद हुसैन अध्यक्ष, आई. जे. सी. एवं सदस्य योजना आयोग प्रो. एस. रामासेशन, रमन रिसर्च इस्टी. बंगलौर श्री पी. एस. देऊधर उद्योगपति श्री ध्रुव साहनी उद्योगपति डा. पी. सी. जोशी सदस्य सचिव, आई जे. सी. एवं, सलाहकार (आई. ई) डा. एस. के. चतुर्वेदी परामर्शदाता, आई. जे. सी.	जापान	भारत तथा जापान अध्ययन समिति की संयुक्त बैठक में भाग लेने	24-25 मार्च 1988	सारा व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया गया
16.	डा. (श्रीमती) इंद्रजीत कौर बड़ठाकुर, सलाहकार	जेनेवा	फसल परिवर्तन संबंधी दक्षिण आयोग को उनके परिचालन कार्य में मदद करने	3-18 अप्रैल 1988	सारा व्यय आयोजकों द्वारा वहन किया गया।
17.	डा.(श्रीमती) आर थामराजाक्षी सलाहकार	बैंकाक थाइलैंड	ए. पी. डी. सी. के अधीन एशिया में पूर्ण रोजगार नीति के लिए तीव्र संवृद्धि परियोजना की आयोजना बैठक में भाग लेने	25-27 मई, 1988	-वही-
18.	श्री एम. सी. गुप्ता सलाहकार	जापान	क्षेत्रीय औद्योगिकी पर अध्ययन बैठक-ऐशियाई उत्पादकता संगठन का जापानियों का अनुभव	12 से 20 सितम्बर, 1988	-वही-
19.	श्री एम. आर. कोल्हातकर सलाहकार	बैंकाक	यूनेको के अधीन बैंकाक में उच्चतर शिक्षा के लिए अतिरिक्त साधनों पर क्षेत्रीय सेमिनार में भाग लेने	22-27 अगस्त, 1988	-वही-
20.	डा. एस. आर. हासिम परामर्शदाता	बैंकाक	एस्काप के अधीन जनसंख्या तथा विकास आयोजना के लिए संरचना कार्य पर क्षेत्रीय सेमिनार में भाग लेने	6-10 जून, 1988	-वही-
	डा. एस. आर. हसिम परामर्शदाता	मलेशिया	ए. डी. पी. सी. के अधीन एशिया में आर्थिक संवृद्धि को बढ़ाने के लिए रोजगार नीतियों पर सम्मेलन में भाग लेने	1-2 दिसम्बर, 1988	-वही-

1	2	3	4	5	6
21.	डा. हरचरण सिंह सलाहकार	वाशिंगटन	(1) फार्ड फांउडेशन के सहयोग से (1) जॉन्स होपिगज यूनिवर्सीटी द्वारा आयोजित कार्यशाला में भाग लेने (2) वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य बैठक की राष्ट्रीय समिति	16-22 मई, 1988	-वही-
	-वही-	बैंकाक	एस्काप के अधीन जनसंख्या के एकीकरण तथा विकास नीतियों पर विशेषज्ञ की बैठक में भाग लेने	29-8-88 से 2-9-88	-वही-
22.	डा. उद्देश कोहली सलाहकार	जापान	यू. एन. डी. पी. के अधीन प्रशिक्षण विकास के बाद अध्ययन दौरे पर विश्व सम्मेलन में भाग लेने	29-8-88 से 11.9.88	-वही-
23.	डा ई. ए. एस. शर्मा आयुक्त (वाणिज्य कर) आंध्र प्रदेश सरकार श्री बी. के. साह संयुक्त सचिव ऊर्जा का सलाहकारी बोर्ड कैबिनट सचिवालय नई दिल्ली श्री शैलेन्द्र शर्मा संयुक्त सलाहकार योजना आयोग श्री जे एन मोगा उप सलाहकार योजना आयोग	कोलालमपुर (मलेशिया)	एस्काप के अधीन एकीकृत ऊर्जा आयोजना पर क्षेत्रीय सेमिनार में भाग लेने	जून 27 से जुलाई 1988	-वही-
24.	डा बाई के अलग सदस्य योजना आयोग श्री एम. जी. पिटोडा प्रधान मंत्री के सलाहकार डा एस आर हाशिम सलाहकार, यो आ	मास्को	आर्थिक व्यापार तथा वैज्ञानिक तकनीकी सहयोग के लिए दीर्घावधि कार्यक्रम को स्पष्ट करने के कार्यदल के प्रथम सत्र में भारतीय शिष्टमडल के रूप में	15-21 सितम्बर, 1988	सारा व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया गया।

1	2	3	4	5	6
	श्री बी. के. चतुर्वेदी संयुक्त सलाहकार, वाणिज्य मंत्रालय डा. एस मंडल, आर्थिक सलाहकार आर्थिक कार्य विभाग श्री राजीव सिकरी संयुक्त सचिव (ई. ई.) विदेश मंत्रालय				
25.	श्री हितेन माया सदस्य योजना आयोग श्री के. एल. थापर सलाहकार (परिवहन) श्री बी. डी. जेथरा अपर सलाहकार (आई. एंड एम) श्री जी. वी. आप्पा राव निदेशक एच. एम. टी.	बर्लिन	भारत-जर्मन आयोजना विशेषज्ञों की बैठक में	26 से 30 सितम्बर	-वही-
26.	डा. एस. एस. खन्ना सलाहकार	वाशिंटन	कृषीय उच्च शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने	2-8 अक्तूबर, 1988	सारा व्यय आयोजकों द्वारा वहन किया गया।
	-वही-	बैंकाक मनिला	बैंकाक में विचार-विमर्श में भाग लेने 1988	17-18 नवम्बर,	-वही-
27.	श्री एस. के. चटर्जी उप सलाहकार	मास्को	एस्काप के अधीन क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के आयोजन के सेमिनार में भाग लेने	16-9-88 से 6-10-88	-वही-
28.	श्रीमती सविता शर्मा वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	बैंकाक	एस्काप के अधीन समानता में गरीबी से संबंधी साहित्यकी पर उच्च पाठ्यक्रम में भाग लेने	4 से 22 जुलाई, 1988	-वही-
29.	डा. एन. विजयादित्य अपर निदेशक	न्यूयार्क (संयुक्त राज्य अमेरिका)	एन आई सी के प्रतिनिधि के रूप में 'आन लाइन उपभोक्ता कान्फ्रेन्स' में भाग लेने के लिए	9-19 मई, 1988	व्यय अमेरिकन डाटा-बेसिस सप्लायर्स द्वारा वहन किया गया।

1	2	3	4	5	6
30.	डा. के. सुब्रमण्यियम अपर निदेशक	आस्ट्रेलिया	'पांचवें इंटरनेशनल कान्फ्रेन्स एंड एक्सीविशन आन कंप्यूटर सीक्योरिटी' में भाग लेने के लिए जो कि इंटरनेशनल फेडरेशन फार इन्फारमेशन प्रोसेसिंग (आई एफ आई पी) द्वारा आयोजित की गई थी और आष्ट्रेलिया सरकार के पासपोर्ट वीसा और महानिदेशक से विचार-विमर्श करने के लिए।	18-26 मई 88	व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया गया। एन आई सी द्वारा 24,931 रु. व्यय किए गए जिनमें आवास पर हुआ व्यय शामिल नहीं है जो आस्ट्रेलिया में भारतीय दूतावास से प्राप्त होना है।
31.	डा. पी. चन्द्रशेखर निदेशक	मालदीव	कोओर्डिनेटर्स ऑफ नेशनल फोकल पाइन्टस आफ फार आईएनएससीए की बैठक तथा नेशनल कोओर्डिनेटर्स आफ इन्टर-गवर्नमैंट इन्फोर्मे-टिक्स प्रोग्राम (आई आई पी) की बैठक में भाग लेने के लिए	21-26 मई 1988	व्यय यूनेस्को द्वारा वहन किया गया।
32.	डा. पी. चन्द्रशेखर निदेशक	वेनकूवर कनाडा	एटवाटर इंस्टीट्यूट, मांट्रीयल के सहयोग से एशिया पेसि-फिक फाउन्डेशन आफ कनाडा द्वारा आयोजित पेसिफिक . कोआपरेशन एंड इन्फारमेशन टेक्नोलाजी मे संबंधित सम्मेलन में भाग लेने के लिए।	7-9 सितम्बर, 1988	व्यय सम्मेलन के संयोजकों द्वारा वहन किया गया।
33	डा एन. शेषगिरी, अपर सचिव, महानिदेशक एन.आई.सी	सिंगापुर	यूनाइटेड नेशनस सेन्टर फार रीजनल डवलैपमेंट (यू एन सी आर डी) और एशियन मास कम्यूनिकेशन रिसर्च एंड इन्फारमेशन सेन्टर (ए एम आई सी) द्वारा प्रायोजित 'इंटीग्रेटिंग इन्फारमेशन सिस्टम्स/टेक्नोलाजी फार लोकल रीजनल डवलैपमेंट प्लानिंग मे संबंधित विशेषज्ञ दल की बैठक में भाग लेने के लिए।	31.10.88 से 4.11.88	व्यय बैठक के संयोजकों द्वारा वहन किया गया।
34.	डा. महेश चन्द वैज्ञानिक/इंजीनियर ग्रेड 'एस ई'	यू.के. तथा नार्वे	यू एन डी पी परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए	31.10.88 से 24.12.88	व्यय यू एन डी पी द्वारा वहन किया गया।
35.	श्री एन राधिनाबेल, वैज्ञानिक/इंजीनियर ग्रेड 'एस डी'	—वही—	—वही—	—वही—	—वही—

अनुबंध-5

01.01.89 को योजना आयोग (भारत सरकार) का संगठन चार्ट

(सलाहकार तथा प्रभागाध्यक्षों के स्तर तक)